जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

हीटवेव (लू) प्रबंधन योजना

जनपद-बाराबंकी

वर्ष-2025-26

कार्यालय-जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
कलेक्ट्रट बाराबंकी |

मार्गदर्शक

शशांक त्रिपाठी
(जिलाधिकारी)
अध्यक्ष - जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
बाराबंकी |

पर्यवेक्षण

अरुण कुमार सिंह
(अपर जिलाधिकारी वि0/रा0)
नोडल अधिकारी - जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
बाराबंकी |

शोध, संकलन एवं सर्वेक्षण

प्राची उमराव
(जिला आपदा विशेषज्ञ)

सहयोग

इंद्रमणि कांत बैसवार
(आपदा लिपिक)
मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
कृषि अधिकारी ,कृषि विज्ञानं केंद्र एवं
अन्य सम्बंधित विभाग

हीटवेव प्रबन्धन योजना वर्ष 2025-26

जनपद–बाराबंकी

आमुख

जनपद बाराबंकी में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 29,29,896 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 3,30,803 जनसंख्या नगर क्षेत्र में निवास करती है। जनपद बाराबंकी में 06 तहसीलें तथा 15 विकासखण्ड हैं। जिले की उत्तरी सीमा पर जनपद गोण्डा एवं बहराइच, पश्चिमी सीमा पर जनपद सीतापुर व लखनऊ व दक्षिणी सीमा पर जनपद सुल्तानपुर व रायबरेली स्थित है। जनपद के लोगों की मुख्य आजीविका का साधन कृषि अथवा कृषि आधारित छोटे-बड़े उद्योग व उपक्रम हैं। जनपद की भौगोलिक क्षेत्रफल 385317 हे0 का शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्रफल 259659 हे0 है। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल 238776 हे0 है। मुख्यतया जनपद की कृषि उपज वर्षा के जल के साथ-साथ नहरों की सिंचाई पर आधारित है। वर्ष 2016 में औसत वर्षा 980.40 के सापेक्ष 652.78 मिमी रही है। वर्ष 2017 में औसत वर्षा 980.40 के सापेक्ष 907.33 मिमी रही है। वर्ष 2018 में औसत वर्षा 980.40 के सापेक्ष 1367.16 मिमी रही है। वर्ष 2019 में औसत वर्षा 980.40 के सापेक्ष 1436.76 मिमी रही है। वर्ष 2020 में औसत वर्षा 980.40 के सापेक्ष 1227.29 मिमी रही है। वर्ष 2021 में औसत वर्षा 980.40 के सापेक्ष 1474.76 मिमी रही है। वर्ष 2022 में औसत वर्षा 980.40 के सापेक्ष 1276.78 मिमी रही है। वर्ष 2023 में औसत वर्षा 980.40 के सापेक्ष 1379.8 मिमी रही है। **वर्ष 2024 में औसत वर्षा 980.40 के सापेक्ष 928.043 मिमी रही है**। ग्रीष्म ऋतु में जनपद बाराबंकी का तापमान 40 डिग्री से 43 डिग्री या ऊपर तक पहुँच जाता है। जनपद में सिंचाई के साधन हेतु कुल 301 नहरें है। नहरों की कुल लम्बाई लगभग 1500 किमी0 है तथा राजकीय नलकूपों की संख्या 315 है। जनपद में राजस्व अभिलेखों के अनुसार कुल 22527 तालाब अंकित हैं, जिनमें 14930 तालाब हैं। जनपद में पेयजल व्यवस्था हेतु ग्रामीण/नागर क्षेत्र में कुल 64374 हैण्डपम्प स्थापित हैं। जनपद में वर्ष 2004 मे औसत से कम वर्षा होने के कारण फसलों पर सूखा का प्रभाव पड़ा था। वर्ष 2015 में कम वर्षा होने के कारण फसलों को 7.86 प्रतिशत क्षति हुयी थी। वर्ष 2025 में सम्भावित सूखा के प्रभावों से निपटने के लिये समय-समय पर विभागीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान अत्यादि का आयोजन किया गया है | सूखा से उत्पन्न होने वाली समस्याओं यथा पेयजल, ऊर्जा, सिंचाई, चिकित्सा स्वास्थ्य, पशुधन, खाद्यान्न, कृषि, रोजगार आदि का समाधान करने एवं राहत कार्यो हेतु कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से सभी आवश्यक प्रबन्धों की रणनीति तय की गयी ताकि आवश्यकता पड़ने पर ससमय उसका क्रियान्वयन किया जा सके।

शशांक त्रिपाठी
जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

मानचित्र : जनपद बाराबंकी

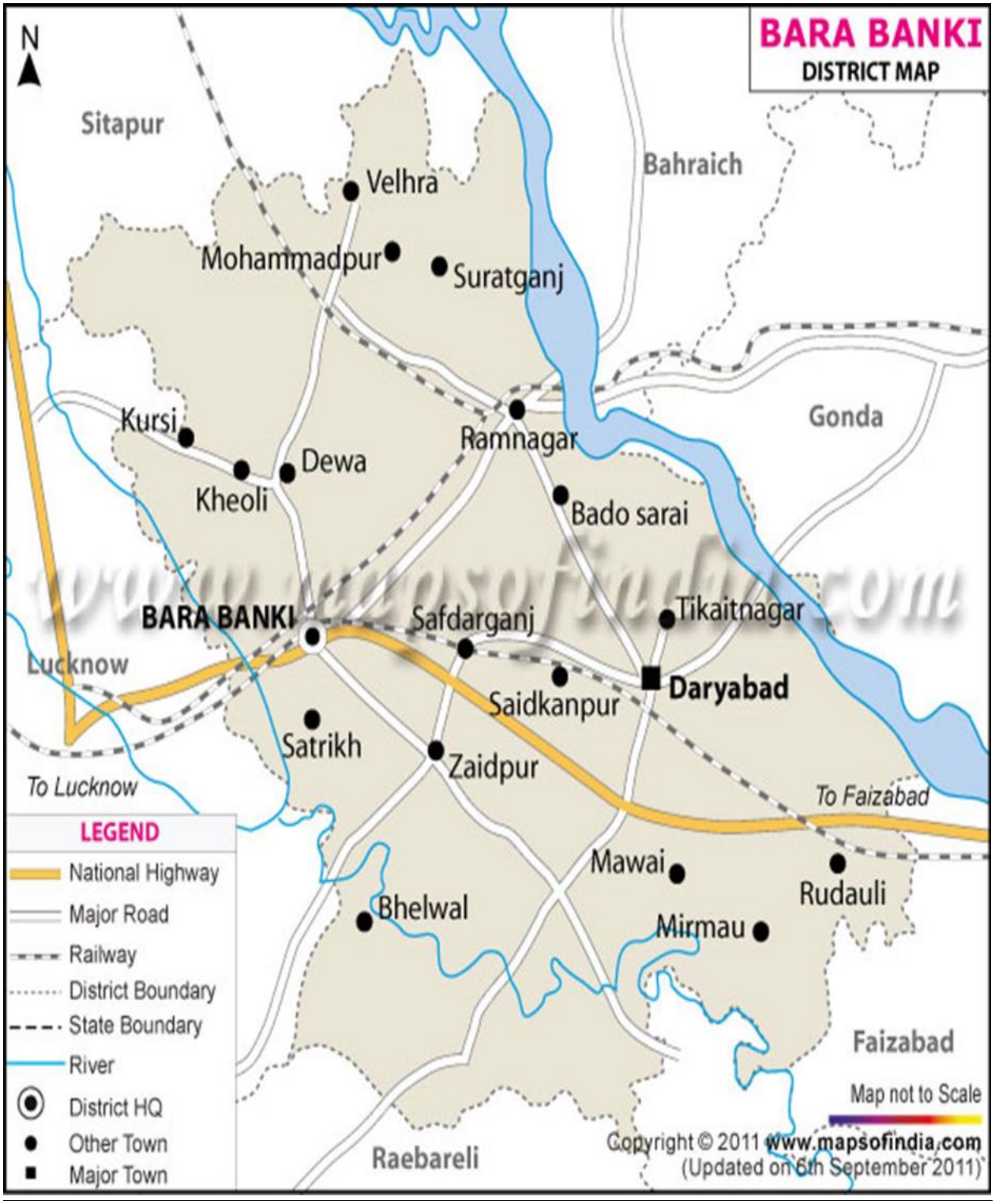

हीटवेव का चित्रण

Framework for preparation of District Level Heat Action plan-2025

अध्याय-1

पृष्ठ भूमि एवं वस्तु स्थिति (Background and current situation)

जिला आपदा प्रबंधन योजना एक समग्र योजना है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं– बाढ़, सूखा, भूकम्प तथा हीटवेव, की स्थिति में जिला प्रशासन को पूर्व तैयारी, प्रतिक्रिया तथा जोखिम न्यूनीकरण से सम्बन्धित समयबद्ध तथा प्रभावी कदम उठाए जाने में सहायता मिलेगी। इसमें आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यों एवं विभिन्न सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों के दायित्वों का वर्णन किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 77.73 प्रतिशत ग्रामीण एवं 22.27 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या निवास करती है। प्रदेश की अधिकांश जनता का जीवन–यापन अधिक तापमान, वर्षा, बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि, वज्रपात आदि मौसम की विभीषिकाओं से प्रभावित होता है। जनपद में ग्रीष्म ऋतु का अधिक प्रभाव रहता है। 21वीं सदी की शुरूआत के बाद से एशिया में तापमान और बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान के औसत में वैश्विक वृद्धि और अधिक होगी, हीट वेव दुनिया भर में मृत्यु और रूग्णता का एक महत्वपूर्ण कारण है, तथा जलवायु परिवर्तन से उष्मा तरंगों की तीव्रता के कारण गर्मी की घटनाओं के प्रभाव में वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान मेंवैश्विक तापमान में वृद्धि जारी है।इस बढ़ते तापमान को मनुष्य द्वारा महसूस भी किया जा रहा है।

1.1 परिचय (Introduction) –

बाराबंकी जनपद देशान्तर (latitude) 81 डिग्री–11 मिनट–17 सेकेण्ट–ई0 व अक्षांश (longitute) 26 डिग्री–56 मिनट–01 सेकेण्ट–एन0 पुलिस लाइन बाराबंकी स्थित है। जनपद में मुख्यालय से 13 कि0मी0 उत्तर दिशा में सूफी सन्त हाजी वारिस अली, शहर मुख्यालय से लगभग 33 किमी0 उत्तर में महादेवा, मुख्यालय से उत्तर पूरब दिशा में 45 किमी0 पर सत्यनामी पंथ के बाबा जगजीवन साहब के पूज्यनीय स्थल हैं तथा मुख्यालय से लगभग 43 किमी0 पर उत्तर पूरब दिशा में महाभारत काल का साक्षी पारिजात वृक्ष है मुख्यालय से पूरब दिशा में हैदरगढ मार्ग पर लगभग 06 किमी0 पर मजीठा ग्राम में नागदेवता का पौराणिक स्थान है।जनपद बाराबंकी के सीमान्तर्गत जनपद लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, सीतापुर, गोण्डा, बहराइच व रायबरेली स्थित है।जनपद में वर्तमान समय में 06 तहसीलें क्रमशः नवाबगंज, रामसनेहीघाट, फतेहपुर, हैदरगढ, रामनगर एवं सिरौलीगौसपुर हैं। जनपद में घाघरा गोमती, कल्याणी, रारी,सुमली, चौरियारी, रेठ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं।ग्रीष्म ऋतु में जनपद का उच्चतम तापमान 40 से 45.5 डिग्री या ऊपर तक पहुॅच जाता है।

1.2 जिला प्रोफाइल (District Profile) -

जनपद बाराबंकी का भौगोलिक क्षेत्रफल 3891.50 वर्ग कि0मी0 तथा कुल जनसंख्या 3260699 है। जनपद का जनसंख्या घनत्व 838 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 एवं लिंगानुपात 910 है। जनपद में साक्षरता दर 61.75 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 70.27 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 52.34 प्रतिशत है।जनपद में 6 तहसील, 15 विकास खण्ड, 1169 ग्राम पंचायत तथा 1808 आबाद ग्राम हैं। जनपद में 12 ग्रामीण थाने, 10 नगरीय थाने एवं 1 महिला थाना है। जनपद में मुख्य रूप से घाघरा, गोमती एवं कल्याणी नदी बहती हैं। जनपद की मिट्टी मुख्य रूप से मटियार एवं दोमट है। जनपद की मुख्य फसलें गेहूॅ, धान, गन्ना एवं आलू है, तथा व्यवसायिक रूप से मेंथा एवं केला है। जनपद में सिंचाई हेतु नहरों की लम्बाई 1696 कि0मी0, 94 गहरे नलकूप, 70 मध्यम नलकूप, 104574 उथले नलकूप, 100205 बोरिंग पम्पसेट, 2772 निजी नलकूप तथा 303 राजकीय नलकूप स्थापित हैं। जनपद में वर्ष 2018–19 में शुद्व बोया गया क्षेत्रफल 245213 हे0 तथा शुद्व सिंचित क्षेत्रफल 228045 हे0 रहा। जनपद में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2010–11 के अनुसार रू0 30337.00 है।

1.3 हीटवेव (लू) की परिभाषा एवं मौसम विभाग द्वारा परिभाषित संबंधित मानदण्ड (Definition of Heatwave and related criteria defined by Meteorological Department)

किसी स्थान के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में सामान्य से बहुत अधिक वृद्धि होने पर लू (हीट–वेव) का प्रकोप माना जाता है। जनपद में लू (हीट–वेव) का समयावधि अप्रैल से जून तक होता है। कभी कभी इसका प्रभाव दुर्लभ मामलो में अप्रैल से जुलाई तक भी देखने को मिलता है। मैदानी इलाकों में लू (हीट–वेव) का प्रकोप अधिक होता है। लू (हीट–वेव) मानव, पशुओं को अधिक हानि होती है तथा प्रतिदिन बढ़ता तापमान इसको और अधिक घातक बना देता है।

➢ भारतीय मौसम विभाग द्वारा लू (हीट–वेव) के लिए परिभाषित निम्न मापदंड दिए है।

- लू (हीट–वेव) को तब तक नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि एक स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों के लिए 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुच जाता है।
- जब किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम या बराबर होता है तो लू (हीट–वेव) सामान्य से 5 डिग्री से 6 डिग्री के बीच हो जाता है। सीवियर लू (हीट–वेव) सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान है।
- जब किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो लू (हीट–वेव) सामान्य से 4 डिग्री होता है तो 6 डिग्री से गंभीर हीट वेव प्रस्थान सामान्य से 6 या अधिक होता है। सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस या अधिक तापमान होता है।
- तापमान जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री या सामान्य तापमान से अधिक रहता है तो उष्मा की तंरगें या हीटवेव घोषित की जानी चाहिए। उच्च दैनिक चरम तापमान और लंबें समय तक, अधिक तीव्र गर्मी की लहरें जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व स्तर पर लगातार बढ़ रही हैं। भारत भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस कर रहा है जो गर्मी की लहरों के बढ़े हुए उदाहरणों के रूप में जो प्रत्येक गुजरते साल के साथ प्रकृति में अधिक तीव्र होते हैं और मानव स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। जिससे गर्मी की लहर हताहतों की संख्या बढ़ जाती है।
- उच्च दैनिक चरण तापमान और लंबे समय तक, अधिक तीव्र गर्मी की लहरें जलवायु परिवर्तन के कारण विष्व स्तर पर लगातार बढ़ रही हैं। भारत भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस कर रहा है जो गर्मी की लहरों के बढ़े हुए उदारहरण के रूप में है जो प्रत्येक गुजरते साल के साथ प्रकृति में अधिक तीव्र होते हैं, और मानव स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं जिससे गर्मी की लहर हताहतों की संख्या बढ़ जाती है। लू (हीट–वेव) घोषित करने के लिए उपरोक्त मानदंडो में से कम लगातार 2 दिनो के लिए बना रहना होगा। यह दूसरे दिन लू (हीट–वेव) की स्थिति घोषित किया जाएगा।

1.4 विभिन्न क्षेत्रों पर हीटवेव (लू) का प्रभाव (Impact of heatwave on different sector) -

- **स्वास्थ्य पर प्रभाव**– हमारे शरीर की ताप नियमन प्रणाली हमारे शरीर के मुख्य तापमान 36 डिग्री से0 को बनाये रखती है। शरीर के तापमान के इससे अधिक कर्म होने पर पसीने के वाष्पीकरण के द्वारा शरीर ठण्डा रहाता है। जब शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा शरीर निर्जलीकृत होता जाता है तो यह स्वास्थ्यस के लिए अत्यन्त घातक स्थिति होती है। इससे बचेन के लिए ठण्डे व छायादार

स्थान क पर रहना, शारीरिक परिश्रम से बचना तरल पदार्थो का लगातार सेवन करते रहना लाभदायक होता है।

- **लू (हीट–वेव) के स्वास्थ्य प्रभावों में आमतौर पर निर्जजीकरण, हीट कैम्प, हीट थकावट और/यह हीट स्ट्रोक भाामिल होते है। संकेत और लक्ष्ण इस प्रकार होता है–:**

1 हीट कैम्प्स– ईडरना (सूजन) और सिंकैप (बेहोशी) आमतौर पर बुखार के साथ 39 डिग्री से नीचे।

2 हीट थकावट– थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, उल्टी, मांसपेशियों में ऐठन और पसीना।

3 हीट स्ट्रोक– शरीर का तापमान 40 डिग्री यानी 104 डिग्री फेरन्हीट या इससे अधिक यह एक सम्भावित घातक स्थिति है।

4 उच्च तापमान से शरीर के आन्तरिक अंगो विशेष रूप से **मस्तिष्क** को नुकसान पहुचने से शरीर में उच्च रक्तचाप उत्पन्न करता है।

5 मुनष्य के हद्वय के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

6 जो लोग एक या दो घंटे से अधिक समय तक 40 डिग्री सेल्सियस (104 डिग्री) या अधिक तापमान अथवा गर्म हवाओं में रहते है तो इनके मस्ष्तिक में क्षति होने की सम्भावना प्रबल हो जाती है।

- **कृषि प्रभाव**– लू (हीट–वेव) फसल उत्पादन कीमात्रा औार गुणवत्ता दोनों को अत्यधिक प्रभावित करती है जिससे फसलों का अत्यधिक नुकसान होता है। रवी तथा जायद की फसेलें हीटवेव से अधिक प्रभावित होती है।
- **आजीविका प्रभाव**– लू (हीट–वेव) की स्थिति अत्यधिक लम्बे समय तक बने रहने से असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को दिन के समय हीट से बचने के लिए घर के अन्दर रहना पड़ता है जिससे उनके कार्य व उनकी आजीविका प्रभावित होती है।

1.5 विगत 05 वर्षो में सर्वाधिक तापमान तथा हीटवेव (लू) दिवस की संख्या (Highest temperature and number of heatwave days during last 05 years)

Year	Maximum Temperature Recorded					Number of Heat Wave days
	March	April	May	June	July	
2018	35.3	42.4	43.9	42.7	39.2	0
2019	32.5	44.2	42.1	42.9	35.9	0
2020	34.2	42.5	41.5	43.7	37.7	0
2021	36.1	42.5	41.5	43.7	37.4	0
2022	39.2	43.7	43.8	44.8	40.5	0
2023	39.5	43.2	43.5	45.2	42.5	38
2024	39.2	42.4	46.3	46.1	39.4	42
2025	40.2					

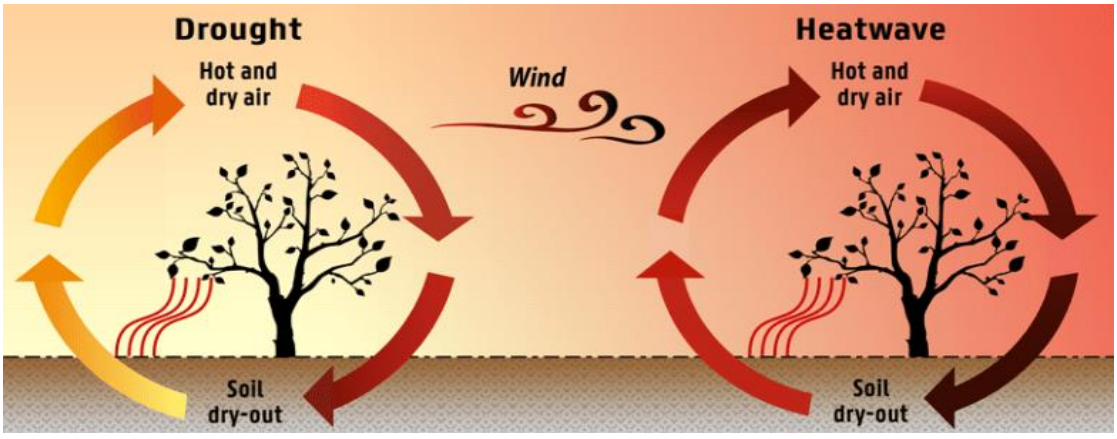

The level of heat discomfort is determined by a combination of meteorological (temp, RH,wind, direct sunshine), social/cultural (clothing, occupation, accommodation) and physiological (health, fitness, age, level of acclimatization) factors. There will be no harm to the human body if the environmental temperature remains at 37°C. Whenever the environmental temperature increases above 37° C, the human body starts gaining heat from the atmosphere. If humidity is high, a person can suffer from heat stress disorders even with the temperature at 37°C or 38°C as high humidity does not permit loss of heat from human body through perspiration. To calculate the effect of humidity, Heat Index Values are used in some regions. The Heat Index is a measure of how hot it really feels when relative humidity is factored in with the actual air temperature. Heat index chart used by the National Weather Service of the USA given below shows thatif the air temperature is 34°C and the relative humidity is 75 per cent, the heat index how hot it feels is 49°C. The same effect is reached at just 31°C when the relative humidity is 100 percent (*Figure 4*).

Temperature/ Humidity Index

Relative Humidity %	Temperature °C																
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
40	27	28	29	30	31	32	34	35	37	39	41	43	46	48	51	54	57
45	27	28	29	30	32	33	35	37	39	41	43	46	49	51	54	57	
50	27	28	30	31	33	35	36	38	41	43	46	49	52	54	58		
55	28	29	30	32	34	36	38	40	43	46	48	52	54	58			
60	28	29	31	33	35	37	40	42	45	48	51	55	59				
65	28	30	32	34	36	39	41	44	48	51	55	59					
70	29	31	33	35	38	40	43	47	50	54	58						
75	29	31	34	36	39	42	46	49	53	58							
80	30	32	35	38	41	44	48	52	57								
85	30	33	36	39	43	47	51	55									
90	31	34	37	41	45	49	54										
95	31	35	38	42	47	51	57										
100	32	36	40	44	49	56											

Caution | Extreme Caution | Danger | Extreme Danger

Source: Calculated °F to °C from NOAA's National Weather Service

Figure-4: Temperature Humidity Index

अध्याय-2

हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना का सूत्रण
(Formulation of Heatwave Management Action Plan)

लू (हीट–वेव) से भारत के कई राज्य प्रभावित होते है। वर्ष 2015 में प्रदेश में दैनिक अधिकतम तापमान 6 डिग्री से0 से 8 डिग्री से0 तक औसत तापमान से अधिक हो गया जिसके चलते प्रदेश में हीटवेव प्रबंधन के लिए एक समन्वित कार्ययोजना की आवश्यकता प्रतीत हो रहा है।

2.1 हीटवेव प्रबंधन कार्ययोजना की आवश्यकता (Need for Heatwave Management Action Plan)

- प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में हीटवेव का प्रकोप सामान्यतयः माह मार्च से माह जून तक रहता है।
- भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ो के अनुसार वर्ष 2005 से वर्ष 2015 के दौरान उ0प्र0, आन्ध्र प्रदेश, व उड़ीसा के बाद तीसरा सबसे अधिक हीट वेव वाला राज्य रहा है।
- प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में माह मई के मध्य में तापमान 45 डिग्री से0 से अधिक रहता है।
- वर्ष 2021 में प्रदेश के बांदा, झांसी प्रयागराजख तथा वाराणसी में गम्भीर हीटवेव की स्थितियॉ रही थी।
- वर्ष 2019 में प्रदेश के बादा जनपद में अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री से तथा प्रयागराज में 48.6 डिग्री से0 रिकार्ड किया गया था।

2.2 हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना का उद्देश्य (Objective of the Heatwave Management Action Plan)

1. लू (हीट–वेव) के प्रति संवेदनशील क्षेत्र की पहचान।
2. लू (हीट–वेव) से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना।
3. हितधारको की भूमिकाये एवं जिम्मेदारियॉ।
4. स्वास्थ्य जोखिमों के समाधान के लिए एजेन्सियों का समन्वय।
5. लू (हीट–वेव) की घटना से पूर्व चेतावनी/अलर्ट।
6. प्रलेखन रिपोर्टिग।

2.3 जनपद में लू के प्रति जोखिम का आंकलन (कमजोर वर्ग एवं क्षेत्र की पहचान करना) (Assessment of vulnerability to heat in the district (Identifying vulnerable areas and population)

जनपद में सामान्य अधिकतम तापमान में वृद्धि के कारण ग्रीष्मकाल में लू (हीट–वेव) का प्रकोप देखा जाता है। प्रायः मानसून के आगमन से पूर्व अधिकतम तापमान में माह जून तक वृद्धि होती है कभी–कभी माह जुलाई में भी अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। हाल ही के वर्षो में भारत में लू (हीट–वेव) के कारण हताहतो की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, लू (हीट–वेव) की तीव्रता भारत में प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। यद्यपि लू (हीट–वेव) के कारण भारत में वर्ष 2013 में 1216, वर्ष 2014 में 1677, तथा वर्ष 2015 सवाधिक 2422 व्यक्ति हताहत हुए है। लू (हीट–वेव) के कारण वन जीव एवं पशु–पशुओं की भी मौतो की संख्या में वृद्धि हुई है। **जनपद में लू (हीट–वेव) के कारण जनहानि, पशुहानि संख्या शून्य है।**

2.4 हीटवेव (लू) कार्ययोजना की प्रमुख रणनीतियॉ (Key Strategies of the Heatwave Action Plan)

- पूर्व चेतावनी तंत्र एवं एजेन्सियों के मध्य समन्वय स्थापित करना जिससे सम्बन्धित विभागो को निदेर्शित किया जा सके, जिससे जनसामान्य को सचेत व जागरूक किया जा सकें।
- लू (हीट–वेव) के दौरान इससे सम्बन्धित बीामरियों की पहचान एवं उचित प्रतिक्रिया हेतु सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारियों, पैरी मेडिकल स्टाफ व सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाना जिससे हीटवेव पीडित व्यक्तियों को प्रभावी चिकित्सा सहायता प्राप्त हो सकें।
- प्रिन्ट इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया एव आई0ई0सी0 मेटेरियल जैसे– पर्चे, पोस्टर विज्ञापन आदि के माध्यम से हीटवेव की स्थिति में क्या करे क्या न करे के सम्बन्ध में जन–जागरूकता में वृद्वि करना ।
- गैर सरकारी संगठनो एवं अन्य सामाजिक सगंठनो के सहयोग से लू (हीट–वेव) बचने हेतु स्थाई आश्रयों/रैनबसेरों का निर्माण करना।

लू (हीट–वेव) एलर्ट (चेतावनी) चिन्हाक

2.8 Colour Code Signals for HeatWave Alert and Suggested Actions (NDMA, 2019)

Colour Code	Alert	Warning	Impact	Suggested Actions
Green (No Action)	Normal Day	Maximum temperatures are near normal	Comfortable No cautionary action required temperature	Normal Activity
Yellow Alert (Be updated)	Heat Alert	Heatwave conditions at Isolated pockets persists for 2 days	Moderate temperature. Heat is tolerable for general public but moderate health concern for vulnerable people e.g. infants, elderly, people with chronic diseases	(a) Avoid heat exposure. (b) Wear lightweight, light-colored, loose, cotton clothes. (c) Cover your head
Orange Alert (Be prepared)	Severe Heat Alert for the day	i) Severe heat wave condition persists for 2 days (ii) Through not severe, but heat wave persists for 4 days or more	High temperature. Increased likelihood of heat illness symptoms in vulnerable and prolonged exposed people	(a) Avoid heat exposure- keep cool. Avoid dehydration (b) Wear lightweight, light-colored, loose, cotton clothes (c) Cover your head (d) Drink sufficient water- even if not thirsty (e) Use ORS, homemade drinks like lassi, torani (rice water), lemon water, buttermilk, etc. to keep yourself hydrated (f) Avoid alcohol, tea, coffee and carbonated soft drinks, which dehydrates the body (g) Take bath in cold water frequently.
Red Alert (Take urgent action as per Uttar Pradesh State Heat Action Plan)	Extreme Heat Alert for the day	i) Severe heat wave persists for more than 2 days. (ii) Total number of heat/severe heat wave days exceeding 6 days.	Very high likelihood of developing heat illness and heat stroke in all ages	Along with suggested action for orange alert, extreme care needed for vulnerable people. First-aid and immediate hospitalization of heat exhaustion and heat stroke cases

Yellow alert	Hot day advisory	41.1- 43-degree C
Orange alert	Heat alert day	43.1- 44.9-degree C
Red alert	Extreme heat alert day	≥ 45-degree C

2.5 हीटवेव पूर्व चेतावनी प्रसार तंत्र (Heat wave Early Warning Communication system)

भारत मौसम विज्ञान विभाग गर्मी के सूचकांक पर आधारित चेतावनियां प्रदान करता है। यह राहत आयुक्त, मजिस्ट्रेट, दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियो के माध्यम से चेतावनी प्राप्त होते ही तत्काल राज्य और जिला आपातकालीन ऑपरेशन केन्द्र, सभी प्रकार के मीडिया के माध्यम से चेतावनी का प्रचार–प्रसार करतें है तथा शीघ्र कार्यवाही के निर्देश देते हैं। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पर चेतावनी प्राप्त होते ही सभी एस0डी0एम0 और तहसीलदार के माध्यम से लेखपालों, बी0डी0ओ0, ग्राम प्रधान आदिद्वारा तत्काल क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार कराया जाता है।

अध्याय-3

विभिन्न विभागों/एजेन्सी के चरणवार उत्तरदायित्व

(Phase wiseRoles and Responsibilities of various Departments/Agencies)

➢ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–भूमिका एवं उत्तरदायित्व–

- निगम एवं हीटवेव पर प्राथमिक चिकित्सा/उपचार की चिकित्सीय उपचार की तैयारी एवं प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करना।
- लू (हीट–वेव) प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नियंत्रण कक्ष को सक्रिया करना।

- उष्माघात/हीट स्ट्रोक के मामलों के लिए चिकित्सा प्रतिक्रिया की तैयारी।
- लू (हीट–वेव) में प्राथमिक चिकित्सा चित्रण।

➢ **पंचायती राज विभाग–भूमिका एवं उत्तरदायित्व–**

- लू (हीट–वेव) की तैयारी एवं प्रक्रिया की समीक्षा करना।
- ग्रीष्म ऋतु के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाना पकाने का समय निर्धारित करना।
- पानी के टैकर की सुविधा का प्रविधान करना।
- सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की सुविधा स्थापित करना।
- पालतू /मेवशियो को लू से बचाने हेतु तैयारी करना।

➢ **पेयजल की व्यवस्था–** जल निगम एवं नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया की पेय जल के स्थानों पर टैक्कर द्वारा प्याऊ स्थापित कर पेय जल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिला पंचायती राज अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा टीम बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों को इडिण्या मार्का–2 हैन्डपम्प, (डीप बोरवेल) का जल हीउपयोग/पीने के लिए निर्देशित करे।

- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा टीम बनाकर पानी का उचित एवं नियमित क्लोरिनेशन कराया जाना और जल के नमूनों में टेल एवं पी0पी0एम0 की आपूर्ति सुनिश्चितकी जाय एवं सयुक्त टीमद्वारा निर्धारित रूप जलायन की ओ0टी0 टेस्टिग कराई जाय।

➢ **रैपिड रिस्पांस टीम–** मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित जाय किकिसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने तथा निवारण करने के दृष्टिकोण से प्राथ0स्वा0के0 पर एक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में रैपिड रिस्पान्स टीम का गठन कर लिया जाय। साथ ही एक अफवाह रजिस्ट्रर भी बना लिया जाय एवं हीट–स्ट्रोक एक्ज्हाशन के रोगियों की सूचना जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित करें ताकि उक्त सूचना जिला मुख्यालय एवं राज्य मुख्यालय को समय से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

➢ **पशुपालन विभाग**– पशुओ के लिए हीटवेव की स्थिति में चिकित्सा तैयारी करना।

- **<u>हीट–स्ट्रोक का उपचार तथा फस्ट–एड–</u>** पशुपालकों को जागरूक करने हेतु पोस्टर व पम्पलेट के माध्यम से लू के बचाव की जानकारी दिया जायेगा।
- पशुओं/पक्षियों में लू के लक्षण प्राप्त होने पर जिले के समस्त संस्थाओं पर उपचार हेतु आवश्यक औषधियों की व्यवस्था की गयी है। लू के समय पशुपालकों को वितरित किया जायेगा।
- जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि संक्रामक रोग से बचाव हेतु पशुओ को आवश्यक टीका लगवाया जाय–संक्रामक रोगो से बचाव हेतु एफ0एम0डी0 टीकाकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- **पशुओ को लू एवं गर्मी स बचाव हित छायादार स्थानों पर रखा जाय एवं पिने के पानी प्रयाप्त रखा जाय**–_पशुओ को उपर से ढ़के हुए छपर टीन शेडवाले स्थानों में रखा जाये तथा यह विशेष ध्यान रखा जाये की, रोशनदान, दरवाजो एवं खिड़कियो को टाट/बोरे ढका जाये जिससे सीधी हवा का झोका पशुओं तक न पहुॅच सकें टाट/बोरो पर पानी का छिड़काव किया जाना पशुओं को छाय में बाधे जायें और उन्हे प्राप्त मात्रा में पानी/तरल प्रदार्थ पीलाया जाये पशुओ को धुप में रखा हुआ गरम पानी न पिलाया जाये, स्वच्छ ताजा पानी हैन्डपम्प या कुओ से ही पिलाया जायें पोखरों का पानी कदापी न पिलाया जाये।

- **पशु के रखे जाने वाले स्थान पर दवा का छिडकाव किया जाय**– पशुशाला में स्प्रिक्लर के द्वारा जल का छिड़काव एवं पंखो का उपयोग किया जाये । पशुशाला में सुखे चुने का छिड़काव तथा फिनायल के घोल का छिड़काव के किया जाना लाभकारी होगा।
- नलकूपो से पशुओ के पेय हेतु पोखरो को भरा जाय।

➢ **पुलिस विभाग**– हीटवेव की स्थिति में टैफिक पुलिस के लिए हीटवेव प्रक्रिया योजना बनाना।

➢ **श्रम विभाग**– मजदूरो के लिए हीटवेव प्रक्रिया योजना बनाना।

➢ **विकास विभाग**– तालाबो को खुदवाकर उसमें पानी भरवा जाय ताकि पशुओं एवं पक्षियो को पीने का पानी मुहैया हो सके। राजस्व विभाग द्वारा पोखरों को चिहिन्त कर विकास/पंचायती राज विभाग से खुदवाया जाय।

➢ **जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण**– आपदा विशेषज्ञ को निर्देशित किया जाता है जिला सूचना अधिकारी से समन्वय कर समय–समय पर लू (हीट–वेव) से बचाव हेतु क्या करें क्या ना करे का प्रकाशन दैनिक समाचर पत्रों में प्राथमिकता के आधार पर जनहित में प्रकाशित करना सुनिश्चित करे। साथ ही शासन से प्राप्त मौसम एर्लट का संदेश समस्त ग्रुपो में नियमित रूप से प्रेषित करते रहे, जिससे की जन समुदाय लू (हीट–वेव) की जानकारी एवं जागरूकता से अघतन होते रहेगें।

3.1 विभागवार हीटवेव/लू के पूर्व के समय (जनवरी–मार्च)–लू/हीटवेव के दौरान (अप्रैल–जून) औरलू/हीटवेव के बाद के समय (जुलाई–दिसम्बर) के दौरान जिम्मेदारियां–

विभाग का नाम Department	कार्यवाहियॉ Activities लू के पूर्व (जनवरी–मार्च) Pre heat season (Jan. to March)	कार्यवाहियॉ Activities लू के दौरान (अप्रैल–जून) During the heat season (April to June)	कार्यवाहियॉ Activities लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर Post heat season (July to December)
स्वास्थ्य विभाग जनपद बाराबंकी	•सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर गर्मी से होने वाली बीमारियों और विकार में काम आने वाली दवाइयां व उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिए गए हैं। •मार्च के महीने में हीटवेव रोगों के शीघ्र निदान और प्रबंधन के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है	• .प्रचार प्रसार हेतु आईईसी सामग्री को गर्मी के मौसम में मुद्रित करने का प्रस्ताव है। आई0ई0सी0 के माध्यम से जन–जागरूकता अभियान चलाना प्रभावकारी होगा। • प्रचार माध्यमों द्वारा जनता को ''क्या करें, क्या न करें' ' के बारे में जानकारी देना तथा अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करना। • हीट वेव रोग में प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड ट्रीटमेन्ट)	•जलवायु परिवर्तन को स्थिर रखने के लिए वन एवं कृषि विभाग के साथ अन्तर्क्षेत्रीय समन्वय स्थापित किया जायेगा। • जुलाई के महीने में भी गर्मी के मौसम में की जाने वाली गतिविधियों को जारी रखने की योजना बनाई गई है। •अप्रैल से जून के महीने के दौरान हीट सिंकोप हीट स्ट्रोक और अन्य हीट डिसऑर्डर से पीड़ित

		की जानकारी चिकित्सकों द्वारा फार्मासिस्ट हेतु आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। • आशा को अपने–अपने क्षेत्रों में फील्ड विजिट के दौरान घर–घर वितरण के लिए। O.R.S दिया जाएगा।	व्यक्तियों के विस्तृत केस स्टडी की योजना बनाई गई है।
कृशि–विभाग जनपद बाराबंकी	1. समाचार पत्रों के माध्यम से स्थानीय मौसम एवं तापमान की जानकारी किसानों तक पॅहुचाना। 2. किसानों को बताना कि गेहूँ की कटाई दोपहर में न करें। सुबह व शाम के समय करें। 3. जायद की फसलें बाजरा, मक्का, उर्द एवं मूँग की उन्नत प्रजातियों की समय से बुवाई करें। 4. उच्च तापमान के कारण फसलों में गर्मी के तनाव के कारण 15–25 प्रतिषत औसत उपज हानि हो जाती है। 5. उच्च तापमान के कारण फसल क्षति का मुख्य कारण मुख्य रूप से फूलों का गिरना तथा नये पौधों का मुरझा जाना। 6. हीटवेव(लू) का प्रभाव अधिकांश रबी एवं जायद की फसलों पर पड़ता है। 7. तापमान में किसी भी प्रकार का अत्यधिक परिवर्तन उत्पादकता को प्रभावित करता है।	1. जायद की फसलों में सुबह व शाम को आवश्यक सिंचाई करें, जिससे खेत में नमी बनी रहे। 2. किसान भाई खेत में काम करते समय पीने का पानी साथ में रखें। 3. किसान भाई सुबह व शाम के समय सिंचाई करें। दोपहर में न करें। 4. जायद की फसल जैसे मक्का के खेत में नमी बनी रहे जिससे भुट्टे में बीज की गुणवत्ता अच्छी रहे। 5. बाजरा की फसल में समय पर सिंचाई करें। 6. मूँग की तुड़ाई शाम के समय करें। अधिक तापमान में न करें। 7. तापमान में किसी भी प्रकार का अत्यधिक परिवर्तन उत्पादकता को प्रभावित करता है।	1. वर्षा ऋतु में खेत की मेड़ों पर वृक्ष लगाऐं। 2. किसान भाईयों को बताना है कि फसल अवशेष न जलायें।
सिंचाई खण्ड जनपद बाराबंकी	सिंचाई विभाग के द्वारा माह जनवरी और मार्च के समय में सिंचाई हेतु कृषकों से संपर्क कर आकडें तैयार कर, अन्य स्थानों पर पानी की उपलब्धता हेतु समस्त कार्यो का सम्पादन कर लिया जाता	कृषको को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है एवं तालाबों में भी जल से भर कर जल उपलब्धता मुहइया कराये जाने हेतु कार्य किये जाते है। क्यों कि हीटवेव के समय पानी जल ही जीवन होता है।	जो कार्य लू के दौरान (अप्रैल–जून) किये जाते है यही प्रक्रिया लू के बाद (जुलाई–दिसम्बर) भी जारी रहती है।

	है।		
जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद बाराबंकी	समस्त विद्यालयों में आगामी माह में अत्यअधिक गर्मी से बचाव हेतु कक्षा/कक्षों में छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुसार पंखो की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय। ठण्डे एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तथा विद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाय।	समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धकों एवं प्रधानाचार्यो को पत्र जारी कर निर्देशित करते हुये छात्र/छात्राओ को लू के दौरान बिन्दुवार सावधानियॉ रखने की सलाह– 1. छात्र/छात्राआ एवं शिक्षकों को पर्याप्त और नियमित अंतराल पर पानी पीते रहे। 2.खुद को हाईड्रेड रखने के लिये ओ0आर0एस0 घोल , नारियल पानी, नीबू पानी छाछ, आदि घरेलू पेय पदार्थो का इस्तमाल करें 3. हल्के रंग के ढीले ढाले और सूती कपडे पहने। 4. धूप में निकलते समय सिर को ढक कर रखे 5.विद्यालयों में साफ एवं ठण्डे पानी की व्यवस्था किया जाना। 6. बहुत अधिक आवश्यकता होने पर धूप/गर्मी में घर से वाहर निकले। 7. कक्षा–कक्षों की खिडकियों को खुला रखें और कमरों में पंखों की व्यवस्था करें। 8. अचानक ठण्डी जगह से एक दम गरम जगह में न जायें। 9.गर्मी के मौसम में चाय कॉफी गरम पेय का सेवन कम करें एवं मसालेदार चीजों का सेवन कम करें। सभी छात्र/छात्राओं को सलाह दी जाये कि घर से निकलते समय खाली पेट न जाये। हल्का व शीघ्र पचने वाला भोजन करें।	मौसम परिवर्तित होने पर शरीर को पूर्ण रूप से ढकने वाले कपडो का इस्तमाल करने हेतु समस्त छात्र/छात्राओं को जागरूक किया जाय। जुलाई अगस्त माह में वर्षा वाले मौसम में होने वाली बिमारियों के प्रति छात्र/छात्रओं को जागरूक किया जाना
पशुपालन विभाग जनपद बाराबंकी	उक्त समय में पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए आने वाले अगले गर्मी के मौसम से पूर्व सर्तक रहते हुए जनजागरूकता अभियान चलाते हुए	अप्रैल से जून के मध्य प्राय गरमी अधिक होती है अतः सभी पशुपालको को सलाह दी जाती है कि वे अपने पशुओं को भारत सरकार के द्वारा चलाये जा रहे खुरपका/मुहॅपका रोग का	जुलाई के माह में प्रायः अगस्त तक वारिश का मौसम रहता है उक्त समय में गलाघोटू बीमारी हो जाती है जिसके लिए जनपद स्तर पर टीका मगा

	पशुपालको को गर्मी से बचाव हेतु जैसे– उन्हे छाया में रखना एवं समय समय पर नहलाना आदि की जानकारी प्रदान की जाती है	निःशुल्क टीकाकरण कराये एव गलाघोटू बीमारी के टीकाकरण भी जो कि निःशुल्क विभाग द्वारा लगाये जा रहे है सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारियो / गठित टीम के माध्यम से टीकारण अवश्य कराये।	लिया जाता है एवं जनपद में टीकाकरण करा लिया जाता है। नबम्वर से दिसम्वर तक प्रायः सर्दी का मौसम रहता है इसमें पशुओं के ठण्ड से बचाने के उपाय किये जाते है जनपद में मुहपॅका / खुरपका रोग की 5,84,000 एवं गलाधोटू रोग का 4,32,950 डोज का टीकाकरण किया जा चुका है।
अग्निशमन तथा आपात सेवा उ0प्र0	अग्निशमन / जीवरक्षा दृष्टिकोण से अग्निशमन यूनिटों को संशाधनों के सहित 24x7 के अनुसार क्रियाशील रखेंगे	लू के दौरान अग्निदुर्घटना / जीवरक्षा कार्यों हेतु मानव व मशीनों को सदैव तैयारी हालत में रखना तथा जनसाधारण को अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम व बचाव के उपायों से निरन्तर प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करना।	अग्निशमन / जीवरक्षा दृष्टिकोण से अग्निशमन यूनिटों को संशाधनों के सहित 24x7 के अनुसार क्रियाशील रखेंगे।

अध्याय- 4

हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों का प्रबंधन (Managing Heat Wave Related Illness)

लू (हीट–वेव) से सम्बन्धित बीमारी तब होती है जब शरीर स्वयं को पर्याप्त रूप से ठण्डा करने में असमर्थ होता है हीटवेव से उत्पन्न प्रमुख लक्षणों के अन्तर्गत शरीर से बहुत अधिक पसीना बहने व शरीर के निर्जलीकृत हो जाने के कारण बहुत अधिक थकान महसूस होती है, व्यक्ति को चकर आते है , पसीना बहना बन्द हो जाता है तथा शरीर का मुख्य तापमान बहुत अधिक बढ जाता है। जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है

4.1 हीटवेव से संबंधित बीमारी की रोकथाम (Prevention of Heat Wave Related Illness)

- कार्य हेतु घर से बाहर निकलने से पहले पर्याप्त रूप से तरल पदार्थो का सेवन करना।
- जहातक सम्भव हो दोपहर के समय जब हीटवेव अपने चरम की स्थिति में हो तब खुले में कार्य करने से बचना चाहिए।
- तरल पदार्थो का नियमित रूप से सेवन करना।
- हीटवेव से सम्बन्धित बीमारियों के लक्षणो के दिखाई देने पर तुरन्त नजदीकी चिकित्सा सहायाता लेना।
- तेज धूप में निकलने से बचे अगर तेज धूप में निकलना जरूरी है तो निकलते वक्त छाता लगा ले या टोपी पहन ले एवं ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर अधिक से अधिक ढ़का हो।
- हीट–स्ट्रोक से बचने के लिए जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर घर से बाहर निकला जाय एवं समय–समय पर पानी का प्रयोग करते रहना चाहिए।
- निर्जलीकरण से बचने के लिए अति आवश्यक है कि अधिक मात्रा में पानी, मौसमी फलों के रस, गन्ने का रस, कच्चे आम का रस, नारियल का पानी, ओ0आर0एस0 घोल, का उपयोग किया जाय।
- चाय तथा काफी पीने से परहेज करें।
- अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गर्मी से पीड़ित है तो व्यक्ति को छायादार स्थान के नीचे किसी ठंडी जगह पर ले जाय। पानी या एक निर्जल पेय दें।
- लंबे समय तक स्वास्थ्य खराब महसूस होने पर डाक्टर की सलाह लें।
- शराब, कैफीन कोई की नशीली वस्तु न दें।
- अपने चेहरे/शरीर पर एक गीला कपड़ा रखकर व्यक्ति को ठंडा करें।
- बेहतर वेंटिलशन के लिए ढ़ीले कपड़े पहने।
- आपातकालीन किट अवश्य बनाय कर रखे निश्चित स्थान पर ही रखे।
- पानी की बोतल हमेशा साथ रखें।
- छाता, टोपी, सिर ढकने के लिए तौलिया, गमछा आदि पास में रखे।

4.2 हीटवेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोचार। (Identification of Heat Wave Related Illness & First Aid)

- गर्म लाल, शुष्क त्वचा का होना, पसीना न आना।
- तेज पल्स होना।
- उथले श्वास गति में तेजी |
- व्यवहार में परिवर्तन, भ्रम की स्थिति।

- सिर दर्द, मतली, थकान, और कमजोरी होना, चक्कर आना।
- मूत्र का न होना अथवा इसमें कमी का आना।
- सर्वेप्रथम व्यक्ति का तापमान लेकर प्रभवित व्यक्ति को किसी छायादार स्थान पर ले जाना चाहिए।
- मरीज को ठंडी करे तथा उसके शरीर को स्पंज अथवा गीले कपड़ें से पोछे।
- मनुष्य के शरीर के उच्च तापमान को नियत्रित कर 100 डिग्री फा0 तक रखने का प्रयास करें।
- मरीज को ठंडी जगह में रखें।
- मरीज को ठंडे पानी के टप में रखे अथवा उसके उपर बर्फ की पटटी रखे जब तक कि उसका तापमान 100 डिग्री0 फा0 तक न हो जाये।
- निर्जलीकरण की स्थिति में आई0वी0 फलूडस दें।
- गम्भीर रोगियों को स्थानीय चिकित्सालय/इकाई में भेजकर उपचार करायें।
- पीडित व्यक्ति के त्वचा पर ठण्डे पानी का छिडकाव करना चाहिए तथा पंखे की सहायता से हवा देनी चाहिए।
- सचेत होने की अवस्था में पीड़ित व्यक्ति को नियमित तरल पदार्थ/ओ0आर0ए0 घोल देना चाहिए।
- पीड़ित व्यक्तियो को यथा शीघ्र सहायता देना चाहिए।

4.3 हीटवेव (लू) से प्रभावित मृतकों की पहचान करना तथा आंकड़ो का संग्रहण। (Identification of Heat Wave Related Casualties & Collection of Data)

प्राप्त आंकड़ो के अनुसार जनपद में विगत वर्षो में हीटवेव से कोई मृत्यु नही हुआ है।

4.4 हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों के प्रबंधन के लिये जन स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्व तैयारी (Public Health Facilities preparedness for Managing of Heat Related Illness)

विभिन्न हीट वेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोपचार की तालिका निम्नानुसार हैः–

हीट संबंधी रोग (हीट डिस ऑर्डर)	लक्षण	प्राथमिक उपचार
सन बर्न	त्वचा में लालिमा तथा दर्द, सूजन, फफोले, बुखार तथा सिरदर्द।	साबुन का उपयोग करते हुये शावर आदि में स्नान कराना ताकि त्वचा मे तेल से बन्द छिद्र खुल जाए और शरीर प्राकृतिक रूप से शीतल हो सके। यदि फफोले पाये जाते है तो सूखे विसंक्रमिक ड्रेसिंग का उपयोग करें तथा चिकित्सकीय सलाह लें।
हीट क्रैम्प्स	उदरीय मांश पेशियों तथा हाथ, पैर की तकलीफदेह एंठन (स्पाज्म); ज्यादा पसीना आना।	पीड़ित व्यक्ति को ठण्डे तथा छायादार स्थान पर ले जाएं, क्रैम्पिंग मांसपेशियों पर दबाव डालें तथा ऐंठन से आराम हेतु हल्की मालिश करें। पानी को बूंद–बूंद के रूप में पिलायें। यदि जी मचले तो पानी देना बन्द कर दें।

हीट एक्जाशन	अत्यधिक पसीना आना, कमजोरी, त्वचा ठण्डी पीली तथा चिप–चिपी होना, सिरदर्दसामान्य तापमान मे भी होना संभव, बेहोशी, उल्टी।	ठण्डे स्थान में मरीज को लेटायें फिर वस्त्र को ढीला करें। ठण्डे कपड़े का उपयोग करें, मरीज को पंखा करें या वातानुकूलित स्थान में ले जाए। पानी को बूंद–बूंद करके पिलायें; यदि जी मचले तो इसे देना बन्द कर दें। यदि उल्टी होती है तो 108 या 102 नम्बर की एम्बुलेंस द्वारा चिकित्सालय में भर्ती करायें।
हीट स्ट्रोक (सन स्ट्रोक)	उच्च शारीरिक तापमान (106° या अधिक) गर्म शुष्क त्वचा, तेज जोरदार नाड़ी (पल्स), बेहोशी आना तथा मरीज को पसीना आना बंद हो जाए।	हीट स्ट्रोक गंभीर चिकित्सकीय स्थिति। 108 तथा 102 नम्बर पर एम्बुलेंस को चिकित्सा सेवा हेतु तत्काल कॉल करना चाहिए, या मरीज को तुरन्त अस्पताल ले जाना चाहिए। विलम्ब प्राण घातक साबित हो सकता है। मरीज को तत्काल ठण्डे वातावरण में ले जाना चाहिए या बर्फीलें पानी की स्पंजिंग करते रहना चाहिए।

4.5 हीटवेव (लू) के दौरान ''क्या करें क्या न करें'' (Do's & Don's during Heat Wave) –

क्या करे–

1. कड़ी धूप में बाहर न निकले, खासकर दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक के बीच।
2. गरम हवा के स्थिति जानने के लिये रेडियो सुने, टी0वी देखे, समाचार पत्र पर स्थानीय मौसम पूर्वानुमान की जानकारी लेते रहे।
3. जितने बार हो सके पानी पीये,प्यास न लगा हो तभी पानी पीये ताकि शरीर मे पानी की कमी से होने वाली बीमारी से बचा जा सके।
4. हल्के रगं के ढीले ढाले सूती वस्त्र पहने ताकि शरीर तक हवा पहुचे और पसीने को सोख कर शरीर को ठंडा रखे।
5. धूप में बाहर जाने से बचे, अगर बहुत जरुरी हो तो गमछा, चश्में, छाता, टोपी एवं जूते या चप्पल पहनकर ही घर से बाहर निकले।
6. शराब, चाय, कॉफी जैसे पेय पदार्थो का इस्तमाल न करे, यह शरीर को निर्जलित कर सकते है।
7. यात्रा करते समय अपने साथ बोतल में पानी जरुर रखें। गीले कपड़े को अपने चेहरे, सिर और गर्दन पर रखें।
8. गर्मी के दिनों में ओ0आर0एस0 का घोल पिये। अन्य घरेलू पेय जैसे, नीबू पानी, कच्चे आम का बना लस्सी आदि का प्रयोग करे, जिससे शरीर में पानी की कमी न हो।
9. अगर आपकी तबीयत ठीक न लगे, तो गर्मी से उत्पन्न हाने वाले विकारों, बीमारियों को पहचाने। तकलीफ होने पर तुरन्त चिकित्सकीय परामर्श ले।
10. जानवरों को छायादार स्थान में रखें, उन्हे पीने के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी दें।
11. अपने घर को ठंडा रखें, घर को पर्दे से ढक कर या पेन्ट लगाकर 3–4 डिग्री तक ठंडा रखा जा सकता है।
12. रात में अपने घरो की खिड़कियो को अवश्य खुली रखें।
13. कार्यस्थल पर पानी की समुचित व्यवस्था रखें।
14. फैन, ढीले कपड़े का उपयोग करे। ठंडे पानी से बार–बार नहाएं।

क्या न करें–

1. धूप मे, खडें वाहने में बच्चे एवं पालतू जानवरों को न छोडें।
2. खिड़की की रिफलेक्अर जैसे एल्युमुनियम पन्नी, गत्ते इत्यादि से ढककर रखे, ताकि बाहर की गर्मी का अन्दर आने से रोका जा सके।

3. उन खिड़कियो दरवाजे पर जिनसे दोपहर के समय गर्म हवाएँ आती है, काले कपड़े/पर्दे लगाकर रखना चाहिए।
4. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान को सूनें और आगामी तापमान में होने वाले परिवर्तन के प्रति सर्तक रहें।
5. आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें।
6. जहॉ तक सम्भव हो घर में ही रहे , सूर्य के सर्म्पक से बचें।
7. सूर्य की तापमान से बचने के लिए जहॉ तक सम्भव हो घर की निचली मंजिल में ही रहें, सबसे उपरी मंजिल में कदापि न रहें, ताप के प्रभाव से लू (हीट–वेव) का शिकार होने की सम्भावना प्रायः बनी रहती है।
8. संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
9. दिन के 11 बजे से 3 बजे के बीच बाहर न निकले।
10. गहरे रंग के भारी एवं तंग वस्त्र पहनने से बचें।
11. खाना बनातें समय कमरे के खिड़की एवं दरवाजे खुले रखे, जिससे हवा का आना जाना बना रहे।
12. नशीले पदार्थ, शराब तथा अल्कोहल के सेवन से बचें।
13. उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बचें। बासी भोजन न करें।

➢ किसी भी सहायता के लिए निम्न नम्बरो पर सम्पर्क कर सकते है।

- एम्बुलेंस 108
- पुलिस –100/112
- राहत आयुक्त कार्यालय 1070
- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, (डी0डी0एम0ए0–)/जिला इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर (ई0ओ0सी0), बाराबंकी . 05248–226017
- दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, स्वंय सुरक्षित रहें, दूसरो को सुरक्षित करें।

अध्याय- 5

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला प्रशासन द्वारा की गयी गतिविधियां

(Activities under taken by DDMAs/District Administration)

जनपद/ब्लाक पर नोडल अधिकारी नामित करने, जनपद एवं ब्लाक स्तर पर मॉनीटर किये जाने, हीट वेव के समय ''क्या करें व क्या न करें'' की प्रचार प्रसार किये जाने, मोबाइल मैसेज/व्हाट्सएप्प आदि सोशल मिडिया के माध्यम से चेतावनी प्रेषित किये जाने, तीव्र गर्मी के बचाव हेतु विद्यालय समय मे परिवर्तन किये जाने, पेय जल की समुचित व्यवस्था एवं श्रमिकों/कामगारों के कार्य करने के घण्टों में परिवर्तन किये जाने के निर्देश जारी करना। एवं विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सूखा से उत्पन्न होने वाली समस्याओ का निवारण किया जा सके ।

5.1 हीटवेव से संबंधित बीमारियों के प्रबंधन के लिये अभिनव कार्य/ बेस्ट प्रेक्टिसेज, उपाय (सामुदायिक जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व तैयारी, कमजोरवर्ग के लिये सुरक्षात्मक उपाय, आंकडो का संग्रह एवं प्रतिवेदन तथा अन्य कार्य) (Innovative action /best practices /measure for management of heat related illness

(Community Awareness, Health Facilities Preparedness, Preventing vulnerable population, data recording and reporting))

उपरोक्त समस्त कार्यवाही इस कार्ययोजना मे पूर्ण कर लिया गया है।

5.2 क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा (Capacity Building & Profile of Training Programme)

चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर गर्मी से उत्पन्न बीमारियों को पहचानने एवं उसका इलाज करने सम्बन्धी प्रशिक्षण/जानकारियां देकर रूग्ण दर एवं मृत्यु दर कम किया जा सके।

- मेडिकल ऑफिसर
- पैरामेडिकल स्टॉफ
- सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी
- गैर सरकारी संस्थाएं
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आई0ई0सी0 सामग्रियां जैसे– पैम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन, टेलीविजन के माध्यम से इलाज के उपाय, बीमारी से रोकथाम, गर्म हवा से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- गैर सरकारी संस्थाओं, सिविल सोसायटी के साथ सहभागिता कर बस स्टैण्ड एवं जहां आवश्यक हो वहां अस्थायी शेल्टर का निर्माण, क्षेत्रों में पानी आपूर्ति का कार्य जिससे लू–प्रकोप से उत्पन्न स्थिति से निपटा जा सके।

5.3 दीर्घकालिक हीटवेव से सुरक्षा के उपाय (Long Term Heat Resilience Measures)

विगत वर्षो से जनपद बाराबंकी में हीटवेव कार्ययोजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है रहा है इस वर्ष शासन स्तर से प्राप्त प्रारूप पर भी हीटवेव कार्ययोजना का निर्माण कर तथा क्रियान्वयन की तैयारी पूर्ण कर लिया गया है। जनपद में विगत वर्षो में हीटवेव से अबतक मृत्यु की सूचना शून्य रही है। आशा है कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 नोडल अधिकरी के निर्देशन एवं देखरेख में आपदा विशेषज्ञ एवं अन्य विभाग एवं संस्थाओ के माध्यम से जनपद के अन्तिम बिन्दु तक इस कार्ययोजना के उददेश्यों को पहुचाने का कार्य किया जायेगा।

5.4 सीखे (Lesson learnt)

विगत वषो में लू के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि यद्यापि जनपद बाराबंकी की भौगोलिक स्थिति समुद्र तल से ऊॅचाई पर स्थित है फिर भी मानसून के गर्म होने के कारण प्रातः 8:00 बजे के बाद तथा सायं 6:00 बजे के पूर्व बाहर निकले वाले व्यक्तियों को सिर पर मौटे तौलिया व पैर में जूते पहनकर निकले तथा मुह को सफेद कपडे से ढ़के ताकि लू का प्रकोप सीधे तौर पर शरीर को प्रभावित न करे सके। लू लगने के कारण व्यकित के शरीर का पानी कम होने के कारण खून का संचार कम हो जाता है और व्यक्ति का तापक्रम अधिक होने की दशा में मृत हो सकती है। **ज्यादा से ज्यादा स्थानों में प्याऊ की इंतजाम करना चाहिए जिससे की गरीब, बेघर व् राहगीरों को पीने के पानी की कमी न हो |**

5.5 हीटवेव (लू) से संबंधित मामलों का अध्ययन (Case study)

जनपद में विगत वर्षो में हीटवेव से कोई मृत्यु नही हुआ है। कार्य के सिलसिले में घर के बाहर जाने पर गर्मी के दिनों में व्यक्ति का शरीर गर्म हो जाता है तथा शरीर गर्म होने के तत्काल बाद ए0सी0 वाले

कमरें या ठण्डे घर में एकाएक जाने पर व्यक्ति तत्काल लू से प्रभावित हो जाता है। इससे बचना चाहिये तथा गर्म वाले स्थान से सीधे ठण्डे स्थान पर जाने से बचना चाहिये।

5.6 वित्तीय प्राविधान (Budgetary Provision)

सम्प्रति वित्तीय प्राविधान नहीं है, परन्तु चिकित्सा विभाग एव राजस्व विभाग को इससे प्रभावित व्यक्ति के उपचार हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को इस प्रकार से संसाधनों से शसक्त किया गया है कि वह लू प्रभावित व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा मुहैया करायी जा सकती है। जनपद स्तर से स्थापित ई0ओ0सी0 से सरकारी मशीनरी को क्रियाशील कराकर लोगों में जागरूकता फैलाने तथा सार्वजनिक स्थानों–यथा रोडवेज बस स्टैण्ड, प्राइवेज बस स्टैण्ट तथा रेलवे स्टेशनों पर छाया की व्यवस्था करना एव शीतल पेय जल की व्यवस्था करके एक सीमा तक राहगीरों एव किन्ही कारणों से अशक्त व्यक्तियों की सहायता की जा सकती है। लू से बचाव के लिये स्थान–स्थाान पर कैम्प लगाकर जागरूक किये जाने की दशा में बिना वित्तीय प्राविधान किये भी लोगों की सहायता की जा सकती है। शासन या स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त किये जाने स्थिति में लोगों की बेहतर सुविधा मुहैया की जा सकती है।

5.7 विभिन्न विभागों द्वारा हीटवेव में किये गए कार्य एवं उनके द्वारा बनाए गई विभागीय कार्ययोजना

- **चिकित्सा एवं स्वस्थ विभाग :-**

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
हीट वेव से बचाव हेतु कार्ययोजना जनपद–बाराबंकी।
वर्ष–2025

प्रस्तावना–

उत्तर प्रदेष 257,054,568 की जनसंख्या के साथ देष का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेष है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उ0प्र0 की कुल जनसंख्या 199,812,341 थी, जिसके अनुसार 77.73 प्रतिषत ग्रामीण एवं 22.27 प्रतिषत नगरीय क्षेत्रो में निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद बाराबंकी की कुल जनसंख्या 3,260,699 थी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रो मे तथा 8,52,917 जनसंख्या नगरीय क्षेत्र मे निवास करती है।जनपद बाराबंकी की अधिकांष जनसंख्या का जीवन यापन अधिक तापमान, बाढ, सूखा, तुफान, ओलावृष्टि आदि मौसम की विभीषिकाओं से प्रभावित होता है। ग्रीष्म ऋतु में जनपद बाराबंकी का तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री या ऊपर तक पहुच जाता है।

जब वातावरणीय तापमान 37 डिग्री से0 तक रहता है तो मानव शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नही पडता है। जैसे ही तापमान 37 डिग्री से0 से ऊपर बढता है तो हमारा शरीर वातावरणीय गर्मी को शोषित कर शरीर के तापमान को प्रभावित करने लगता है। अधिक नमी वाले स्थानों पर 37 डिग्री से0 पर भी शरीर पर दुष्प्रभाव होने लगता है।

हीट वेव की परिभाषा–

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार लम्बे समय तक अत्यधिक गर्म मौसम बरकरार रहने से हीटवेव बनता है, हीटवेव असल में एक स्थान के वास्तविक तापमान और उसके सामान्य तापमान के बीच के अन्तर से बनता है। मौसम के अनुसार यदि किसी स्थान का तापमान लगातार 05 दिन तक सामान्य स्थानीय तापमान से 05 डिग्री से0 अधिक बना रहे अथवा लगातार 02 दिन तक 46 डिग्री से0 से अधिक का तापमान बना रहे तो उसे हीटवेव या लू कहते है।

हीटवेव से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं/रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोपचार–

हीट वेव से प्रभावित व्यक्तियों मे निम्न अवस्थायें प्रकट होती है–

- **सन बर्न**– सन बर्न से प्रभावित व्यक्तियों की त्वचा मे लालिमा, दर्द, सूजन, फफोले, बुखार तथा सरदर्द होता है। ऐसी स्थिति मे साबुन का उपयोग करते हुए शावर आदि मे स्नान कराना चाहिए ताकि तेल से

बन्द रंध्र खुल जाए और शरीर प्राकृतिक रूप से शीतल हो सके। यदि फफोले पाए जाते है तो सूखे विसंक्रमित ड्रेसिंग का उपयोग तथा चिकित्सकीय सलाह लें।

- **हीट क्रैम्प**– उदरीय मांस पेषियों तथा हाथ पैर की तकलीफदेह एंठन (स्पाज्म), ज्यादा पसीना आना लक्षण प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति मे पीडित व्यक्ति को ठण्डे तथा छायादार स्थान पर ले जाए, कैम्पिंग मांसपेषियों पर दबाव डालें तथा ऐंठन से आराम हेतु हल्की मालिष करें। पानी की बूंद बूंद पिलाये। यदि जी मचले तो पानी देना बन्द कर दे।
- **हीट एक्र्जासन**– हीट वेव से प्रभावित व्यक्तियों को अत्याधिक पसीना आना, कमजोरी, त्वचा ठण्डी पीली, चिप–चिपी, सरदर्द, सामान्य तापमान संभव, बेहोषी तथा उल्टी होती है।

  ऐसी स्थिति मे ठण्डे स्थान पर मरीज को लेटायें। वस्त्र को ढीला करे। ठण्डे कपडे का उपयोग करे, मरीज को पंखा करें या वातानुकूलित स्थान में ले जाए। पानी की बूंद बूंद करके पिलाये यदि जी मचले तो इसे देना बन्द कर दें। यदि उल्टी होती है तो 108 नम्बर की एम्बुलेंस द्वारा राजकीय चिकित्सालय मे भर्ती करायें।
- **हीट स्ट्रोक (सन स्ट्रोक)**– प्रभावित व्यक्तियों में उच्च शारीरिक तापमान होगा (106 डिग्री फारे0 या अधिक) गर्म शुष्क त्वचा, तेज जोरदार नाड़ी (पल्स), बेहोषी आना तथा मरीज को पसीना आना बन्द हो जाए। ऐसी स्थिति में मरीज को तत्काल ठण्डे वातावरण मे ले जाना चाहिए या बर्फीले पानी की स्पजिंग करते हुए 108 नम्बर की एम्बुलेंस द्वारा तत्काल नजदीकी राजकीय चिकित्सालय मे भर्ती करायें। विलम्ब प्राण घातक साबित हो सकता है।

हीटवेव के प्रभावो को कम करने हेतु निम्न उपाय किए जा सकते है–

- हीटवेव एक प्रमुख जन स्वास्थ्य जोखिम है। इसलिए जगह–जगह पर प्याऊ की व्यवस्था कराना।
- स्थान–स्थान पर जन शीतक (कूलिंग) स्थानों का स्थापित किया जाना।
- विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा हीटवेव से सम्बन्धित चेतावनी जारी करना।

हीट वेव से प्रभावित मृतकों की पहचान– हीट वेव से होने वाले मृतकों एवं परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक राहत प्रदान की जाती है। अतः मृत्यु के कारण की पहचान किया जाना अति आवश्यक है। जिसके लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते है–

- मौसम विभाग के सहयोग से विशेष स्थान तथा समय के अधिकतम तापमान को ज्ञात कर दर्ज किया जाये।
- रोग सम्बन्धी घटनाओं (डिजीज इंसीडेन्स), पंचनामा तथा दूसरे गवाहों या प्रमाणो या वर्बल ऑटोप्सी दर्ज करना।
- कारणों सहित पोस्ट मार्टम, चिकित्सीय जॉच की रिर्पोट।
- स्थानीय अधिकारी या स्थानीय निकाय द्वारा पूछताछ/सत्यापन रिर्पोर्ट।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा हीट वेव से बचाव एवं नियंत्रण हेतु कार्यवाही

1. जनपद के सभी सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्रों एवं मुख्यालय पर स्थापित संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष मे कार्यरत चिकित्सा अधिकारी/पैरामेडिकल स्टाफ हीट वेव से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आकस्मिकता की स्थिति मे निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगें। जनपद मुख्यालय पर स्थापित संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या– 05248–224849 है। हीट वेव से सम्बन्धित बीमारियों के बचाव एवं नियंत्रण हेतु आर0आर0टी0 की स्थापना कर दी गई है।
2. सभी प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर समुचित मात्रा में निरोधात्मक एवं उपचारात्मक औषधियों (एन्टीडायरियल, एन्टीइमेटिक, एन्टीपायरेटिक, आई0/ईयर ड्राप, एन्टीफंगल स्किन क्रीम इत्यादि) तथा महामारियों से नियंत्रण हेतु वॉछित दवाओं एवं प्रचुर मात्रा मे आई0वी0 फ्लूड, ओ0आर0एस0 पैकेट व क्लोरिन टैबलेट की उपलब्धता सुनिष्चित कर दी गई है।
3. प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एन्टी स्नेक वेनम इन्जेक्शन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा दिया गया है।
4. जनपद के सभी पेय कूपो का विसंक्रमण तीन चरणों में कराये जाने हेतु निर्देषित किया जा चुका है।
5. जिला चिकित्सालय बाराबंकी *में* हीट वेव से ग्रसित रोगियों हेतु विशेष चिकित्सा व्यवस्था हेतु निर्देषित किया जा चुका है।

6. कटे–सडे गले फल, खुले खाद्य पदार्थ एवं गन्ने/ फलो के रस पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् नवाबगंज एवं समस्त नगर पंचायत को प्रभावी नियंत्रण हेतु सूचित कर दिया गया है।
7. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारी पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नही छोडेगा अन्य आवश्यक परिस्थितियों में वैकल्पिक व्यवस्था के उपरान्त ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
8. हीट वेव से प्रभावित व्यक्तियों के पाये जाने पर सम्बन्धित सामु0/प्रा0स्वा0 उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए तत्काल रिर्पोट जनपद मुख्यालय बाराबंकी को प्रेषित करना सुनिष्चित करे।
9. जनपद मुख्यालय स्तर पर 02 एम्बुलेन्स एवं शेष समस्त सामु0स्वा0केन्द्रो पर 108 के माध्यम से एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिष्चित कर दी गयी है।
10. हीट वेव/लू से बचाव हेतु क्या करे/क्या न करे का प्रचार–प्रसार आषा एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा करने हेतु निर्देषित किया जा चुका है।
11. भीड–भाड वाले स्थानों पर जनमानस हेत शीतल एवं शुद्व पेय जल की व्यवस्था करने हेतु निर्देषित किया जा चुका है।
12. गर्मी से बचाव हेतु शेलटर्स की व्यवस्था करने हेतु निर्देषित किया जा चुका है।
13. अस्पतालो एवं हेल्प सेंटर्स में पावर सप्लाई की व्यवस्था सुनिष्चित करने हेतु निर्देषित किया जा चुका है।
14. हीट स्ट्रोक से बचाव के लिये जन सुचना जारी किये जाने के साथ–साथ आपातकालीन स्थिति के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किये जाने हेतु निर्देषित किया जा चुका है।
15. कोविड–19 की स्थिति के दृष्टिगत सामाजिक दूरी किये जाने, साबुन एवं पानी की उपलब्धता एवं समुचित सैनीटाइजेशन की व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देषित किया जा चुका है।

हीट वेव/लू से बचने के लिये क्या करे–क्या न करे

हीटवेब की स्थिति शरीर की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इसके असर को कम करने के लिए और लू से होने वाली मौत की रोकथाम के लिए निम्नलिखि्त सावधानिया बरतें/क्या करें–क्या न करें।

क्या करें–

- जितनी बार हो सके पानी पिये, प्यास न लगे तो भी पानी पियें।
- यात्रा करतें समय पीने का पानी अपने साथ अवष्य ले जायें।
- हल्के रंग के ढीले–ढाले सूती कपड़ें पहने। धूप से बचने के लिए गमछा, टोपी, छाता, धूप का चश्मा, जूते और चप्पल का इस्तेमाल करें।
- सफर में अपने साथ पानी रखे।
- ओ0आर0एस0, घर में बने पेय पदार्थ, का उपयोग करें।
- अगर आपका काम बाहर का हो तो टोपी, गमछा या छाता का इस्तेमाल करें और गीले कपड़ें को अपने चेहरे सिर और गर्दन पर रखे।
- अगर आप की तबियत ठीक न लगे तो तुरन्त डाक्टर से सम्पर्क करें।
- पेय जल जैसे कि लस्सी, नारियल पानी, नीबूंपानी, छाछ/आम का पना आदि का सेवन करें।
- जानवरो को छांव में रखे ओर उन्हें खूब पानी पिलाये।
- अपने घर को ठण्डा रखे, परदे आदि का इस्तेमाल करे, रात में खिड़कियों को खुली रखे।
- फैन, गीले कपड़े का उपयोग करें। ठण्डे पानी से बार–बार नहाये।
- शरीर को ढक कर रखे।
- हल्के रंग के पसीना शोषित करने वाले वस्त्र पहनें।
- यथा संभव अधिक से अधिक अवधि के लिये घर एवं कार्यालय के अंदर रहें।

क्या न करें–

- कड़ी धूप में बाहर न निकले, खास कर 12 बजे से 3 बजे के बीच में।
- ज्यादा तापमान में कठिन काम न करें।
- शराब, चाय, काफी जैसी पेय पदार्थो का सेवन न करे जो आप के शरीर को निर्जलित कर सकती है।
- ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन का सेवन न करे।

- बच्चों और पालतू जानवरो को पार्क किये हुए वाहनो में न छोड़े।
- गहरे रंग के भारी तथा तंग कपडें न पहनें।
- बच्चो तथा पालतू जानवरों को खडी गाडियों में न छोडें।
- जब बाहर का तापमान अधिक हो तब श्रमसाध्य कार्य न करें।

लू लगने पर क्या करें–कुछ सुझाव

- लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटा दे।
- ठंडे गीले कपड़े से शरीर पोछें या फिर ठण्डें पानी से नहलाये।
- सामान्य तापमान का जल सिर पर डाले। ध्यान रखे कि जिससे शरीर का तापमान कम हो जाये।
- व्यक्ति को नीबू पानी या नारियल पानी पीने को दे जो कि शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ा सके।
- व्यक्ति को तुरन्त नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाये। चूंकि लू जानलेवा भी हो सकता है अतः तुरन्त अस्पताल में भर्ती करना आवष्यक है।
- गर्भवती/दुग्धपान करा रही महिलाओं, 05 वर्ष से कम बच्चों, वृद्ध एवं अपंगों को लू चलने की स्थिति मे घर से बाहर न निकलने दे।

नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों हेतु निर्देशन–

1. कार्यस्थल पर शीतल पेयजल की व्यवस्था करें तथा कर्मियों को प्रत्येक 20 मिनट की अवधि पर जल का सेवन करने हेतु कहें ताकि उनके शरीर में जल की कमी न हो।
2. कर्मियों को सीधे सूर्य की रोषनी से बचने हेतु सावधान करें।
3. कर्मियों हेतु छायादार कार्यस्थलों का प्रबन्ध करें, इस हेतु कार्य स्थल पर अस्थाई शोल्टर का निर्माण किया जा सकता है।
4. अधिक श्रमसाध्य तथा बाह्म वातावरण में (Outdors) किये जाने वाले कार्यो को दिन के ठंडे समय पर किए जाने हेतु प्रबंध करेंए जैसे सुबह अथवा शाम के समय। बाह्म वातावरण में किये जाने वाले कार्य हेतु विश्राम की अवधि तथा आवृत्ति को बढ़ाएं–प्रत्येक घंटे के श्रमसाध्य कार्य के उपरान्त न्यूनतम 5 मिनट का विश्राम।
5. तापमान के अधिक होने पर कर्मियों की संख्या बढ़ायें अथवा कार्य की गति को धीमा करें।
6. अधिक तापमान के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य स्थितियों के लक्षणों तथा अधिक तापमान से संबंधित रोगों के खतरों को बढ़ाने वाले कारकों को पहचानने हेतु कर्मियों को प्रषिक्षित करें। इसी के साथ हीट स्ट्रेस के लक्षणों को पहचानने हेतु सहयोगी तंत्र "Buddy System" प्रारम्भ करें क्योंकि अनेक बार प्रभावित व्यक्ति अपने लक्षणों को स्वयं नहीं पहचान पाते हैं।
7. कार्यस्थल पर प्रषिक्षित प्राथमिक सहायता कर्मी (फसर्ट ऐड वर्कर्स) उपलब्ध होने चाहिए तथा उष्णता संबंधी बीमारियों की स्थिति के लिए 'इमरजेन्सी रिस्पॉन्स प्लान' तैयार होना चाहिए।
8. गर्भवती महिलाओं तथा पहले से बीमार व्यक्तियों को अधिक तापमान की स्थिति में कार्य करने के विषय में अपने चिकित्सक से परामर्ष करना चाहिए।
9. यदि कर्मी बाह्म वातावरण में काम कर रहे हों तो हल्के रंग के कपड़ों का प्रयोग करें। उचित होगा कि पूरी बाजू की कमीज तथा पूरी लम्बाई की पैंट का प्रयोग किया जाए एवं सिर को ढक कर रखा जाए ताकि सूर्य की रोषनी के सीधे प्रभाव से बचा जा सके।
10. कर्मियों के संवेदीकरण एवं जागरूकता उत्पन्न किए जाने हेतु आवष्यक गतिविधियाँ सुनियोजित रूप से संपादित की जायें।
11. कार्यस्थल पर तापमान तथा पुनर्अनुमान बताने वाली डिस्प्ले लगाए जाए जाने चाहिए।
12. अत्यधिक तापमान के प्रभाव तथा इनसे बचाव के विषय में सूचना देने वाले पंफलेट्स का वितरण कर्मियों में किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में प्रषिक्षण हेतु नियोक्ताओं एवं कर्मियों के प्रषिक्षण हेतु सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।
13. गर्भवती महिला कर्मियों तथा रोगग्रस्त कर्मियों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए।
14. जनपद बाराबंकी में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाए मुख्य रूप से शहरी व ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य केन्द्रों तथा इन केन्द्रो की सेवाओं व क्षमता के आधार पर निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत है :–
15. शहरी क्षेंत्र मे उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं (सरकारी/निजी)–

क0सं	स्वास्थ्य केन्द्र का नाम व पता	केन्द्र अधीक्षक	बेड	इमरजेंसी	आपरेशन	एम्बुलें	दूरभाष

0			सं0		थ्रियेटर	स	
1	श्री रफी अहमद किदवई मेमोरियल जिला चिकित्सालय, बाराबंकी।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	140	हॉ	हॉ	हॉ	8005192758
2	जिला महिला चिकित्सालय, बाराबंकी।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका	100	हॉ	हॉ	हॉ	8005192757
3	हिन्द इन्सटीट्यूट एण्ड मेडिकल साइंस बाराबंकी।	अधीक्षक	710	हॉ	हॉ	हॉ	9335247692
4	मेयो इन्सटीट्यूट एण्ड मेडिकल साइंस बाराबंकी।	अधीक्षक	415	हॉ	हॉ	हॉ	8935002628

क्र0सं0	स्वास्थ्य केन्द्र का नाम व पता	दूरभाष
1	जैन नर्सिंग होम, मुशीगंज, बाराबंकी।	9415048611
2	बाराबंकी नर्सिंग होम, सिविल लाइन बाराबंकी	9415048711
3	अम्बिका नर्सिंग होम, लखपेड़ाबाग, बाराबंकी	9935893556
4	फरान हास्पिटल, नाका पैसार, बाराबंकी	9450302822
5	जी0बी0एस0 नर्सिंग होम बाराबंकी।	9415075747
6	देवा नर्सिंग होम, बाराबंकी	9935854923
7	कृष्णा नर्सिंग होम बाराबंकी।	9415059321
8	अपूर्वा सर्जिकल एण्ड मेटरनिटी सेन्टर बाराबंकी।	9415048787
9	कृष्णा मेटरनिटी सेन्टर एण्ड हास्पिटल बाराबंकी।	8432170676
10	आस्था हास्पिटल एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बाराबंकी।	9935404042
11	नेल्सन हास्पिटल बाराबंकी।	9335299787
12	निरंजन हास्पिटल, बाराबंकी	9450745241
13	असरा हास्पिटल बाराबंकी।	9415425160
14	संजीवनी हास्पिटल बाराबंकी।	7398639191
15	आहूजा नर्सिंग होम बाराबंकी।	9415005649
16	लक्ष्मी अस्पताल बाराबंकी।	9454199217
17	न्यू सेवा हास्पिटल पल्हरी चौराहा बाराबंकी।	7007906319
18	जीवन हास्पिटल विजय नगर बाराबंकी।	8577906800
19	निदान हास्पिटल मुंशीगंज बाराबंकी।	9415595590
20	श्याम हास्पिटल शहर, बाराबंकी	9450121827
21	मन हास्पिटल, शहर बाराबंकी	8382800482
22	आमिना पाली क्लीनिक, शहर बाराबंकी	9696195339
23	शान्ति पाली क्लीनिक, शहर बाराबंकी	9455804125
24	सदगुरू हास्पिटल, शहर बाराबंकी	8004971000
25	ओम नर्सिंग होम, शहर बाराबंकी	9415158490
26	अजंता पाली क्लीनिक, शहर बाराबंकी	7897176980
27	डी0के0 हास्पिटल, शहर बाराबंकी	9695897040
28	चरक हास्पिटल, शहर बाराबंकी	9839421650
29	रूद्रांश हास्पिटल, शहर बाराबंकी	8853935024
30	मेडीवे हास्पिटल, बाराबंकी	9838136999
31	मानव सेवा हास्पिटल, बाराबंकी	7007635098

16.मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी के अधीन कार्यरत अपर/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं सरकारी अस्पताल के अधीक्षक–

1	डा0 अवधेश कुमार यादव	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	8005192641
2	डा0 राजीव टण्डन	जिला क्षय रोग अधिकारी	6394609679
3	डा0 राधेश्याम स्वामी	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	**9919791113**
4	डा0 डी0के0 श्रीवास्तव	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रशासन/आर0सी0एच0	9450773023
5	डा0 अतुलेश सरन गौतम	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भण्डार	7897716676
6	डा0 राजीव कुमार सिंह	जिला प्रतिरक्षण अधिकारी	9984484875
7	डा0 एन0 कमाल	उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी, एफ0आर0यू0	**7905212108**
8	डा0 लवभूषण गुप्ता	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नगर स्वास्थ्य अधिकारी	**9415506697**
9	डा0 राजीव दीक्षित	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर0सी0एच0	9670925838

10	डा0 आफताब अंसारी	उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी	7668878547
11	डा0 पंकज चौधरी	पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट	8009514521
12	डा0 सुरेन्द्र कुमार	उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी	9140335822
13	सुश्री सुजाता ठाकूर	जिला मलेरिया अधिकारी	9450095092
14	डा0 संजय बाबू	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	9919024590
15	डा0 मुकेश कुंमार	प्रभारी संक्रामक रोग नियंत्रण इकाई, बाराबंकी	9451896133
16	डा0 प्रणव श्रीवास्तव	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र रामनगर	8174807968
17	डा0 मुकुन्द पटेल	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र परीवां एट शुम्भा	9559305918
18	डा0 हरप्रीत सिंह	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र त्रिवेदीगंज	9936633783
19	डा0 अवनीश चौधरी	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र फतेहपुर	7269086590
20	डा0 अमरेश कुमार	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र राम सनेही घाट	7571905666
21	डा0 कुमार संजय पाण्डेय	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र सिद्धौर	8933004525
22	डा0 संजय कुमार गुप्ता	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र सहादतगंज	9793955585
23	डा0 सन्तोष कुमार सिंह	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र सिरौलीगौसपुर	7800786070
24	डा0 राजर्षि त्रिपाठी	अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र सूरतगंज	9451607076
25	डा0 संजीव कुमार	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र कोठी	7388695165
26	डा0 विजय कुमार	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र टिकैतनगर	9415068319
27	डा0 ओमप्रकाश	अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र सुबेहा	9554209460
28	डा0 आर0पी0 वर्मा	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र घुंघटेर	9307059041
29	डा0 राधेश्याम गौड	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र जॅहागीराबाद	8858473096
30	डा0 कुलदीप कुमार	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र जाटा बरौली	8090018000
31	डा0 संजीव कुमार	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र बडागांव	7275490607
32	डा0 सुशील कुमार सरोज	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र जैदपुर	7068754789
33	डा0 नितीश सिंह	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र सतरिख	9450720217
34	डा0 सौरभ शुक्ला	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र हैदरगढ	9580768287
35	डा0 अविचल भटनागर	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र देवा	9871291297
36	डा0 अमित दुबे	अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र दरियाबाद	9935252009

● बेसिक शिक्षा विभाग -:

बेसिक शिक्षा विभाग

जनपद में हीट बेव से बचाव सम्बंधी कार्ययोजना–2025–26

जनपद जनपद बाराबंकी मे 15 विकास खण्ड एंव नगर क्षेत्र में 1775 प्राथमिक विद्यालय एवं 474 पूर्व तथा 369 कम्पोजिट विद्यालय अर्थात् कुल 2618 विद्यालय संचालित हैं। खण्ड शिक्षा अधिकारियो के माध्यम से हीट बेव से बचाव के लिये जन–जागरूकता व प्रचार–प्रसार किया जा रहा है,जिसके क्रम में–

1–परिषदीय अध्यापको के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया गया कि कडी धूप में बाहर न निकले।
2–अधिक से अधिक गर्मी मे पानी पीये। प्यास न लगे तो भी पानी पिये।
3–धूप से बचने के लिये गमछा,टोपी ,छाता ,जूते व चप्पल का प्रयोग करे।
4–अगर आप की तबियत ठीक न लगे तो तुरंत चिकित्सक को दिखाये।
5–अपने घर को ठण्डा रखे,परदे आदि का इस्तेमाल करें,रात में खिडकियो को खुली रखे।
6–सभी विद्यालयों में हीट वेव के सम्बंध में कार्टून फिल्म दिखाई जाने की व्यवस्था की गयी है।
7–पैम्फलेट के माध्यम से बच्चों व उनके अभिभावकों को जागरूक किया जायेगा।

लू लगने पर क्या करे–उपाय बताया गया।

1–लू लगने पर व्यक्ति को छांव में लिटा दें।
2–ठंडे गीले कपडे से शरीर से को पूछे या फिर ठण्डे से पानी से नहलाये।
3–व्यक्ति को नींबू पानी या नारियल पानी पीने को दिया जाय ताकि शरीर में पानी की मात्रा को बढा जाय।
4–व्यक्ति को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाय।

• अग्निशमन विभाग-:

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाराबंकी

महोदय,

कृपया आपके पत्र संख्याः 6117/राहत लिपिक/गर्मी/हीटवेव दिनांकः 22.02.2025 के अनुपालन में अवगत कराना है कि जनपद के समस्त अग्निशमन केन्द्रों पर फायर टेण्डर सदैव कार्यशील दशा में रहते हैं, जिन्हें आपात काल की सूचना पर तत्काल घटना स्थल हेतु रवाना कराया जाता है एवं अन्य अपेक्षित सूचनायें बिन्दुवार निम्नलिखित हैंः–

जनपद के अग्निशमन केन्द्रों के नाम तथा उनके कण्ट्रोल रूम में उपलब्ध सीयूजी नम्बर

क0सं0	अग्निशमन केन्द्र का नाम	सीयूजी नम्बर
1	बाराबंकी	9454418727
2	रामसनेही घाट	9454418728
3	सिरौलीगौसपुर	9454418730
4	हैदरगढ	9454418733
5	फतेहपुर	9454418734
6	रामनगर	9454418731

जनपद के अग्निशमन केन्द्रों में उपलब्ध वाटर टेण्डरों की संख्या

क0	अग्निशमन केन्द्र का नाम	उपलब्ध वाटर टेण्डर	संख्या
1	बाराबंकी	वाटर टेण्डर टाइप बी बड़ा क्षमता 5000 लीटर	01
		वाटर टेण्डर टाइप बी बड़ा क्षमता 2500 लीटर	01
		फोम टेण्डर 4500 लीटर	01
2	रामसनेही घाट	वाटर टेण्डर टाइप बी बड़ा क्षमता 4500 लीटर	01
		फायर क्विक रिस्पांस व्हीकल	01
3	सिरौलीगौसपुर		
4	हैदरगढ	वाटर टेण्डर टाइप बी बड़ा क्षमता 2500 लीटर	01
5	फतेहपुर	वाटर टेण्डर टाइप बी बड़ा क्षमता 2500 लीटर	01
6	रामनगर	वाटर टेण्डर विद हाई प्रेशर पम्प क्षमता 2500 लीटर	01

अग्निशमन केन्द्रों पर अग्निशमन कार्य हेतु स्थापित स्टेटिक टैंकः–

1. अग्निशमन केन्द्र बाराबंकी परिसर में 01 अदद
2. अग्निशमन केन्द्र हैदरगढ–बाराबंकी परिसर में 01 अदद
3. अग्निशमन केन्द्र रामसनेही घाट–बाराबंकी परिसर में 01 अदद
4. अग्निशमन केन्द्र सिरौलीगौसपुर–बाराबंकी परिसर में 01 अदद
5. अग्निशमन केन्द्र रामनगर–बाराबंकी परिसर में 01 अदद

क0	नलकूप कहॉ पर स्थित है स्थान	नलकूप की दशा	टिप्पणी
1	पम्प सं0 1 सरस्वती स्वीटहाउस के पास	कार्यशील	फ्लैन्च लगा है
2	पम्प सं0 3 सत्यप्रेमी नगर बाराबंकी	कार्यशील	फ्लैन्च लगा है
3	पम्प सं0 5 बहराम घाट चुंगी नाका बाराबंकी	कार्यशील	फ्लैन्च लगा है
4	पम्प सं0 6 नागेश्वरनाथ बाराबंकी	कार्यशील	फ्लैन्च लगा है
5	पम्प सं0 7 कम्पनी बाग	कार्यशील	फ्लैन्च लगा है
6	पम्प सं0 8 जनेस्मा पी0जी0 कालेज बाराबंकी	कार्यशील	फ्लैन्च लगा है
7	पम्प सं0 10 उपभोग्ता भण्डारण नेबलेट तिराहा	कार्यशील	फ्लैन्च लगा है
8	पम्प सं0 11 टण्डन फुलवारी पीरबटावन	कार्यशील	फ्लैन्च लगा है
9	कस्बा हैदरगढ बछरावॉ चौराहा के पास	कार्यशील	फ्लैन्च लगा है
10	कस्बा फतेहपुर कोतवाली रोड के पम्प हाउस	कार्यशील	फ्लैन्च लगा है

अन्य प्रतिष्ठानों में अग्निशमन हेतु पानी की उपलब्धताः–

1– वेवको लिमिटेड देवां रोड बाराबंकी।

2– रिलाइन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड देवां रोड बाराबंकी।

3– उ0प्र0 राज्य स्पिनिंग मिल देवां रोड बाराबंकी।

4– वाणिज्यकर कार्यालय बाराबंकी।

5– कोका कोला वॉटलिंग प्लॉट सफेदाबाद बाराबंकी।

6– गोविन्द इण्डस्टीज दशहरा बाग, हैदरगढ रोड़ बाराबंकी।

7– गोविन्द इण्डिया मंजीठा हैदरगढ रोड़ बाराबंकी।

9– हैदरगढ चीनी मिल पोखरा बाराबंकी।

10– जनपद के कोल्ड स्टोरेजों से।

• पशुपालन विभाग-:

पशुपालन विभाग, जनपद बाराबंकी

सूखा प्रबन्धन/गर्मी/लू से बचाव व इसके प्रभावों को कम करने हेतु कार्ययोजना

वर्ष 2025–26

01– जनपद बाराबंकी एक दृश्टि—जनपद की उत्तरी सीमा पर गोण्डा व बहराइच पश्चिम में सीतापुर व लखनऊ, दक्षिण में सुल्तानपुर, अमेठी एवं रायबरेली जिले स्थिति है तथा पूरब में अयोध्या जिला स्थिति है। जनपद बाराबंकी कृषि के साथ पशुपालन करने के रूप में जाना जाता है। जनपद बाराबंकी के वर्तमान स्वरूप के आलोक में उपलब्ध आधारभूत आकड़े निम्नवत है–

तहसील–	06
विकास खण्ड–	15
न्याय पंचायत–	136
ग्राम पंचायत–	1169
कुल ग्राम–	1845

02– जनपद बाराबंकी के **पशुपालन** विभाग की संस्थायें इस प्रकार है–

पशु चिकित्सालय–	37
'द' श्रेणी औषधालय–	01
पशु सेवा केन्द्र–	65
कुल कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र–	103
सचल **पशु** चिकित्सालय–	01

03– जनपद में पशुधन का विवरण (20वी पशुगणना के आधार पर)–

गौवंशीय **पशु** –	324762
महिषवंशीय **पशु** –	508830
भेंड़–	400
बकरी/बकरा–	229206
सूकर–	5646
कुल योग–	1068844

04–प्रस्तावना :–यह सर्वविदित है कि भारत में सूखा/हीट वेव माह अप्रैल से जून तक रहती है। इस हीट वेव/सूखा से जन जीवन व पशुधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा पशुधन की हानि भी हो सकती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पशुपालकों के जीवन पर आर्थिक दृष्टि से पड़ता है।

05– सूखा/हीट वेव/गर्म हवा/लू से बचाव व इसके प्रभावों को कम करने हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु :–

1 पशुओं को सीधे धूप वाले स्थान में न रखें। पशुओं को चराई हेतु प्रातः एवं सायंकाल में ही भेजें।

2 पशुओं को ऊपर से ढके हुये छप्पर, टीन शेड वाले स्थानों में रखें तथा यह विशेष ध्यान रखें कि रोशनदान, दरवाजों एवं खिडकियों को टाट/बोरे से ढक दें जिससे सीधी हवा का झोका पशुओं तक न पहुचॅ सके तथा टाट/बोरे पर पानी का छिड़काव करते रहे।

3 पशुओं को छाया में बाधे और उन्हें पर्याप्त मात्र में पानी/तरल पदार्थ पिलाये।

4 कन्संद्रेट संतुलित आहार पशुओं को दें तथा खली, दाना, चोकर की मात्रा को बढा दें साथ ही नमक एवं गुण का प्रयोग करें।

5 धूप में ज्यादा देर तक रखा गरम पानी न पिलाये। स्वच्छ ताजा पानी हैण्डपम्प या कुओं से ही पिलाये। पोखरो का पानी कदापि न पिलाये।
6 पशु बाड़े में गोबर एवं मूत्र निकासी की उचित व्यवस्था करें।
7 विशेष तौर पर प्रातः 10 बजे अपरान्ह 4 बजे के बीच सूर्य के ताप से पशुओं को बचाये उन्हें खुले स्थान पर धूप में न खडा रखें।
8 स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान को रेडियो/टी0बी0 परसुने और आगामी तापमान में होने वाले परिर्वतन के प्रति सतर्क रहें।
9 लू से प्रभावित पशु के शरीर में बुखार के लक्षण होते है, तो तत्काल निकटवर्ती पशु चिकित्सक को दिखाये ।
10 समक्ष पशुपालक पशुशाला में स्पिंक्लर के द्वारा जल का छिड़काव करें एवं पंखों का उपयोग करें।
11 मुर्गियों के फार्म पर खिड़कियों से 2 फीट की दूरी पर गीले बोरे के पर्द लगा दें तथा पर्याप्त मात्रा में जल एवं राशन की मात्रा रखें।
12 रात्रि में पशु/पक्षियों के रहने के स्थानों की खिड़कियॉ खोल दें।
13 दिन में कम से कम 4–5 बार अपने पशुओं को ताजा पानी पिलाते रहें।
14 सुबह शाम अपनें पशुओं को नहलावें।

06– बीमारी से बचाव/रोग नियन्त्रण एवं उपचार :–सूखा/हीटवेव से प्रभावित पशुओं का प्राथमिक उपचार/उपचार किया जायेगा। हीटवेव से प्रभावित पशुओं में निम्न अवस्थायें प्रकट होती है।

1 सनबर्न :–पशुओं की त्वचा लाल हो जाती है, त्वचा में सूजन हो जाती है, बुखार हो जाता है, ऐसी स्थिति में ताजे पानी से त्वचा को साफ किया जायेगा

2 हीट क्रैम्पस :–पैरों, उदर की मॉस पेशियों में दर्द होता है। ऐसी स्थिति में पशुओं को छायादार स्थान पर रखा जायें तथा पशुओं की हल्की मालिश की जाय ताकि दर्द समाप्त हो जाये, पानी पिलायें।

3 हीट स्ट्रोक/सन स्ट्रोक :–पशुओं को उच्च तापमान होगा (105^0F–106^0F), त्वचा सूखी हो जायेगी। नाड़ी की गति तेज होगी। पशु को बेहोशी आ सकती है। ऐसी अवस्था आने पर पशुओं को तत्काल छायादार स्थान पर बांधना चाहियें। ताजे ठन्डे पानी से स्पंजिंग करनी चाहिये ताकि शरीर का तापक्रम कम हो जायें।

4 संक्रामक रोगो से बचाव :– सूखा के दौरान जीवन रक्षक औषधियां तथा सोडियम थायोसल्फेट की अपने अधीन प्रत्येक पशु चिकित्सालयों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। सूखा सम्भावित क्षेत्रों के पशुओं को संकामक रोग से बचाव हेतु प्राथमिकता के आधार पर रोस्टर बना कर टीम के माध्यम से गलाघोटू बीमारी से बचाव का कार्य किया जायेगा। इस दौरान होने वाले संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु पशुओं में रोगो से बचाव हेतु एच0एस0, बी–क्यू एवं एफ0एम0डी0 आदि का टीकाकरण का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

5 पशु राहत शिविर :– सूखा के दौरान राहत शिविर की व्यवस्था ऐसे क्षेत्रों में की जायेगी जहॉ पानी,दाने एवं भूसे/चारे की उपलब्धता हो तथा चिकित्सा एवं अन्य सुविधा भी उपलब्ध रहें। इस कार्य हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के नवीनतम मानक दिनांक 08.4.2015 के अनुसार बडे पशु के लिए रू0 70.00 प्रतिदिन प्रति पशु एवं छोटे पशु के लिए रू0–35.00 प्रतिदिन प्रति पशु की अनुमन्यता की गयी है।

07– पशुओं हेतु पीने के पानी की व्यवस्था :–सूखा/हीटवेव चलने के दौरान पशुओं एवं पक्षियों हेतु पीने के पानी की परम आवश्यकता होती है, जिसके लिये सिचाई विभाग एवं जिला प्रशासन की सहायता से तालाबो/पोखरो/झीलो आदि में पानी भरने की व्यवस्था किया जायेगा।

08– पशुओं के लिये हरे चारे एवं दाना आदि की व्यवस्था :– सूखा के समय पशु आहार एवं चारे/भूसे की अधिक मॉग के कारण दर में अप्रत्याशित वृद्वि देखी गयी है, जिसके दौरान पशुओं को हरे चारे की तत्काल आवश्यकता पड़ेगी ताकि शरीर में पानी की कमी न होने पायें। पशु चिकित्साधिकारियों के माध्यम से पशु पालकों को जागरूक किया जायेगा कि वह अपने पशुओं को हरा चारा भी उपलब्ध करायें। ज्यादा गर्मी व पर्याप्त सिंचाई के अभाव में चरी में हाइड्रोसायनिक एसिड विषाक्तता होने का खतरा रहता है। अतः पशुपालकों को चरी की बराबर सिंचाई के लिये प्रेरित किया जायेगा एवं प्रचार–प्रसार किया जायेगा। फिर भी किसी आकस्मिकता से निपटने के लिये आवश्यक सोडियम थायोसल्फेट व अन्य दवाईयों की व्यवस्था कर ली गयी है। साथ ही जनपद में भूसा की आवश्यकता/मॉग के अनुरूप भूसा व्यापारी/व्यापरियों से एफ0ओ0आर0 आधारित दर अनुबन्ध की कार्यवाही कर आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है।

09– यूरिया मोलैसेस ब्लाक का विवरण :–सूखा/हीटवेव के दौरान प्रभावित पशुओं के दुग्ध उत्पादन में गिरावट आ जाती है तथा उनके शरीर में खनिज लवणों का अभाव हो जाता है। अतः इस दौरान पशु स्वास्थय एवं उत्पादन में बढ़ोत्तरी हेतु पशुओं को यू0एम0बी0 लिक्स ब्लाक की आवश्यकता पड़ेगी ।

10–सूखा/हीटवेव में पशु की मृत्यु हो जाने पर :–ऐसी स्थिति निर्मित होने पर दैवी आपदा के नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। मृत पशु/पशुओं का नियमानुसार पोस्टमार्टम परीक्षण करते हुये रिर्पोट सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को प्रदान की जायेगी तथा नियमानुसार पशु की क्षतिपूर्ति दिलवायी जायेगी।

11– सूखा/हीटवेव नियन्त्रण कक्ष :–उपरोक्त वर्णित कार्ययोजना को सुगमतापूर्वक संचालन एवं स्थिति की निगरानी हेतु राजकीय पशु चिकित्सालय सदर, बाराबंकी पर हीटवेव नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी। जिसके प्रभारी डा0 सुधीर कुमार, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सदर, बाराबंकी होंगे, जिनका मो0नं0 (7678878624) है। इनकी सहायता हेतु दो कर्मचारी को नामित किया जाता है 1–श्री राकेश कुमार, वे0फार्मा0 सदर, बाराबंकी जिनका मो0न0–(8299678715) है 2– श्री राहुल वर्मा,पशुधन प्रसार अधिकारी, पशु सेवा केन्द्र–रेन्दुआ पल्हरी,बाराबंकी जिनका मो0न0–(9453121225) है।

जनपद में मोबाईल वेटनरी यूनिट संचालित है। आकस्मिक स्थिति में 1962 पर निःशुल्क काल कर के चिकित्सा की सेवा पशुपालक के द्वारा पर उपलब्ध करायी जाती है।

12–क्या करें और क्या न करें–

- क्या करें–
  - पशुओं को छायादार स्थानों पर बांधे।
  - डेयरियों पर खिड़कियों पर बोरो के पर्दे लगायें तथा पर्दो को गीला रखें।
  - पशुओं को दिन में कम से कम 4–5 बार ताजा ठण्डा पानी पिलायें।
- क्या न करें–

  गर्मी/लू के दौरान अपने पशुओं को गर्मी में विशेष रूप से दोपहर 11 बजे से 4 बजे तक बाहर चरने न भेंजे।

13 पशु की मृत्यु होने पर– गर्मी/लू के दौरान यदि पशु की मृत्यु हो जाती है तो निम्न प्रारूप पर तत्काल रिर्पोट नियन्त्रण कक्ष को प्रेषित करें तथा इसकी सूचना जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को भी दी जायेगी।

14 पशुओं की क्षति से सम्बन्धित आर्थिक सहायता–राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि(एन0डी0आर0एफ0) से सहायता हेतु मद क्रमांक–6–पशुपालन–लघु और सीमान्त कृषकों को सहायता अन्तर्गत प्रदत्त सहायता निम्नवत् प्राविधानित है–

पशुपालन–लघु और सीमान्त कृषकों को सहायता	
1.दुधारू,कृषि भारवाहक पशु प्रतिस्थापन	दुधारू पशु रू0 30000/–भैस/गाय/ऊॅट/याक/सांड या भैसा आदि। रू0 3000/–भेड/बकरी/सुअर। गैर दुधारू पशु रू0 25,000/–ऊॅट/घोडा/बैल आदि। रू0 16000/(गाय या भैस का बछडा) गधा/टट्टू/खच्चर) देय सहायता आर्थिक रूप से उपयोगी पशुओं की क्षति के लिए ही सीमित होगी। इस सहायता को देने में प्रति परिवार अधिकतम 03 बडे दुधारू पशु या 30 छोटे या 06 छोटे गैर दुधारू पशु की सीलिंग लागू चाहे प्रति परिवार अधिक संख्या में पशु क्षति हुई हो। (क्षति का प्रमाणीकरण,राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा) कुक्कुट रू0 50/–प्रति पक्षी की दर से। प्रति लाभान्वित परिवार को अधिकतम रू0–5000/– की सीलिंग तक सहायता देय होगी। कुक्कुट की क्षति प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप होनी चाहिए। नोटः–किसी अन्य सरकारी योजना में सहायता के उपलब्ध होने पर,उक्त मदों के राहत अनुमन्य नही होगी उदाहरणार्थ–एवियन इन्फलुएंजा या ऐसी अन्य बीमारी जिसमें पशुपालन विभाग द्वारा सहायता की विशिष्ट योजना लागू हो।
2.पशु कैम्पों में चारा/पशु संतुलित आहार के अतिरिक्त पानी	बडे पशु रू0 70/–प्रति दिन छोटे पशु रू0 35/– प्रति दिन राहत देने की समयावधि जैसा कि एस0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति और एन0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आंकलन करें। सहायता की सामान्य समयावधि 30 दिवस तक होगी जिसे प्रथमतः 60 दिनां की अवधि तक बढाया जा सकता है और

और दवाओं का प्राविधान	गम्भीर सूखा की स्थिति में 90 दिवस तक किया जा सकता है। स्थानीय स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारिणी समिति उक्त अवधि की तय सीमा को बढा सकती है परन्तु शर्त यह होगी कि इस मद पर होने वाला व्यय एस0डी0आर0एफ0 के वार्षिक आवंटन के 25 प्रतिशत से अधिक न हो। राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा आवश्यकता के आंकलन के आधार पर तथा एन0डी0आर0एफ0 से सहायता की दशा में केन्द्रीय दल द्वारा संस्तुति के आधार पर पशुओं का आंकलन पशुधन गणना के अनुसार हो तथा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दवाइयों तथा टीकाकरण की आवश्यकता का प्रमाणीकरण कि यह आवश्यकता आपदा से सम्बन्धित है।
3. पशु कैम्पों के बाहर रहने वाले पशुओं हेतु चारे की ढलाई।	ढलाई पर वास्तविक व्यय के आधार पर,जैसा कि राज्य कार्यकारिणी समिति आंकलन करें और एस0डी0आर0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकंलन करें। पशुओं का आंकलन पशुधन गणना के अनुसार हों।

15–प्रचार प्रसार– पशुपालकों को चरी विषाक्त्ता होने से बचाव के लिए सूखे खेत की चरी न खिलाने से,अवगत करायें तथा उपचार हेतु दवा उपलब्ध होने से भी अवगत कराया जाएगा तथा उपचार हेतु दवा उपलब्ध होने से भी अवगत कराया जायेगा।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत सूखा/हीटवेव के बचाव/राहत हेतु प्रस्तावित योजनाओं का सम्भावित व्यय विवरण

क्र0सं0	विवरण	धनराशि (रूपये में)
1	रोग नियन्त्रण एवं उपचार	27,20,000.00
2	यूरिया मोलैसेस ब्लाक का क्रय 7500X50	3,75,000.00
3	विज्ञापन एवं प्रकाशन	100000.00
4	मोटर गाडी संचालन हेतु	350000.00
योग		**35,45000.00**

पशु पालन विभाग, जनपद बाराबंकी

पशु के मृत्यु की सूचना (वर्ष 2025–26)

1 जनपद का नाम–
2 पशु की प्रजाति–
3 मृत्यु का दिनॉक व समय–
4 पशु पालक की आर्थिक स्थिति– APL ☐ BPL ☐
5 पशुपालककापता/ब्लाक/तहसील–
6 पोस्ट मार्टम करने का दिनॉक व समय–
7 क्षतिपूर्ति की स्थिति–

ह0.....
उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/
पशु चिकित्साधिकारी,
....., बाराबंकी

- **मनरेगा (श्रम रोजगार) विभाग:-**

कार्यालय उपायुक्त (श्रम रोजगार) बाराबंकी।

जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी के कार्यालय पत्र संख्या 6174/जि0आ0प्र0प्रा0राहत/हीट वेब/2025–26 दिनांक 04 अप्रैल, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से लू–प्रकोप (heat wave) से बचाव एवं राहत कार्य सुनिश्चित किये जाने तथा हीट वेब से बचाव हेतु विभिन्न उपाय किये जाने के आदेश दिये गये है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे मौसम (गर्मी) मे बदलाव के कारण ब्लाक स्तर पर आपको नोडल अधिकारी नामित करते हुए हीटवेब से होने वाले नुकसान व बचाव/राहत कार्य

को समय–समय मॉनिटर किये जाने के निर्देश है। इसी क्रम में मनरेगा अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना है :–

1– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों के लिए समय (12.00 से 03.00 बजे) हीटवेब/लू से बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

2– कार्य करने के स्थान पर पेयजल और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।

3– सार्वजनिक स्थलो पर पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।

4– श्रमिको/कामगारो के कार्य घंटो में परिवर्तन किया जाये।

अतः जिलाधिकारी महोदय का आदेश संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपनी–अपनी Standard Operating Procedures (SOP) तैयार करते हुए हीटवेव से बचाव की कार्ययोजना तैयार कर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के ई–मेल (ddmabarabanki@gmail.com) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। साथ ही कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत भी कराये ताकि जिलाधिकारी महोदय को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा सके।

• तहसील नवाबगंजः-

तहसील–नवाबगंज जनपद बाराबंकी

1–तहसील–नवाबगंज का संक्षिप्त इतिहास/परिचय

जनपद–बाराबंकी महान सूफी सन्त हाजी वारिस अली शाह की जन्म स्थली व देवो के देव महादेव की पावन स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। तहसील नवाबगंज इसी जनपद की सदर तहसील है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सीमावर्ती भूभाग है। इस तहसील का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 92722 हे0 है। जिसके 61000हे0 भूमि पर खेती की जाती है। तहसील नवाबगंज की मुख्य फसलें गेहूँ, धान, गन्ना, ज्वार, मक्का,, आलू तथा मेंथा आदि है। फसलों के सिचाई के मुख्य साधन नहर, नलकूप तथा पम्पिंग सेट है। इसमें 401 राजस्व ग्राम अवस्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार तहसील नवाबगंज की कुल जनसंख्या–9,78,098 है। जिसकी ग्रामीण जनसंख्या 7,68,336 एवं नगरीय जनसंख्या 2,09762 है। इस तहसील के परिक्षेत्र में चार विकास खण्ड व एक नगर पालिका परिषद तथा चार नगर पंचायतें है। इस तहसील के अन्तर्गत विकास खण्ड बंकी में 62 ग्राम पंचायतें, मसौली में 56 ग्राम पंचायतें, देवा में 88 ग्राम पंचायतें एवं हरख में 76 ग्राम पंचायतें है। इस तहसील का अधिकांश भू–भाग समतल व उपजाऊ है, इस तहसील की लगभग 61000 हेक्टयर भूमि पर कृषि कार्य होता है। जिसकी सिंचाई के मुख्य साधन राजकीय नहर एवं निजी नलकूप है। इसके अतिरिक्त राजकीय नलकूप एवं तालाब इत्यादि से भी सिंचाई का कार्य होता है। देवां शरीफ में अवस्थित महान सूफी सन्त श्री हाजी वारिस अली शाह की मजार एवं वहॉ पर लगने वाला मेला तहसील का मुख्य ऐतिहासिक स्थल है। भौगोलिक दृष्टि से तहसील नवाबगंज परिक्षेत्र बड़ा ही समृद्धशाली क्षेत्र है। इसके दक्षिणी पावन पगों को गोमती नदी पखार रही है, तथा उत्तरी ललाट को कल्याणी नदी शीतलता प्रदान कर रही है, पश्चिमी छोर पर स्थित शारदा जी अपनी विशाल भुजाओं को फैलाकर सम्पूर्ण तहसील परिक्षेत्र को शीतल जल से अभिसिंचित कर रही है, इसीलिये सम्पूर्ण तहसील परिक्षेत्र वर्ष भर हरा भरा दिखायी देता है। प्राकृतिक दृष्टि से समृद्धशाली तहसील नवाबगंज में भी आपदायें बुरा प्रभाव डालने से नही चूकती है, चाहें वह 2004 का सूखा अथवा 2008 की अतिवृष्टि या 2015 की ओलावृष्टि/बेमौसम बरसात रही हों।

इस प्रकार तहसील–नवाबगंज परिक्षेत्र में अतिवृष्टि, सूखा, शीतलहरी, हीटवेव, भूकम्प, ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात, चक्रवात, ऑधी तूफान, अग्निकांड आदि आपदायें विकराल रूप धारण कर आती है। यह वह दैवी आपदायें है जिन पर समय समृद्धि और स्थान का प्रभाव नहीं पड़ता है, यह जब चाहें अपना मुँह फैला कर आ जाती है, और सम्पूर्ण जन मानस त्राहि–त्राहि करने लगता है, तभी इन सम्भावित दैवी आपदाओं से निपटने के लिये एक कुशल प्रबन्ध योजना की आवश्यकता होती है। जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस योजना के अर्न्तगत निम्न बिन्दुओं का समावेश किया गया है :–

1–आपदा प्रबन्धन योजना में सर्वप्रथम तहसील नवाबगंज की स्थिति व परिचयात्मक आकड़ों का विवरण अंकित किया गया है।

2–आपदा प्रबन्धन योजना में दैवी आपदायों में खतरों की सवेंदनशीलता, गम्भीरता का आंकलन करने का प्रयास किया गया है।

3–आपदा प्रबन्धन के खतरो से निपटने के लिये सामूहिक/संस्थागत रूप से व्यवस्थापन करने के लिये उपायों को खोजा गया है।

4–आपदा को रोकने के उपाय व बचाव हेतु उपायों का समावेश इस प्रबन्धन में किया गया है।

5–आपदा के लिये पूर्व तैयारी का आकलन व परीक्षण करने का प्रयास किया गया है।
6–खोज व बचाव कार्य के लिये प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता संवर्धन के उपायों का समावेश किया गया है।
7–आपदायों के राहत कार्य के लिये जिम्मेदार घटक तैयार किये गये है तथा राहत दिये जाने विषयक तैयारी का समावेश किया गया है।
8–आपदाओं से हुयी क्षति के आकलन के पश्चात पुनर्निर्माण, पुनर्वास एवं रिकवरी हेतु योजना तैयार करने का प्रयास किया गया है।
9–आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधनों/स्रोतों को तलाशने का भी प्रयास किया गया है।
10–आपदा प्रबन्धन योजना के मूल्यांकन, उसके अद्यतनीकरण व रख रखाव के सम्बन्ध में नियम व प्रक्रिया का एक ढाँचा तैयार करने का प्रयास किया गया है, तथा क्रियान्वयन हेतु सभी विभागो के साथ एक समन्वय नीति स्थापित किये जाने का भी प्रयास किया गया है।
11–आपदा प्रबन्धन के क्रियान्वयन में मानक प्रक्रिया अपनाने का प्रयास किया गया है।
12–अन्त में आपदा प्रबन्धन के क्रियान्वयन में सहयोगी सभी अधिकारी/कर्मचारी व तमाम ऐसी एजेन्सियों के मोबाइल नम्बर की सूची व रूटचार्ट एवं मैप आपदा के समय आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान कर सकते है।

तहसील नवाबगंज, बाराबंकी जनपद के दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर स्थित है तहसील का भू–भाग उत्तर–पश्चिम तहसील फतेहपुर व दक्षिण–पश्चिम लखनऊ जनपद तथा उत्तर–पूर्व तहसील रामनगर व सिरौली गौसपुर तथा दक्षिण–पूर्व तहसील रामसनेहीघाट व हैदरगढ़ से संलग्न है। तहसील नवाबगंज का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 92722 हे0 है। इसके अन्तर्गत 401 राजस्व ग्राम एवं 1 नगर पालिका परिषद तथा 4 नगर पंचायते अवस्थित है इस तहसील के अर्न्तगत विकास खण्ड बंकी में 62 ग्राम पंचायते, मसौली 56, देवा 88 एवं हरख में 76 ग्राम पंचायते स्थित है। इस तहसील के अन्तर्गत अधिकांश भू–भाग समतल व उपजाऊ है, तहसील के लगभग 61 हजार हे0 भूमि पर कृषि कार्य होता है जिसकी सिंचाई के मुख्य साधन राजकीय नहर एवं निजी नलकूप है। इसके अतिरिक्त राजकीय नलकूप एवं तालाब इत्यादि से भी सिंचाई का कार्य होता है। प्रायः ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ से वर्षा ऋतु तक सूखे की सम्भावना बनी रहती है, सूखे से निपटने हेतु सूखा नियन्त्रण कार्य योजना बिन्दुवार निम्नवत् हैः–

1. **<u>पेय जल व्यवस्थाः–</u>** सूखे की स्थिति में पेय जल की उपलब्धता एक अहम समस्या होती है, जिसके लिए पेय जल के प्रमुख साधन इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पो का ठीक प्रकार से संचालित होना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में लेखपालों के माध्यम से सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिससे खराब हैण्ड पम्पो को चिंहित कर सम्बन्धित को सूचित किया जा सके। इस कार्य हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारियो एवं अधिशाषी अभियन्ता जल निगम का सहयोग लिया जाना अपेक्षित है।
2. **<u>तालाबो में पानी भराये जाने की व्यवस्थाः–</u>** ग्रीष्म ऋतु के दौरान माह मई व जून में अधिकाशतः तालाबो का पानी सूख जाता है। जिसके कारण पशु/पक्षियो को पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा जल स्तर भी घट जाता है। इस कार्य हेतु क्षेत्रीय लेखपालो/राजस्व निरीक्षको के माध्यम से सर्वेक्षण कराया जा रहा है तथा निर्देश दिये गये है कि ऐसे तालाबो को चिन्हित कर सूचना उपलब्ध कराए जिनमें पानी भराए जाने की आवश्यकता हो तथा चिन्हित किये गये तालाबो की गाटा संख्या एवं पानी भराए जाने हेतु उपलब्ध साधन की सूची भी उपलब्ध कराए। इस कार्य हेतु विकास एवं सिचाई विभाग का भी सहयोग अपेक्षित है।
3. **<u>सिचाई हेतु पानी की उपलब्धताः–</u>** सूखे के समय प्रायः यह देखा गया है कि नहरो में पानी की आपूर्ति नही हो पाती है तथा तालाबो का पानी सूख जाता है जिसके कारण जल स्तर काफी नीचा हो जाता है जिससे निजी नलकूप एवं बोरिंगो में क्षमता भर पानी नही आ पाता है। इस तहसील के अन्तर्गत 26 राजकीय नलकूप अवस्थित है जिनका सर्वे करा कर खराब नलकूपो की सूचना प्राप्त की जा रही है, जिससे नलकूप विभाग को ठीक कराने हेतु अवगत कराया जा सके। नहर से आच्छादित ग्रामो की अल्पिकाओं में टेल तक सिचाई हेतु पानी न पहुचने से सिचाई कार्य बाधित होता है। इन कार्यो को सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु नलकूप एवं सिचाई विभाग का सहयोग अपेक्षित है।
4. **<u>संक्रामक रोगो की रोकथामः–</u>** सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में संक्रामक रोगो का प्रकोप भी बढ जाता है। जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन की गोलियो एवं दवाईयो की आवश्यकता होती है। इस तहसील के अन्तर्गत रफी अहमद किदवाई मेमोरियल जिला चिकित्सालय के अतिरिक्त 8 सामुदायिक/स्वास्थ्य केन्द्र देवा, जैदपुर, हरख, सतरिख, मसौली, जाटा बरौली, तिन्दोला एवं

रसौली में स्थित है, जिनके सहयोग से संक्रामक रोगो के रोकथाम की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। इस कार्य हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का सहयोग अपेक्षित है।

5. **प्रदूषित खाद्य पदार्थो पर नियन्त्रण**:– सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में शुद्व पेयजल की उपलब्धता के साथ–साथ दूषित खाद्य सामाग्री पर नियन्त्रण किया जाना आवश्यक होता है। संक्रामक रोग अधिकांशतः दूषित खाद्य पदार्थो के उपयोग से उत्पन्न होते है। खाद्य पदार्थो पर नियन्त्रण हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं नगर पंचायतो से सम्बद्ध खाद्य निरीक्षको को निर्देशित किया गया है कि खुले में बिक रहे सड़े–गले एवं कटे फलो एवं सडे मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाई जाए एवं ठेलो पर चाट व अन्य खाद्य पदार्थो की बिक्री खुले में न करके अपितु उन्हे डब्बे एवं कन्टेनर इत्यादि में ढक कर ही बेचा जाए। इस कार्य हेतु खाद्य एवं स्वास्थ्य विभाग का सहयोग भी अपेक्षित है।
6. **पशुओ हेतु चारे एवं इलाज की व्यवस्था** :– यद्यपि वर्तमान में पशुओ के चारे की कोई समस्या नही है किन्तु सूखे की स्थित में पशुओ के चारे की समस्या पैदा हो सकती है सूखे के समय पशुओ में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है जिनका इलाज तत्काल कराया जाना आवश्यक हो जाता है। इस कार्य हेतु पशु पालन विभाग का सहयोग अपेक्षित है कि वे पशुओ के चारे तथा रोगो के इलाज हेतु पर्याप्त व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित कर लें।
7. **रोजगार सृजन** :– सूखे की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि कार्य प्रभावित होता है। जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिससे मजदूर पेशा व्यक्तियो को काम नही मिलता है और उन्हे अपने परिवार के भरण पोषण में काफी कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में ग्राम विकास विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन से इस समस्या का समाधान काफी हद तक सम्भव हो सकता है।
8. **खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओ का प्रबन्ध** :– सूखे की दशा में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की कमी हो जाने से बाजारों में कालाबाजारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण प्रभावी अंकुश व नियन्त्रण किया जाना आवश्यक हो जाता है। खाद्य एंव आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सुचारू रूप से करने हेतु पूर्ति निरीक्षको को निर्देशित कर दिया गया है कि वे खाद्यान्न वितरण पर निरन्तर निगरानी करते रहें। क्षेत्रीय लेखपालो को भी निर्देशित कर दिया गया है कि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल अवगत करायें।
9. **हीटवेव** :– हीटवेव से बचने के लिए सबसे पहले खुद को हाइड्रेटेड रखें, ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनें, और धूप में निकलने से बचें। सिर को टोपी या छाते से ढकें, और अगर बाहर जाना हो तो छाया में रहें।
10. **स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा जन जागरण**:– सूखे के प्रभाव एवं लू के प्रकोप के कारण फैले संक्रामक रोगो के नियन्त्रण एवं बचाव हेतु शिक्षा विभाग, जन प्रतिनिधियो, स्वास्थ्य समितियो इत्यादि के माध्यम से लोगो को जागरूक किया जा रहा है कि वे इण्डिया मार्का II हैण्ड पम्पो का स्वच्छ जल प्रयोग करे एवं सडे गले एवं खुले में बिक रहे खाद्य पदार्थो का सेवन न करें। स्वास्थ्य शिक्षा एवं जनजागरण हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वह क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान लोगों को इन तथ्यों से अवगत करायें। इस कार्य हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास विभाग का सहयोग अपेक्षित है।

उपराक्त के अतिरिक्त सूखे की दशा में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने के कारण लोग अपना रास्ता भटक कर अनैतिक कार्यों जैसे चोरी, राहजनी एवं डकैती इत्यादि में संलिप्त हो जाते हैं जिसके कारण कानून एवं व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए पुलिस को भी सजग रहने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय लेखपालों एवं राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि पूर्व से ही इस प्रकार के क्षेत्रों/ग्रामों को चिन्हित कर सूचना उपलब्ध करायें।

तहसील के ग्रामों में कृशि फसलों की सिंचाईं एवं पेयजल की उपलब्धता के सम्बन्ध में तहसील की सूखा कार्ययोजना–2025 में अन्य सूचनाओं के साथ–साथ आपेक्षित सूचना तालिका।

क्र.	ग्राम का नाम	सिंचाईं के साधन			ग्राम में तालाबो की संख्या		ग्राम में स्थापित हैण्डपम्प/नल जो चालू स्थिति में है की संख्या	ग्राम में उपलब्ध कूपों (कुओं) की संख्या	अभियुक्ति
		नहर (नहर/माइनर नहर)	नलकूप	अन्य साधन (ट्यूबेल आदि)	संख्या जिनमें पानी उपलब्ध है	संख्या जो सूखे है			
1	कुम्हारपुर	नहर	नही	हाँ	1	0	9	3	
2	पीरानगर उमरपुर	नहर	नही	हाँ	6	0	15	4	
3	पहाड़पुरकुतलूपुर	नहर	नही	हाँ	8	0	20	8	

4	सिसवारा	नहर	नही	नही	20	8	45	0	
5	धरमपुर	नहर	नही	नही	5	2	40	1	
6	मोहनपुर	नहर	नही	नही	5	2	25	0	
7	मिर्जानगरबेहटई	नहर	नही	नही	4	0	12	1	
8	टेराखुर्द	नहर	नही	नही	20	5	25	0	
9	उखड़ी	नहर	नही	हाँ	33	0	32	12	
10	दाउदपुर	नहर	नही	हाँ	18	0	35	10	
11	लालपुर	नहर	नही	हाँ	3	0	8	1	
12	टेराकलॉ	नहर	नही	हाँ	22	0	32	13	
13	खनवाहा	नहर	हाँ	हाँ	14	0	17	3	
14	इब्राहिमपुरखुर्द	नहर	हाँ	हाँ	4	0	9	3	
15	रहीमाबाद	नहर	हाँ	हाँ	4	0	11	2	
16	खेरिया	नहर	हाँ	हाँ	5	0	6	2	
17	बेहटा चक जयरामदास	नहर	हाँ	हाँ	6	0	14	4	
18	हर्रई	नहर	हाँ	हाँ	15	0	27	6	
19	सिकन्दरपुर	नहर	हाँ	हाँ	7	1	11	2	
20	उमरपुर	नहर	हाँ	हाँ	6	0	8	2	
21	रसूलपुर दरगाह	नहर	हाँ	हाँ	6	0	16	4	
22	महमूदाबाद	नहर	हाँ	हाँ	32	0	29	9	
23	मित्तई	नहर	नही	हाँ	25	4	24	6	
24	चक करीमाबाद	नहर	नही	हाँ	1	1	8	2	
25	कैमा	नहर	नही	हाँ	45	6	111	2	
26	इनायतपुर	नहर	नही	हाँ	5	1	15	2	
27	धरसण्डा	नहर	हाँ	हाँ	8	1	21	2	
28	पीड़	नहर	हाँ	हाँ	11	0	32	0	
29	कायमपुर	नहर	हाँ	हाँ	0	0	5	0	
30	हाजी काजीपुर	नहर	हाँ	हाँ	4	0	20	0	
31	मुर्तजानगर	नहर	हाँ	हाँ	5	0	5	0	
32	कैमई	नहर	नही	हाँ	11	2	35	20	
33	इब्राहिमपुर कला	नहर	नही	हाँ	21	5	48	32	
34	हीरपुर	नहर	नही	हाँ	6	6	17	11	
35	सालेहनगर	नहर	नही	हाँ	12	7	46	18	
36	कुरखिला	नहर	नही	हाँ	6	2	24	6	
37	खरेहटा	नहर	नही	हाँ	5	1	16	4	
38	तासपुर	नहर	नही	हाँ	7	0	22	5	
39	रीवां	नहर	नही	नही	2	0	25	2	
40	ढिढोंरा	नहर	नही	हाँ	2	0	6	2	
41	सलारपुर	माइनर	नही	हाँ	30	8	42	10	
42	पवैयाबाद	माइनर	नही	हाँ	10	2	36	2	
43	मुरादपुर	माइनर	नही	हाँ	3	1	9	2	
44	मण्डौरा	माइनर	नही	हाँ	5	4	10	1	
45	कासिमगंज	माइनर	नही	हाँ	13	3	25	3	

46	जसनवारा	माइनर	नही	हाँ	5	2	12	2	
47	कोटवाकला	माइनर	नही	हाँ	24	5	20	2	
48	नरायनभारी	माइनर	नही	हाँ	44	3	25	3	
49	जोलियाबनारसपुर	माइनर	नही	हाँ	29	4	22	1	
50	गोदहा	नही	हाँ	हाँ	46	2	15	2	
51	देवकलिया	माइनर	नही	हाँ	16	1	16	1	
52	मऊजानीपुर	माइनर	नही	हाँ	9	2	13	1	
53	अजीजाबाद	माइनर	नही	हाँ	5	1	11	2	
54	कोड़री	माइनर	नही	हाँ	15	3	14	1	
55	बरबास	माइनर	नही	हाँ	5	1	15	1	
56	बीकर	माइनर	नही	हाँ	7	1	20	2	
57	मलूकपुर	नहर	नही	हाँ	24	9	25	3	
58	अटवटमऊ	माइनर	नही	हाँ	14	3	13	2	
59	देवा	नहर	नही	हाँ	46	15	27	2	
60	कुसुम्भा	नहर	नही	हाँ	24	8	13	4	
61	फतेहपुर खतीबहार	माइनर	नही	नही	7	0	12	3	
62	सिपहिया	नहर	नही	नही	19	0	10	8	
63	भिटौलीखुर्द	माइनर	नही	नही	3	0	17	7	
64	गंगवारा	नहर	नही	नही	7	1	30	10	
65	पलटा	नही	नही	हाँ	6	3	11	6	
66	सलेमपुर	माइनर	नही	नही	7	3	8	4	
67	इस्माइलपुर	माइनर	नही	नही	8	6	12	7	
68	गोपालपुर	माइनर	नही	नही	6	9	15	8	
69	महोलिया	माइनर	नही	नही	7	1	22	7	
70	भटेहटा	माइनर	नही	हाँ	11	5	20	4	
71	शेखपुर	माइनर	नही	हाँ	6	7	20	10	
72	जहांगीराबाद	बडी नहर	हाँ	हाँ	16	11	10	10	
73	फतेहसराय	बडी नहर	हाँ	हाँ	15	3	5	6	
74	मुहीउद्दीनपुर	माइनर	हाँ	हाँ	27	6	16	12	
75	करन्द	माइनर	नही	हाँ	4	10	28	0	
76	सादामऊ	माइनर	नही	हाँ	5	8	14	0	
77	पिपरौली	माइनर	नही	हाँ	14	16	23	0	
78	रसूलपुर किदवई	बडी नहर	हाँ	हाँ	20	18	84	0	
79	जियनपुर	माइनर	हाँ	हाँ	3	1	7	0	
80	खिजिरपुर इनायतपुर	बडी नहर	हाँ	हाँ	7	4	26	0	
81	अजगना	माइनर	हाँ	हाँ	17	6	16	10	
82	देवगांव	माइनर	हाँ	हाँ	19	8	18	9	
83	चचेरूवा	नही	नही	हाँ	20	4	13	1	
84	रहमतनगर	नही	नही	हाँ	2	1	2	2	
85	निगरी	माइनर	नही	हाँ	30	3	18	3	
86	अटवा	माइनर	नही	हाँ	10	4	16	1	

87	वाजिदपुर	माइनर	हाँ	हाँ	3	4	4	3	
88	हेतमपुर	माइनर	हाँ	हाँ	9	6	3	2	
89	अनखा	माइनर	हाँ	हाँ	7	5	6	5	
90	सदरूद्दीनपुर	माइनर	हाँ	हाँ	2	3	4	2	
91	टेरा दौलतपुर	माइनर	नही	हाँ	15	5	112	0	
92	टांडा मसूदपुर	नही	नही	हाँ	1	1	0	0	
93	गदाईपुर	नही	नही	हाँ	3	1	39	0	
94	छुलहा	माइनर	नही	हाँ	4	3	69	0	
95	ज्यौरी	माइनर	नही	हाँ	22	10	40	0	
96	नैनामऊ	माइनर	नही	हाँ	18	9	27	0	
97	कोटवा	माइनर	नही	हाँ	210	2	22	0	
98	अमदहा	माइनर	नही	हाँ	0	0	28	0	
99	मसौली	माइनर	हाँ	हाँ	8	22	2	0	
100	बड़ागांव	माइनर	नही	हाँ	7	18	78	0	
101	देवकलिया	माइनर	नही	हाँ	1	1	60	0	
102	मूंजापुर	माइनर	नही	हाँ	14	7	48	0	
103	बांसा	माइनर	नही	हाँ	25	7	70	0	
104	धरौली	माइनर	नही	हाँ	3	1	10	0	
105	मदारपुर	नही	नही	हाँ	13	2	6	0	
106	सिसवारा	माइनर	नही	हाँ	8	4	14	0	
107	रहरामऊ	माइनर	हाँ	हाँ	4	2	50	0	
108	टेरा	माइनर	हाँ	हाँ	25	11	8	0	
109	नेवलाकरसण्डा	माइनर	नही	हाँ	10	22	38	0	
110	शेरपुर	नही	नही	हाँ	4	3	6	0	
111	नसीरनगर	माइनर	नही	हाँ	6	3	52	0	
112	रामनगर	माइनर	नही	हाँ	2	1	20	0	
113	बिरौली	माइनर	नही	हाँ	4	5	25	0	
114	आदमपुर	माइनर	नही	हाँ	3	2	20	0	
115	करपिया	माइनर	नही	हाँ	8	1	58	0	
116	नयागांव	माइनर	नही	हाँ	1	4	12	0	
117	भयारा	माइनर	नही	हाँ	20	7	102	0	
118	मेढ़िया	माइनर	नही	हाँ	11	5	55	0	
119	शहावपुर	नहर	नही	हाँ	26	6	80	0	
120	महुवामऊ	माइनर	नही	हाँ	5	2	31	0	
121	दरहरा	नहर	नही	हाँ	10	5	52	0	
122	सुरसण्डा	नहर	नही	हाँ	7	18	45	0	
123	मुबारकपुर	माइनर	नही	हाँ	4	8	28	0	
124	सुलतानपुर	नहर	नही	हाँ	3	10	22	0	
125	सोहिलपुर	नहर	नही	हाँ	4	6	24	0	
126	टेसुवा सलेमचक	नही	नही	हाँ	7	2	36	6	
127	दौलतपुर	नहर	हाँ	हाँ	8	3	32	12	
128	जुगुनियाडीह	नही	नही	हाँ	1	0	5	4	

129	कोलागहबड़ी	माइनर	नही	हाँ	17	5	68	18	
130	बरबसौली	नही	नही	हाँ	2	1	22	6	
131	पंडरा	माइनर	नही	हाँ	32	4	18	2	
132	पंडरी	माइनर	नही	हाँ	23	3	10	2	
133	टिकराउस्मॉ	माइनर	नही	हाँ	12	3	35	5	
134	टिकरामुर्तजा	माइनर	नही	हाँ	10	2	53	8	
135	गोछौरा	माइनर	नही	हाँ	2	4	17	4	
136	पनिहल	माइनर	नही	हाँ	12	7	18	7	
137	बलछत	माइनर	नही	हाँ	11	2	32	0	
138	बबुराबांध	माइनर	नही	हाँ	6	3	20	0	
139	अतरौली	माइनर	नही	हाँ	4	3	15	0	
140	टेरा	माइनर	नही	हाँ	6	2	21	0	
141	मौथरी	माइनर	नही	हाँ	8	9	40	10	
142	मीनापुर	नहर	नही	हाँ	3	25	4	0	
143	बरायन	नहर	नही	हाँ	3	1	25	6	
144	रहीमाबाद	नहर	नही	हाँ	3	8	50	4	
145	वजीउद्दीनपुर	नहर	नही	हाँ	3	3	45	10	
146	गुलरिहा	नही	नही	हाँ	2	30	3	3	
147	मुबारकपुर हकीम	नहर	नही	हाँ	15	4	2	8	
148	गोठिया	माइनर	नही	नही	10	9	46	0	
149	अजपुरा	माइनर	नही	नही	12	14	65	0	
150	शहजादपुर	माइनर	नही	नही	3	4	30	0	
151	खजुरिहा	माइनर	नही	नही	2	1	20	0	
152	जैदपुर	माइनर	नही	हाँ	11	8	80	0	
153	गढ़ीराखमऊ	माइनर	नही	नही	19	3	50	0	
154	प्यारनपुर	माइनर	नही	नही	3	3	40	0	
155	अब्दुल्लापुर	माइनर	नही	हाँ	6	6	25	9	
156	मचौची	माइनर	नही	हाँ	3	4	32	6	
157	मुखीपुर	नही	नही	हाँ	1	6	2	0	
158	सतरिख देहात	माइनर	नही	हाँ	28	1	32	4	
159	शरीफाबाद	नही	नही	हाँ	5	2	45	9	
160	पचासी	नहर	नही	हाँ	1	1	10	5	
161	मरखापुर	नहर	नही	हाँ	4	1	8	5	
162	लक्ष्मनपुर	नहर	नही	हाँ	12	6	70	20	
163	बन्दगीपुर	नहर	नही	हाँ	5	0	23	6	
164	बड़ापुरा	नहर	नही	हाँ	2	1	25	4	
165	सुल्तानपुर	नहर	नही	हाँ	4	3	40	10	
166	अख्तियारपुर	नही	नही	हाँ	1	0	20	4	
167	तीरगांव	माइनर	हाँ	हाँ	2	3	6	0	
168	शाहपुर	माइनर	हाँ	हाँ	1	1	0	0	
169	आलमपुर गयासपुर	माइनर	हाँ	हाँ	9	3	26	0	
170	बहलोलपुर	माइनर	हाँ	हाँ	4	0	13	0	

171	सरायपरसण्डा	माइनर	हाँ	हाँ	7	2	29	0	
172	टेरी	नही	हाँ	हाँ	0	0	15	0	
173	नगरौरा	नही	हाँ	हाँ	0	0	16	0	
174	सेठमऊ	माइनर	हाँ	हाँ	22	0	222	5	
175	चकसार	–	हाँ	हाँ	27	0	300	5	
176	खानपुर	नही	हाँ	हाँ	1	0	120	1	
177	करीमाबाद मलौली	माइनर	हाँ	हाँ	4	0	190	3	
178	मिर्जापुर	नही	नही	हाँ	2	4	125	5	
179	अयाजनगर	नही	नही	हाँ	1	1	65	11	
180	धौरहरा	नही	हाँ	हाँ	0	1	90	0	
181	इब्राहिमाबाद	माइनर	नही	हाँ	6	0	85	37	
182	चकजाफर नगर	नही	नही	नही	0	0	0	0	गैर आबाद
183	हरख	नहर	नही	हाँ	45	14	81	4	
184	गाल्हामऊ	नहर	नही	हाँ	55	10	45	2	
185	नानमऊ	नहर	नही	हाँ	8	20	19	17	
186	रसूलपुर	नही	नही	नही	5	5	12	5	
187	ताहीपुर	नही	नही	नही	1	16	16	2	
188	तमरसेपुर	नही	नही	नही	2	15	15	3	
189	पारादीपू	माइनर	हाँ	हाँ	12	2	20	7	
190	डेहवा	माइनर	हाँ	हाँ	18	6	25	12	
191	कमरावां	माइनर	हाँ	हाँ	14	8	12	3	
192	मानपुर	माइनर	हाँ	हाँ	4	6	42	0	
193	बोजा	माइनर	हाँ	हाँ	10	42	25	0	
194	चन्दौली	माइनर	हाँ	हाँ	7	18	24	0	
195	छेदानगर	नही	नही	हाँ	2	7	12	5	
196	जरहरा	नही	नही	हाँ	2	2	20	10	
197	मोहम्मदाबाद	नहर	नही	नही	2	8	8	2	
198	मंजीठा	नही	नही	हाँ	6	3	26	12	
199	पाराकुंवर	नही	नही	हाँ	5	21	21	11	
200	पाटमऊ	नहर	नही	नही	15	10	36	8	
201	बरौली मलिक	नहर	हाँ	हाँ	21	10	42	2	
202	करौंदी कलॉ	माइनर	हाँ	हाँ	2	0	25	1	
203	करौंदी खुर्द	माइनर	हाँ	हाँ	4	2	29	1	
204	मंगरवल	नही	हाँ	हाँ	9	8	19	2	
205	नेवली	माइनर	हाँ	हाँ	21	9	25	2	
206	जरमापुर	नही	हाँ	हाँ	1	0	26	2	
207	लखियापुर	माइनर	हाँ	हाँ	2	2	19	1	
208	जैनाबाद	माइनर	हाँ	हाँ	6	3	22	1	
209	अकनपुर	माइनर	हाँ	हाँ	10	6	81	2	
210	तेजवापुर	माइनर	हाँ	हाँ	12	2	75	3	
211	आदमपुर भटपुरा	नहर	हाँ	हाँ	4	1	70	4	

212	समोसराय	नही	हाँ	हाँ	3	3	26	2	
213	वादीपुर	नही	हाँ	हाँ	3	2	20	3	
214	इसरौलीसेठ	नहर	हाँ	हाँ	7	29	21	1	
215	बरेहटा	माइनर	नही	हाँ	8	7	21	10	
216	मुबारकपुर	नहर	नही	हाँ	3	3	20	12	
217	चियारा	नहर	नही	हाँ	6	1	18	7	
218	दौलतपुर मोहब्बतपुर	माइनर	नही	हाँ	3	12	15	15	
219	मोहना	नहर	नही	हाँ	21	7	37	11	
220	निरऊमऊ	नहर	नही	हाँ	4	1	6	3	
221	नरौली	नहर	नही	हाँ	4	2	34	3	
222	उचवापुर	नहर	नही	हाँ	0	0	5	1	
223	भगवानपुर	नहर	नही	हाँ	1	0	48	5	
224	भानमऊ	माइनर	नही	नही	7	6	0	0	
225	सराय हिजरा	नही	नही	नही	4	2	0	0	
226	दरावपुर	माइनर	नही	नही	4	0	0	0	
227	मोहम्मदपुर	नही	नही	नही	1	4	0	0	
228	पाराखन्दौली	नहर	नही	नही	5	3	35	4	
229	ढखौली	नहर	नही	नही	1	1	22	2	
230	बहादुरपुर	नहर	हाँ	हाँ	14	26	2	0	
231	मंझिलेपुर	नहर	हाँ	हाँ	0	8	0	0	
232	भनौली	नहर	नही	हाँ	12	0	38	6	
233	इनामीपुर	नहर	नही	हाँ	7	0	26	4	
234	दुलहीपुर	नहर	नही	हाँ	8	0	18	12	
235	पल्हरी	नहर	नही	हाँ	10	6	15	0	
236	शुक्लाई	नहर	नही	हाँ	8	9	32	0	
237	पैसार	नही	नही	नही	4	1	45	6	
238	फैजुल्लागंज	नही	नही	नही	2	30	3	0	
239	रमना	नही	नही	नही	1	15	1	0	
240	बनवा	नहर	नही	हाँ	5	2	24	6	
241	नवाबगंज	नहर	नही	हाँ	19	4	70	15	
242	बाराबंकी	नही	नही	हाँ	5	2	6	12	
243	ओबरी	नही	नही	नही	0	0	12	6	
244	कोठीडीह	नही	नही	नही	0	0	10	3	
245	दारापुर	नहर	हाँ	हाँ	6	0	40	14	
246	सेहरिया	नही	नही	हाँ	4	0	12	8	
247	दाउदपुर	माइनर	नही	हाँ	2	0	18	9	
248	बड़ेल	माइनर	हाँ	हाँ	7	3	27	10	
249	कुरौली	माइनर	नही	हाँ	4	1	34	14	
250	कोड़रमऊ	माइनर	नही	हाँ	1	1	4	3	
251	मोहम्मदपुर	माइनर	नही	हाँ	1	4	30	15	
252	जिन्हौली	नही	नही	हाँ	3	1	7	17	
253	भिटौरा	नही	हाँ	नही	3	3	20	7	

254	रसौली	नहर	हाँ	हाँ	40	19	35	2	
255	प्रतापगंज	नही	हाँ	हाँ	10	3	15	1	
256	सेमरी	नहर	हाँ	हाँ	22	6	20	0	
257	सतबिसांवा	नही	हाँ	हाँ	10	2	12	1	
258	न्यामतपुर	नहर	नही	हाँ	5	2	32	0	
259	गोड़वाग्वारी	नहर	नही	हाँ	4	1	12	0	
260	बेहटा	नहर	नही	हाँ	7	2	15	0	
261	सैदाबाद	नहर	नही	हाँ	20	5	40	0	
262	सफदरगंज	नहर	हाँ	हाँ	9	4	17	0	
263	चिलौकी	नहर	हाँ	हाँ	7	0	13	0	
264	चन्दवारा	नहर	हाँ	हाँ	20	7	40	12	
265	मुश्कीनगर	नहर	हाँ	हाँ	7	3	43	3	
266	लक्षबरबजहा	नहर	हाँ	हाँ	1	4	30	0	
267	हरीपुर	नहर	हाँ	हाँ	3	1	7	0	
268	कटरा	नहर	हाँ	हाँ	3	3	20	0	
269	गुरेला	नहर	हाँ	हाँ	40	19	35	2	
270	बुधवारा	नहर	हाँ	हाँ	10	3	15	1	
271	रजईपुर	नहर	हाँ	हाँ	22	6	20	0	
272	पल्हरी	नहर	हाँ	हाँ	0	0	18	0	
273	गोड़ारी	नहर	हाँ	हाँ	0	0	4	0	
274	सरायकायस्थान	नहर	हाँ	हाँ	0	0	5	0	
275	बघौरा	नहर	हाँ	हाँ	50	12	50	0	
276	सूर्यपुर खपरैला	नहर	हाँ	हाँ	20	17	40	0	
277	अम्बौर	नहर	हाँ	हाँ	40	30	55	0	
278	रसूलपुर	नहर	हाँ	हाँ	4	2	30	0	
279	उधौली	नहर	हाँ	हाँ	51	27	38	0	
280	बेरी	नहर	हाँ	हाँ	10	1	17	0	
281	अकबरपुर धनेठी	नहर	हाँ	हाँ	15	5	21	0	
282	प्यारेपुर सरैया	नहर	हाँ	हाँ	14	2	19	0	
283	इचौलिया	नहर	हाँ	हाँ	16	9	23	0	
284	रायपुर	नहर	हाँ	हाँ	8	3	16	0	
285	दादरा	नहर	नही	हाँ	60	24	50	0	
286	जलालपुर	नहर	नही	हाँ	13	2	40	0	
287	डमौरा	नहर	हाँ	हाँ	12	3	45	0	
288	शाहपुर	नहर	हाँ	हाँ	20	3	10	0	
289	इन्धौलिया	नहर	हाँ	हाँ	6	0	4	0	
290	याकूतगंज	नहर	हाँ	हाँ	41	6	15	0	
291	मो0पुर चौकी	माइनर	नही	हाँ	3	1	25	5	
292	सन्दौली उमरपुर	माइनर	नही	हाँ	8	1	56	5	
293	मो0पुर परेठिया	नही	नही	हाँ	4	0	18	4	
294	हांसेमऊ	माइनर	नही	हाँ	3	0	35	12	
295	भिटौली कला	माइनर	नही	हाँ	6	1	52	6	

296	तिन्धवानी	नही	हाँ	हाँ	1	0	30	3	
297	डल्लूखेड़ा	नही	नही	हाँ	1	4	20	4	
298	जाटा	माइनर	हाँ	हाँ	0	6	120	10	
299	बरौली	माइनर	हाँ	हाँ	10	6	185	10	
300	रामपुर जोगा	माइनर	हाँ	हाँ	1	1	72	9	
301	लखैचा	माइनर	नही	हाँ	0	5	70	2	
302	सराय बुधेड़ी	माइनर	नही	हाँ	1	5	25	8	
303	कमरपुर	नही	नही	हाँ	0	4	46	12	
304	गेंहदवर	माइनर	हाँ	हाँ	1	3	118	11	
305	झींझेमऊ	नही	नही	हाँ	0	0	15	4	
306	मवैया	नही	नही	हाँ	1	1	40	3	
307	नींदनपुर	नही	हाँ	हाँ	2	0	28	0	
308	टिकराघाट	नही	हाँ	हाँ	1	1	40	3	
309	शेखपुर	माइनर	हाँ	हाँ	2	1	110	0	
310	मौथरी	माइनर	हाँ	हाँ	4	3	40	1	
311	करखा	नही	नही	नही	5	1	35	7	
312	बीजेमऊ	माइनर	नही	नही	4	1	50	8	
313	मानपुर राह	माइनर	नही	नही	1	0	25	2	
314	टेटेपुर	माइनर	हाँ	नही	0	1	6	0	
315	सरायमिही	माइनर	हाँ	नही	6	2	36	8	
316	जफरपुर	माइनर	हाँ	हाँ	0	2	40	4	
317	सराय अकबराबाद	माइनर	नही	हाँ	2	6	35	14	
318	मनेरा	माइनर	नही	हाँ	0	1	20	4	
319	असेनी	माइनर	नही	हाँ	12	1	50	22	
320	गोकुलपुर	माइनर	नही	हाँ	7	0	68	11	
321	सरथरा	माइनर	नही	नही	5	0	42	13	
322	धरसनिया	नही	नही	हाँ	10	2	32	4	
323	सहेलिया	माइनर	नही	हाँ	4	6	102	6	
324	सिकन्दरपुर	माइनर	नही	हाँ	5	3	98	11	
325	सरायसिकन्दर	नही	नही	हाँ	0	0	15	4	
326	माती	माइनर	नही	हाँ	4	6	102	2	
327	छतेनागढ़ी	माइनर	नही	हाँ	5	3	98	3	
328	केवाड़ी	नही	नही	हाँ	0	0	15	1	
329	रेन्दुआपल्हरी	माइनर	नही	हाँ	10	3	6	3	
330	मुजफ्फरमऊ	माइनर	नही	हाँ	8	1	5	2	
331	मुरादाबाद	माइनर	नही	हाँ	3	2	4	2	
332	नरगिसमऊ	माइनर	नही	हाँ	1	0	2	3	
333	बस्ती	माइनर	नही	हाँ	66	5	235	14	
334	खसपरिया	माइनर	नही	हाँ	9	13	67	15	
335	सफेदाबाद	माइनर	नही	हाँ	2	4	25	4	
336	दानियालपुर	माइनर	नही	हाँ	6	11	50	19	
337	भूहेरा	माइनर	नही	हाँ	5	7	30	11	

338	उरगदिया	माइनर	नही	हाँ	3	3	18	9	
339	पलिया मसूदपुर	माइनर	नही	हाँ	10	3	6	3	
340	बिछलंगा	माइनर	नही	हाँ	8	1	5	2	
341	औरंगाबाद	माइनर	नही	हाँ	3	2	4	2	
342	गनौरा	माइनर	नही	हाँ	1	0	2	3	
343	जसमण्डा	नहर	हाँ	हाँ	17	13	57	18	
344	कुम्हरौरा	नही	नही	हाँ	5	2	11	8	
345	खमरिया	नहर	नही	हाँ	6	5	15	7	
346	खजूरगांव	माइनर	नही	हाँ	7	3	4	3	
347	हड़ौरी	नही	नही	हाँ	9	3	3	2	
348	नगर	माइनर	नही	हाँ	4	4	2	2	
349	गदिया	नहर	नही	हाँ	25	36	130	22	
350	रामपुर	नही	नही	हाँ	2	2	12	10	
351	अलीपुर	माइनर	नही	हाँ	1	10	5	9	
352	हड़ौरा	नही	नही	हाँ	1	3	6	6	
353	टिकरापट्टी	माइनर	नही	हाँ	4	9	6	9	
354	गौरसादिकपुर	नहर	नही	हाँ	8	7	29	13	
355	करौंदा	नहर	नही	हाँ	9	8	28	10	
356	इसरहना	नही	नही	हाँ	1	10	10	14	
357	करन्जवारा	नहर	नही	हाँ	3	2	18	9	
358	तिन्दोला	नही	नही	हाँ	6	3	11	6	
359	चचेण्डा	माइनर	नही	नही	7	3	8	4	
360	माधोपुर	माइनर	नही	नही	8	6	12	7	
361	पवैयाबीरान	माइनर	नही	नही	6	9	15	8	
362	धौरमऊ	माइनर	नही	नही	7	1	22	7	
363	गौरिया	माइनर	नही	हाँ	11	5	20	4	
364	सिदवाही	माइनर	नही	हाँ	6	7	20	10	
365	चन्दौली	बडी नहर	हाँ	हाँ	16	11	10	10	
366	सरैया	बडी नहर	हाँ	हाँ	15	3	5	6	
367	महरौड़	माइनर	हाँ	हाँ	27	6	16	12	
368	टाईकलॉ	माइनर	नही	हाँ	4	10	28	0	
369	टाईखुर्द	माइनर	नही	हाँ	5	8	14	0	
370	टिकरिया	माइनर	नही	हाँ	14	16	23	0	
371	नईमऊ	बडी नहर	हाँ	हाँ	20	18	84	0	
372	जबरीकलॉ	माइनर	हाँ	हाँ	3	1	7	0	
373	बबुरीगांव	बडी नहर	हाँ	हाँ	7	4	26	0	
374	सैहारा	माइनर	हाँ	हाँ	17	6	16	10	
375	दौड़िहारा	माइनर	हाँ	हाँ	19	8	18	9	
376	जबरीखुर्द	नही	नही	हाँ	20	4	13	0	
377	मियांपुर	नही	नही	हाँ	2	1	2	0	
378	कोनागांव	माइनर	नही	हाँ	30	3	18	0	
379	शरीफाबाद	माइनर	नही	हाँ	10	4	16	0	

380	हुसेनमऊ	माइनर	हाँ	हाँ	3	4	4	3	
381	मीरपुर	माइनर	हाँ	हाँ	9	6	3	2	
382	खेवली	माइनर	हाँ	हाँ	7	5	6	5	
383	टीपहार	माइनर	हाँ	हाँ	2	3	4	2	
384	जिन्सी खनवार	माइनर	नही	हाँ	15	5	45	0	
385	शाहपुर	नही	नही	हाँ	1	1	0	0	
386	उमरी	नही	नही	हाँ	3	1	39	0	
387	बरेठी	माइनर	नही	हाँ	4	3	30	0	
388	केसरूआ	माइनर	नही	हाँ	22	10	40	0	
389	कैथी	माइनर	नही	हाँ	18	9	27	0	
390	मुस्तफाबाद देशी	माइनर	नही	हाँ	210	2	22	0	
391	सरसौंदी	माइनर	नही	हाँ	0	0	28	0	
392	जमुवासी	माइनर	हाँ	हाँ	8	22	2	0	

• तहसील–फतेहपुर:-

लू/हीटवेब से बचाव हेतु कार्य योजना 2025–26
तहसील–फतेहपुर जनपद बाराबंकी।

1	पगरना	3 (फतेहपुर, कुर्सी , मोहम्मदपुर)
2	विकास खण्ड	3 (फतेहपुर, निन्दूरा, सूरतगंज)
3	थाना	6 (फतेहपुर, मो0पुर, बड़ूपुर, घुंघटेर, कुर्सी, देवां आंशिक)
4	नगर पंचायत	2 (बेलहरा , फतेहपुर)
5	भौगोलिक स्थिति	71870 हे0
6	राजस्व ग्राम	401
7	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	52769
8	राजकीय नलकूप	70
9	तालाब	5226
10	इण्डियामार्का हैण्ड पम्प	9007
11	गौशाला	18
12	सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या	249
13	आंगन बाडी केन्द्र	525
14	सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5
15	नदियों की संख्या	5
16	पम्पिंग सेट	5310(बोरिंग)
17	रेलवे स्टेशन	1
18	बस स्टेशन	1

तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी के उत्तरी पश्चिमी छोर पर स्थित है, तहसील का भू–भाग उत्तर व पश्चिम तहसील महमूदाबाद जनपद सीतापुर पश्चिम दक्षिण का भू–भाग जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली व दक्षिणी पश्चिमी का छोर तहसील बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ दक्षिणी छोर तहसील नवाबगंज व पूर्वी छोर तहसील रामनगर जनपद बाराबंकी से मिला हुआ है। इसका भौमिक क्षेत्रफल 71870हे0 जिसमे 401 राजस्व ग्राम व 02 नगर पंचायत है, व 01 राजस्व ग्राम गैर आवाद है। जिसमें कुल 226 ग्राम पंचायते है, जो कि विकास खण्ड फतेहपुर में 94 विकास खण्ड निन्दूरा में 88 व विकास खण्ड सूरतगंज का आंशिक भू–भाग में 44 पंचायते पड़ती है। इस तहसील की वर्तमान समय में अनुमानित आबादी 5,77,400 है। हिन्दु , मुस्लिम व सिख समुदाय के व्यक्ति इस तहसील में निवास करते है। इस तहसील का अधिकांश भू–भाग समतल व उपजाऊ है। तहसील का उत्तरी भाग तराई युक्त है, जिसमें सुमली चौरियारी तथा चौका नदियां घाघरा नदी में गिरती है, कल्यानी नदी तहसील के दक्षिणी छोर में प्रवाहित हो रही है। इस नदी में शारदा नहर से कभी–कभी पानी प्रवाहित किया जाता है। तहसील के

50,884हे0 भूमि व कृषि होती है, जिसकी सिंचाई नहरों, राजकीय नलकूपों, निजी बोरिंगों, तालाबों आदि से की जाती है। कभी–कभी प्राकृतिक आपदायें (बाढ़ सूखा) उक्त व्यवस्थाओं को अपरयस्थित करती है। ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ होते ही मई–जून माह से लेकर अगस्त तक सूखे की सम्भावना बनी रहती है। इस सूखे से निपटने के लिये सूखा नियन्त्रण कार्ययोजना वर्ष 2025–26 निम्नवत् तैयार की गई है।

1. पेय जल व्यवस्था :– पेय जल की उपलब्धता सूखे के समय एक अहम समस्या होती है, जिसके लिये समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इण्डिया मार्का हैण्डपम्प को ठीक रखे इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों को सर्वेक्षण लेखपालों से कराया जा रहा है। खराब हैण्ड पम्पों को पाये जाने व उनको ठीक कराने हेतु अधिशाषी अभियन्ता जल निगम को पत्राचार किया जाएगा।
2. तालाबों में पानी भराये जाने की व्यवस्था :– मई–जून के महीने में अधिकांश तालाबों में पानी सूख जाता है, जिसके लिये क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरक्षकों के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है, और निर्देशित किया गया है कि ऐसे तालाब चिन्हित किये जाए जिसमें भविष्य में पानी भराने की आवश्यकता पड़ने व पानी भराया जा सके। लेखपालों एवं राजस्व निरीक्षकों की निर्देशित किया गया कि चिन्हित किये गये तालाबों की गाटा संख्या तथा पानी भराये जाने की सूची तत्काल उपलब्ध करायें।
3. सिचांई कार्य हेतु पानी की उपलब्धता :– सूखे के समय देखा जाता है कि तालाबों में पानी नही रह जाता है, तथा निजी बोरिंग वाटर लेबिल नीचे पहुंच जाने के कारण पानी देना कम देती है, जिसके कारण सिचाई हेतु पानी का संकट पैदा हो जाता है इससे निपटने के लिये इस तहसील क्षेत्र में 70 राजकीय नलकूप स्थापित है। इन सभी राजकीय नलकूपों का सर्वे लेखपालों व राजस्व निरीक्षक के माध्यम से कराया जा रहा है। जिससे खराब नलकूपों की सूचना प्राप्त हो सके, जिसके अनुसार नलकूप विभाग को ठीक कराने हेतु निर्देशित किया जा सके इस तहसील के 104 ग्रामों को राजकीय नहरें आच्छादित करती है। कभी–कभी कुछ अल्पिकाओं में टेल तक सिचाई हेतु पानी नही पहुंचता है, जिसके लिये सिचाई विभाग को निर्देशित किया गया है।
4. संक्रामक रोगों के रोकथाम की व्यवस्था :– सूखे के प्रभाव के साथ–साथ संक्रामक रोगों के फैलने की सम्भावना हो जाती है, जिसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गोलियां व जीवन रक्षक औषधियों का भण्डारण करना सुनिश्चित करें, ताकि सूखे के प्रभाव से संक्रामक रोगों के होने व उससे बचाव किया जा सके।
5. दूषित खाद्य सामग्री व नियन्त्रण :– पेय जल की शुद्धता के साथ–साथ दूषित खाद्य सामग्री व नियन्त्रण किया जाना भी आवश्यक होता है। विशेष तौर व संक्रामक रोग भी दूषित खाद्य पदार्थो से ही फैलते है, जिसके लिये स्वास्थ्य विभाग एवं नगर पंचायत फतेहपुर के खाद्य निरीक्षकों को निर्देश जारी किये गये है कि सडे गले फलों एवं सड़े मांस मछली की बिक्री व रोक लगाई जाए, व बाजार में खुले ठेलों व चाट व मिठाई की बिक्री व भी रोक लगायी जाए।
6. पशुओं के स्वस्थ्य एवं चारे की व्यवस्था :– पशुओं हेतु चारे की समस्या वर्तमान समय में प्रतीत नही होती है, किन्तु भविष्य में भयंकर सूखे के प्रभाव से चारे की समस्या पैदा हो सकती है। इसके लिए पशु–पालन विभाग को निर्देश दिये गये है कि सूखे के समय चारे के समस्या आने व पशुओं के चारे तथा पशुओं में फैलने वाले संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु पूर्व से ही अपनी कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक औषधियों का भण्डारण करना सुनिश्चित करें।
7. सूखे की स्थित में रोजगार सृजन :– सूखे की स्थिति में खेतों में कृषि कार्य नही रह जाता है, तब मजदूरों की स्थित बहुत दयनीय हो जाती है। कभी–कभी स्थित यहां तक पहुंच जाती है, कि मजदूर पेशा व्यक्ति को जब कार्य नही मिलता है तो उसको अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था हेतु वह अनैतिक कार्य करने लगते है, और समाज में कुरीतियां पैदा हो जाती है। सूखा की स्थिति मे ग्राम विकास विभाग की बहुत ही अहम भूमिका होती है, ऐसी स्थिति में ग्राम विकास विभाग को पत्राचार किया गया है कि ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत अधिक से अधिक कार्ययोजनायें बनाकर मजदूरों को कार्य करने का अवसर सुलभ करायें। ताकि मजदूरों के परिवारों को जीविकोपार्जन हेतु बाधा उत्पन्न न हो।

8. खाद्यान एवं आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध :– सूखा की स्थिति में खाद्यान एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की प्रभावित व्यक्ति को की जायेगी। इसके लिये आपूर्ति विभाग के निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि सूखा की स्थिति में कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

9. स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा जन–जागरण :– लू के प्रकोप एवं सूखे के प्रभाव से फेले संक्रामक रोगों के नियन्त्रण के लिये प्रायः शिक्षा विभाग जन–प्रतिनिधियों एवं स्वास्थ्य समितियों द्वारा यह संदेश पहुचाया जा रहा है कि ऐसे समय में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों के पानी का ही प्रयोग करें, सड़े गले फलों का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर न करें। गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों को सही पोषण उपलब्ध करायें। स्वास्थ्य कार्यकर्ता आयरन की गोलियों और बिटामिन ए का घोल भी वितरण करायें। उक्त कार्य हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जन जागरण हेतु शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि उक्त के सम्बन्ध में अपने–अपने क्षेत्र में प्रचार–प्रसार करायें।

इसके साथ ही तहसील के संवेदन शील इलाकों को चिन्हित करने के लिये लेखपालों एवं राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि सूखे के प्रभाव को देखते ही उन ग्रामों को चिन्हित कर तत्काल तहसील में सूचना उपलब्ध करायें। नियोजित कार्ययोजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन होने व सूखा का सम्भावित दुश्प्रभाव नही पड़ेगा।

• तहसील–रामनगरः-

लू/हीटवेब से बचाव हेतु कार्य योजना 2025–26

तहसील–रामनगर जनपद बाराबंकी।

1	पगरना	5 (रामनगर, भिटौली, मोहम्मदपुर आंषिक, फतेहपुर आंषिक, बदोसराय आंषिक)
2	विकास खण्ड	3 (रामनगर, सूरतगंज व सिरौलीगौसपुर आंषिक)
3	थाना	10 (रामनगर, मो0पुर आंषिक, मसौली आंषिक, जहांगीराबाद आंषिक, मसौली आंषिक, फतेहपुर आंषिक, टिकैतनगर आंषिक, बदोसराय आंषिक, सफदरगंज आंषिक, जरवल रोड आंषिक)
4	नगर पंचायत	01 (रामनगर)
5	ग्राम पंचायतों की संख्या	129
6	तहसील का कुल क्षेत्रफल	45314 हे0
7	राजस्व ग्राम	241
8	तालाब (0.202हे0 से अधिक क्षेत्रफल)	1009
9	इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प	6602
10	गौषाला	14
11	सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या	140
12	आंगन बाडी केन्द्र	374
13	सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	02
14	नदियों की संख्या	03
15	नहरों की संख्या	01
16	पम्पिंग सेट	3856
17	रेलवे स्टेषन	04
18	बस स्टेषन	01

तहसील रामनगर जनपद बाराबंकी के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है, तहसील का भू–भाग उत्तर व पूरब तहसील कैसरगंज व तहसील सिरौलीगौसपुर व पष्चिम व उत्तर फतेहपुर व तहसील महमूदाबाद जनपद सीतापुर व दक्षिण तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी से मिला हुआ है। इसका भौमिक क्षेत्रफल 45314हे0 जिसमे 241 राजस्व ग्राम व 01 नगर पंचायत है, व 11 राजस्व ग्राम गैर आबाद है। जिसमें कुल 129 ग्राम पंचायते है, जो कि विकास खण्ड रामनगर में 69 विकास खण्ड सूरतगंज आंषिक भाग में 59 व विकास खण्ड सिरौलीगौसपुर आंषिक भाग में 01 पंचायते पड़ती है। इस तहसील की वर्तमान समय

में अनुमानित आबादी 413316 है। हिन्दु, मुस्लिम व सिख समुदाय के व्यक्ति इस तहसील में निवास करते है। इस तहसील का अधिकांष भू–भाग समतल व उपजाऊ है। तथा तहसील क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ से प्रभावित 39 ग्राम प्रायः रहते है, तहसील का उत्तरी भाग तराई युक्त है, जिसमें सुमली चौरियारी व घाघरा नदी, भगहरझील तथा कल्याणी नदी है, तहसील के 31293 हे0 भूमि व कृषि होती है, जिसकी सिंचाई नहरों, राजकीय नलकूपों, निजी बोरिंगों, तालाबों आदि से की जाती है। कभी–कभी प्राकृतिक आपदायें (बाढ़ व सूखा) उक्त व्यवस्थाओं को अपरयस्थित करती है। ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ होते ही मई–जून माह से लेकर अगस्त तक सूखे की सम्भावना बनी रहती है। इस सूखे से निपटने के लिये सूखा नियन्त्रण कार्ययोजना वर्ष 2025–26 निम्नवत् तैयार की गई है।

1. पेय जल व्यवस्था :– पेय जल की उपलब्धता सूखे के समय एक अहम समस्या होती है, जिसके लिये समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देषित किया गया है कि इण्डिया मार्का हैण्डपम्प को ठीक रखे इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों को सर्वेक्षण लेखपालों से कराया जा रहा है। खराब हैण्ड पम्पों को पाये जाने व उनको ठीक कराने हेतु अधिषाषी अभियन्ता जल निगम को पत्राचार किया जाएगा।

2. तालाबों में पानी भराये जाने की व्यवस्था :– मई–जून के महीने में अधिकांष तालाबों में पानी सूख जाता है, जिसके लिये क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरक्षकों के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है, और निर्देषित किया गया है कि ऐसे तालाब चिन्हित किये जाए जिसमें भविष्य में पानी भराने की आवष्यकता पड़ने व पानी भराया जा सके। लेखपालों एवं राजस्व निरीक्षकों की निर्देषित किया गया कि चिन्हित किये गये तालाबों की गाटा संख्या तथा पानी भराये जाने की सूची तत्काल उपलब्ध करायें।

3. सिचांई कार्य हेतु पानी की उपलब्धता :– सूखे के समय देखा जाता है कि तालाबों में पानी नही रह जाता है, तथा निजी बोरिंग वाटर लेबिल नीचे पहुंच जाने के कारण पानी देना कम देती है, जिसके कारण सिचाई हेतु पानी का संकट पैदा हो जाता है इससे निपटने के लिये इस तहसील क्षेत्र में राजकीय/निजी नलकूप स्थापित है। इन सभी राजकीय/निजी नलकूपों का सर्वे लेखपालों व राजस्व निरीक्षक के माध्यम से कराया जा रहा है। जिससे खराब नलकूपों की सूचना प्राप्त हो सके, जिसके अनुसार नलकूप विभाग को ठीक कराने हेतु निर्देषित किया जा सके इस तहसील रामनगर में राजकीय नहरें आच्छादित करती है। कभी–कभी कुछ अल्पिकाओं में टेल तक सिचाई हेतु पानी नही पहुंचता है, जिसके लिये सिचाई विभाग को निर्देषित किया गया है।

4. संक्रामक रोगों के रोकथाम की व्यवस्था :– सूखे के प्रभाव के साथ–साथ संक्रामक रोगों के फैलने की सम्भावना हो जाती है, जिसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारियों को निर्देषित किया गया है कि पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गोलियां व जीवन रक्षक औषधियों का भण्डारण करना सुनिष्चित करें, ताकि सूखे के प्रभाव से संक्रामक रोगों के होने व उससे बचाव किया जा सके।

5. दूषित खाद्य सामग्री व नियन्त्रण :– पेय जल की शुद्धता के साथ–साथ दूषित खाद्य सामग्री व नियन्त्रण किया जाना भी आवश्यक होता है। विषेषतौर व संक्रामक रोग भी दूषित खाद्य पदार्थो से ही फैलते है, जिसके लिये स्वास्थ्य विभाग एवं नगर पंचायत श्रामनगर के खाद्य निरीक्षकों को निर्देष जारी किये गये है कि सडे गले फलों एवं सड़े मांस मछली की बिक्री व रोक लगाई जाए, व बाजार में खुले ठेलों व चाट व मिठाई की बिक्री व भी रोक लगायी जाए।

6. पषुओं के स्वस्थ्य एवं चारे की व्यवस्था :– पषुओं हेतु चारे की समस्या वर्तमान समय में प्रतीत नही होती है, किन्तु भविष्य में भयंकर सूखे के प्रभाव से चारे की समस्या पैदा हो सकती है। इसके लिए पषु–पालन विभाग को निर्देष दिये गये है कि सूखे के समय चारे के समस्या आने व पषुओं के चारे तथा पषुओं में फैलने वाले संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु पूर्व से ही अपनी कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक औषधियों का भण्डारण करना सुनिष्चित करें।

7. सूखे की स्थित में रोजगार सृजन :– सूखे की स्थिति में खेतों में कृषि कार्य नही रह जाता है, तब मजदूरों की स्थित बहुत दयनीय हो जाती है। कभी–कभी स्थित यहां तक पहुंच जाती है, कि मजदूर पेषा व्यक्ति को जब कार्य नही मिलता है तो उसको अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था हेतु वह अनैतिक कार्य करने लगते है, और समाज में कुरीतियां पैदा हो जाती है। सूखा की स्थिति मे ग्राम विकास विभाग की बहुत ही अहम भूमिका होती है, ऐसी स्थिति में ग्राम विकास विभाग को पत्राचार किया गया है कि ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत अधिक से अधिक कार्ययोजनायें बनाकर मजदूरों को कार्य करने का अवसर सुलभ करायें। ताकि मजदूरों के परिवारों को जीविकोपार्जन हेतु बाधा उत्पन्न न हो।

8. खाद्यान एवं आवष्यक वस्तुओं का प्रबन्ध :– सूखा की स्थिति में खाद्यान एवं आवष्यक वस्तुओं की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की प्रभावित व्यक्ति को की जायेगी। इसके लिये आपूर्ति विभाग के

निरीक्षकों को निर्देषित किया गया है कि सूखा की स्थिति में कार्ययोजना तैयार कर आवष्यक कार्यवाही सुनिष्चित करें।

9. स्वास्थ्य षिक्षा द्वारा जन–जागरण :– लू के प्रकोप एवं सूखे के प्रभाव से फेले संक्रामक रोगों के नियन्त्रण के लिये प्रायः षिक्षा विभाग जन–प्रतिनिधियों एवं स्वास्थ्य समितियों द्वारा यह संदेष पहुचाया जा रहा है कि ऐसे समय में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों के पानी का ही प्रयोग करें, सड़े गले फलों का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर न करें। गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों को सही पोषण उपलब्ध करायें। स्वास्थ्य कार्यकर्ता आयरन की गोलियों और बिटामिन ए का घोल भी वितरण करायें। उक्त कार्य हेतु स्वास्थ्य, षिक्षा एवं जन जागरण हेतु षिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को निर्देषित किया गया है कि उक्त के सम्बन्ध में अपने–अपने क्षेत्र में प्रचार–प्रसार करायें। इसके साथ ही तहसील के संवेदन शील इलाकों को चिन्हित करने के लिये लेखपालों एवं राजस्व निरीक्षकों को निर्देषित किया गया है कि सूखे के प्रभाव को देखते ही उन ग्रामों को चिन्हित कर तत्काल तहसील में सूचना उपलब्ध करायें। नियोजित कार्ययोजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन होने व सूखा का सम्भावित दुष्प्रभाव नही पड़ेगा।

- **तहसील–हैदरगढः-**

तहसील हैदरगढ़ परिचयात्मक विवरण

1– भौगोलिक क्षेत्रफल–	74308 हेक्टेअर
2– जनसंख्या–	610710
3– परगना–	3 (सुबेहा, सिद्धौर, हैदरगढ़)
4– विकास खण्ड–	3 (हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज, सिद्धौर)
5– थाना–	6 (हैदरगढ़, सुबेहा, लोनीकटरा, कोठी, असन्द्रा आं0, जैदपुर आं0)
6– नगर पंचायत–	03 (हैदरगढ़, सुबेहा, सिद्धौर)
7– ग्राम पंचायत–	234
8– राजस्व ग्राम–	373
9– कृषि मण्डी समितियां–	तहसील क्षेत्र में नहीं हैं।
10– विश्व विद्यालय–	नहीं हैं।
11– महा विद्यालय–	08
12– इण्टर कालेज–	15
13– यूनानी चिकित्सालय–	03
14– सामु0/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–	08
15– पशु चिकित्सालय–	12
16– रेलवे स्टेशन–	01
17– बस स्टेशन–	01
18– सस्ते गल्ले की दुकानें–	277
19– राष्ट्रीयकृत बैंक–	10
20– ग्रामीण बैंक–	12
21– सहकारी बैंक–	03
22– शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल–	50294 हेक्टेअर
23– राजकीय नलकूप–	23
24– पम्पिंग सेट–	3682 (बोरिंग)
25– तालाब–	2742
26– इण्डियामार्का हैण्ड पम्प–	14660
27– बाढ़ प्रभावित करने वाली नदियॉ–	01
28– सम्भावित बाढ़ प्रभावित ग्राम–	34
29– बाढ़ चौकियां–	07
30– बाढ़ में अनुबन्धित नावों की संख्या–	12
31– कटान युक्त ग्रामों की संख्या–	10

परिचयात्मक विवरण– वर्तमान तहसील भवन हैदरगढ़ जनपद–बाराबंकी का लोकार्पण मा0 श्री राजनाथ सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार के कर कमलों द्वारा दिनांक 29.11.2001 को सम्पन्न हुआ तथा उसी

तिथि से तहसील कार्यालय हैदरगढ़ नवनिर्मित भवन में दिनांक 29.11.2001 को स्थानान्तरित हो गया है। तहसील क्षेत्र की पश्चिमी सीमा में लखनऊ जनपद तथा पूर्वी सीमा से जनपद सुल्तानपुर तथा दक्षिणी सीमा की ओर जनपद रायबरेली तथा उत्तर की ओर तहसील नवाबगंज व रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी की सीमाओं से मिली हुई तहसील है। नवनिर्मित तहसील भवन में हवालात नहीं बनी है।

इस तरह तहसील हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी का अति उपजाऊ क्षेत्र है। यहॉ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि है। उक्त कृषिक क्षेत्रफल का एक बहुत बड़ा भू–भाग नहरों द्वारा सिंचित होता है। इसके साथ–साथ राजकीय नलकूप, निजी नलकूप, तालाब आदि साधनों का प्रयोग सिंचाई हेतु किया जाता है। कभी–कभी भीषण गर्मी अथवा हीट वेव के समय उक्त साधन किसानों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और लू के भीषण प्रकोप से यह परिक्षेत्र कराह उठता है। ऐसे आपदा काल के लिए हीट वेव कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पड़ती है, वर्ष 2025–26 के सम्भावित हीट वेव से निपटने हेतु कार्ययोजना निम्नवत् है :–

1– <u>हीट वेब/लू से बचाव हेतु बताये गये उपायो का प्रचार प्रसारः–</u>

तहसील हैदरगढ़ परिक्षेत्र में कुल 373 राजस्व ग्राम है, वर्तमान समय में उक्त ग्रामों में 64 लेखपाल, 9 राजस्व निरीक्षक, 15 संग्रह अमीन व 20 अनुसेवक कार्यरत है। उक्त सभी कर्मचारियों के माध्यम से हीट वेब से बचाव हेतु सुनिश्चित उपायों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है तथा क्षेत्रीय समस्त कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वह अपने क्षेत्र में उपस्थित रहकर प्रभावित व्यक्तियों का इलाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें तथा क्षेत्र में हीट वेब/लू से बचने के लिये क्या करे ? क्या न करे? का प्रचार प्रसार भी करेगें। उक्त कर्मचारियों को लू से बचने हेतु छपाये गये 8 हजार पम्फलेट वितरित करने को भी दिये गये हैं। जिनमें अंकित विवरण निम्नवत् है।

हीट वेब/लू से बचने के लिए क्या करें, क्या न करें

लू से लोग मर भी सकते है इसके असर को कम करने के लिए और लू से होने वाली मौत की रोकथाम के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतें/क्या करें/क्या न करें।

क्या करें।

1. जितनी बार हो सके पानी पिये, प्यास न लगे तो भी पानी पिये।
2. हल्के रंग के ढीले–ढीले सूती कपडे पहने। धूप से बचने के लिए गमछा, छाता, धूप का चश्मा, जूते और चप्पल का इस्तेमाल करे।
3. सफर में अपने साथ पानी रखें।
4. अगर आपका काम बाहर का हो तो टोपी, गमछा, या छाता का इस्तेमाल करें और गीले कपड़े को अपने चेहरे, सिर और गर्दन पर रखे।
5. अगर आपकी तबियत ठीक न लगे तो तुरन्त डाक्टर से सम्पर्क करें।
6. पेय पदार्थ जैसे कि लस्सी, नारियल पानी, नीबूपानी, छाछ/आम का पना आदि का सेवन करे।
7. जानवरों को छांव में रखे और उन्हे खूब पानी पिलाये।
8. अपने घर को ठण्डा रखें पर्दे आदि का इस्तेमाल करे, रात में खिडकियों को खुली रखें।
9. फैन, गीले कपडे का उपयोग करें। ठण्डे पानी से बार–बार नहाये।

क्या न करें।

1. कडी धूप में बाहर न निकले, खास कर 12 से 3 बजे के बीच में।
2. ज्यादा तापमान में कठिन काम न करे।
3. शराब चाय कॉफी जैसे पेय पदार्थो का सेवन न करे जो आपके शरीर को निर्जलित कर सकती है।
4. ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन का सेवन न करे।
5. बच्चो और पालतू जानवरों को पार्क किये हुए वाहनों में न छोड़े।

<u>लू लगने पर क्या करें कुछ सुझाव</u>

1. लू लगने पर व्यक्ति को छांव में लिटा दें।
2. ठंड गीले कपडे से शरीर पोछे या फिर ठण्डे पानी से नहलाये।
3. सामान्य तापमान का जल सिर पर डालें। ध्यान रखें कि जिससे शरीर का तापमान कम हो जाय।
4. व्यक्ति को नीबू या नारियल पानी पीने को दे जो कि शरीर में पानी की बढ़ा सके।
5. व्यक्ति को तुरन्त नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाये। चूंकि लू जानलेवा भी हो सकता है अतः तुरन्त अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक है।
6. गर्भवती/दुग्धपान करा रही महिलाओं 5 वर्ष से कम बच्चों, वृद्ध एवं अपंगों को लू चलने की स्थिति में घर से बाहर न निकलने दे।

2– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/पशु चिकित्सक केन्दों पर आवष्यक औषधियों की उपलब्धताः–

सामु0स्वा0 केन्द्र/पशु चिकित्सक केन्द्र के प्रभारी चिकित्सकों को निर्देशित किया गया है कि सामान्य से अधिक गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों/हीट वेब आदि से निपटने के लिए आवश्यक एवं जीवन रक्षक औषधियों का भण्डारण सुनिश्चित किया जाय तथा चिकित्सक की निरन्तर उपलब्धता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/पशु चिकित्सक केन्द्र पर सुनिश्चित की जाय। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि उपचार के अभाव में किसी प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु न होने पाये।

तहसील हैदरगढ़ परिक्षेत्र में अवस्थित स्वास्थ्य सेवाएं एवं पशु चिकित्सक केन्द्र की सूची निम्नवत् है।

स्वास्थ्य सेवाएं

क्रमांक	स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	केन्द्र अधीक्षक/प्रभारी डाक्टर का नाम	दूरभाष
1	सामु0स्वास्थ्य केन्द्र सिद्धौर	डा0 संजय पाण्डेय	8933004525
2	सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र हैदरगढ़	डा0 सौरभ शुक्ला	9580768287
3	सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र त्रिवेदीगंज	डा0 अंजली जैन	9795112300
4	सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र परीवां	डा0 मुकुन्द	9559305918
5	सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र सुबेहा	डा0 जय शंकर	7607561946
6	सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र कोठी	डां0 संजीत कुमार	7388695165

पशु चिकित्सालय			
1	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	डा0 अरविन्द कुमार	05248–221108
2	पशु चिकित्सालय सिद्धौर	डा0 शमीम अहमद	9161476924
3	पशु चिकित्सालय सुबेहा	डा0 अमित कुमार सिंह	9451100088
4	पशु चिकित्सालय फतेहगंज	डा0 अमित गौतम	9621212015
5	पशु चिकित्सालय चौबीसी	डा0 धनेश कुमार	9454667894

तहसील हैदरगढ़ के अन्तर्गत समस्त सामु0स्वा0केन्द्र प्रभारी व प्रा0स्वा0केन्द्र प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तहसील परिक्षेत्र में निवास करने वाले 4,44,862 व्यक्तियों के तत्कालिक इलाज हेतु दवाइयों को अनुरक्षित कर लिया जाय जिससे कि हीट वेव/लू से पीडित व्यक्तियों का तत्काल इलाज सम्भव हो सके। इसी के साथ पशु चिकित्सालय प्रभारी व पशु सेवा केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि तहसील परिक्षेत्र में निवास करने वाली गौवंशीय व महिषी (भैंस) 1,50,649 पशुओं के तत्कालिक इलाज हेतु दवाईयों अनुरक्षित कर लिया जाय तथा हीट वेब के प्रभावहीनता हेतु पशुओं में टीकाकरण करा लिया जाय।

3– ग्राम सभा/खाली स्थानों/सड़को/मार्गो के किनारे वृक्षारोपणः–

तहसील हैदरगढ़ जनपद के परिक्षेत्र में 234 ग्राम पंचायतें अवस्थित है उक्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों/लेखपालों को निर्देशित किया गया है कि वे उपरोक्त खाली अविवादित स्थलों पर वृक्षारोपण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे, जिससे भविष्य में हरियाली व वर्षा होने से उपरोक्त समस्या का निदान सम्भव हो।

4– उपयुक्त तालाबों में पानी भराये जाने की व्यवस्थाः–

तहसील हैदरगढ़ 373 ग्रामों से आच्छादित है, जिसमें 2742 तालाब है। उक्त तालाबों में से उपयुक्त एवं ग्रामों/मजरो के निकट अवस्थित तालाबों में पानी भराये जाने के निर्देश दिए गये हैं। लेखपालों के माध्यम से सूचना संकलित की जी रही है कि सम्बन्धित तालाब की गाटा सं0 तथा क्षेत्रफल व पानी भराये जाने का साधन क्या है, जिन तालाबों में पानी भराया जाना है।

उपरोक्त कार्य योजना सामान्य से अधिक तापमान होने के पूर्वानुमान के कारण हीट वेब से निपटने हेतु तैयार की गयी है। उक्त के अतिरिक्त शासन/प्रशासन से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन उपरोक्त समस्या से निपटने हेतु किया जायेगा।

5– पेय जल की व्यवस्था–

अक्सर देखा गया है कि सूखे के समय सबसे बड़ी समस्या पेयजल की उत्पन्न होती है। यद्यपि शासन ने इस समस्या से निपटने हेतु प्रत्येक गांव में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प स्थापित करायें हैं। तहसील हैदरगढ़ परिक्षेत्र में 14660 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प स्थापित हैं। सूखे से निपटने हेतु समस्त क्षेत्रीय कर्मचारी/लेखपाल को निदेर्शित किया गया है कि वह अपने क्षेत्र के सभी ग्रामों का सर्वे कर स्थापित हैण्डपम्पों की सूचना निर्धारित किये गये प्रारूप पर अतिशीघ्र उपलब्ध करायें। खराब पाये जाने वाले हैण्डपम्पों की सूची तत्काल जल निगम को प्रेषित कर उक्त समस्या के समाधान हेतु कार्यवाही की जायेगी।

मानव के पेयजल के साथ–साथ पशुओं के पेयजल की समस्या सूखे के समय विकराल होती है। उक्त समस्या के निपटने हेतु लेखपालो को निदेर्शित किया गया है कि कम से कम प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक ऐसे तालाब को चिन्हित किया जाय जिसमें पशुओं के पेयजल हेतु पानी भराया जा सके। प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तहसील में कुल 2742 तालाब अवस्थित है, जिसमे 650 ऐसे तालाब हैं जो मजरे/आबादी के पास अवस्थित है जिन्हे पानी से भराया जाना आवश्यक है उक्त तालाबों के नाम व गाटा सं0 तथा पानी से भराये जाने का माध्यम युक्त सूची संबन्धित विकासखण्ड को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कर दी गयी है कि हीट वेब/लू से निपटने हेतु अतिशीघ्र उक्त तालाबों को पानी से भराया जाए।

जल स्त्रोतो का विवरण

विकास खण्ड का नाम	विकास खण्ड में ग्रामों की संख्या	विकास खण्ड मे स्थापित हैण्ड पम्प
हैदरगढ़	99 ग्राम	3978
त्रिवेदीगंज	103 ग्राम	4764
सिद्धौर	168 ग्राम	5680
नगर पंचायत सिद्धौर	1 नगर	65
नगर पंचायत सुबेहा	1 नगर	101
नगर पंचायत हैदरगढ़	1 नगर	72
योग	**373**	14660

खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था–

हीट वेब/लू के समय राहत वितरण हेतु खाद्यान्न, डीजल, कुंकिग गैस, पेट्रोल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, खाद्यान्न हेतु सम्भागीय विपणन अधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी बाराबंकी को निर्देश जारी किये गये है। प्रत्येक खण्ड में हाट शाखा का गोदाम स्थापित है उपजिलाधिकारी की मांग के अनुसार इनके द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा।

उपजिलाधिकारी की मांग पर वांछित मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जायेगा।
डीजल एवं पेट्रोल पम्पों को यह निर्देश निर्गत किये गये है कि हीट वेब/लू के दौरान पेट्रोल व डीजल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता बनाये रखेगे। गैस ऐजेन्सी को भी गैस उपलब्धता हेतु निर्देश निर्गत किये गये है।

उपरोक्त से सम्बन्धित एवं फोन नम्बर निम्नवत है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	मोबाइल नं0
1	जिला पूर्ति अधिकारी, बाराबंकी	डा0राकेश कुमार तिवारी	7007932106
2	पूर्ति निरीक्षक वि0खण्ड हैदरगढ़	श्री प्रभात त्रिपाठी	9695687504
3	पूर्ति निरीक्षक वि0खण्ड सिद्धौर	श्री संजय कुमार	7704982822
4	पूर्ति निरीक्षक वि0खण्ड त्रिवेदीगंज	श्री प्रभात त्रिपाठी	9695687504
5	विपणन अधिकारी, सिद्धौर	श्री प्रमोद द्विवेदी	9450735745
6	विपणन अधिकारी, त्रिवेदीगंज	सुश्री/श्रीमती सविता वर्मा	7607661163
7	विपणन अधिकारी, हैदरगढ़	सुश्री/श्रीमती मंजुला सिंह	9026773535

आपदा दूरभाष विवरणिका

कमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	फोन नम्बर
1	जिलाधिकारी बाराबंकी	9454417540
2	पुलिस अधीक्षक बाराबंकी	05248–222277
3	अपर जिलाधिकारी बाराबंकी	9454417611
4	मुख्य चिकित्साधिकारी बाराबंकी	8005192641
5	मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी	05241–223103
6	आपदा कार्याय बाराबंकी	9454416170
7	बाढ़ नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम), हैदरगढ़	05244–245350
8	उप जिलाधिकारी, हैदरगढ़, बाराबंकी	9454416148
9	तहसीलदार, हैदरगढ़, बाराबंकी	9454416156
10	क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़, बाराबंकी	9454401392

11	खण्ड विकास अधिकारी, हैदरगढ़	9454465324
12	खण्ड विकास अधिकारी, त्रिवेदीगंज	9454465326
13	खण्ड विकास अधिकारी, सिद्धौर	9454465325
14	बेसिक शिक्षाधिकारी बाराबंकी	9453004143
15	सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी हैदरगढ़	8765958946
16	सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी त्रिवेदीगंज	8765959668
17	सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी सिद्धौर	8765958945
18	नायब तहसीलदार, हैदरगढ़	8318592572
19	प्रभारी अधिकारी दैवी आपदा, बाराबंकी	9454416170
20	थाना हैदरगढ़	9454403059
21	थाना सुबेहा	9454403076
22	थाना लोनीकटरा	9454403069
23	थाना कोठी	9454403066
24	थाना असन्द्रा	9454403656
25	थाना जैदपुर	9454403065
26	रजिस्ट्रार कानूनगो, दैवी आपदा हैदरगढ़	9936318140
27	अग्नि शमन केन्द्र, बाराबंकी	101
28	अग्नि शमन स्टेशन, हैदरगढ़	9454418732, 9454418733
29	अधिशाषी अभियन्ता नलकूप	05248–223868
30	अधिशाषी अभियन्ता जल निगम	05248–222602
31	सचल एम्बुलेन्स	108

पुलिस व्यवस्था

हीट वेब/लू के दौरान प्रायः देखा गया है कि जब जन–धन की हानि होती है तब जनमानस के उग्र रूप का सामना प्रशासन को करना पड़ता है, ऐसे समय में कर्मचारियों का काम करना/राहत पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। चाहे वह बांधों की सुरक्षा हो अथवा नावों का संचालन या खाद्य /राहत सामग्री का वितरण हो। ऐसे समय में पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों की अत्यन्त आवश्यकता होती है। इसके साथ–साथ बाढ़ के दौरान जब संचार व्यवस्था भंग को जाती है तब वायरलेस सेट की जरूरत पड़ती है, जो पुलिस विभाग द्वारा ही सम्भव है। अतः दैवी आपदा के समय पुलिस व्यवस्था प्रशासन का आवश्यक अंग होती है। पुलिस व्यवस्था हेतु आवश्यक फोन नम्बर निम्नवत हैं:–

क्रमांक	पुलिस प्रभारी	फोन नम्बर
1	क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़, बाराबंकी	9454401392
2	थाना हैदरगढ़	9454403059
3	थाना सुबेहा	9454403076
4	थाना लोनीकटरा	9454403069
5	थाना कोठी	9454403066
6	थाना असन्द्रा	9454403656
7	थाना जैदपुर	9454403065

• तहसील–रामसनेहीघाट:-

तहसील रामसनेहीघाट परिचयात्मक विवरण

1– भौगोलिक क्षेत्रफल–	60314 हेक्टेअर
2– जनसंख्या–	444862
ग्रामीण जनसंख्या–	426536
नगरीय जनसंख्या–	18326
3– परगना–	4(सूर्यपुर, दरियाबाद, रूदौली आं0, मवई आं0)
4– विकास खण्ड–	3(बनीकोंडर, दरियाबाद आं0, पूरेडलई आं0)

5– थाना–	6(रामसनेहीघाट,दरियाबाद,टिकैतनगर,जैदपुर असन्दरा, पटरंगा)
6– नगर पंचायत–	01 (दरियाबाद)
7– न्याय पंचायत–	24
8– ग्राम पंचायत–	171
9– राजस्व ग्राम–	249 (244 आवाद, 5 गैर आवाद)
10– कृषि मण्डी समितियां–	तहसील क्षेत्र में नहीं हैं।
11– विश्व विद्यालय–	नहीं हैं।
12– महा विद्यालय–	06
13– इण्टर कालेज–	12
14– जूनियर हाईस्कूल–	120
15– प्राथमिक विद्यालय–	252
16– आंगनबाडी केन्द्र–	175
17– यूनानी चिकित्सालय–	01
18– सामु0/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–	14
19– पशु चिकित्सालय–	12
20– रेलवे स्टेशन–	01
21– बस स्टेशन–	01
22– सस्ते गल्ले की दुकानें–	184
23– राष्ट्रीयकृत बैंक–	10
24– ग्रामीण बैंक–	12
25– सहकारी बैंक–	03
26– शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल–	37497 हेक्टेअर
27– दो फसली क्षेत्रफल–	28684 हेक्टेअर
28– राजकीय नलकूप–	29
29– पम्पिंग सेट–	3855 (बोरिंग)
30– तालाब–	3201
31– इण्डियामार्का हैण्ड पम्प	12104
32– बाढ़ प्रभावित करने वाली नदियॉ–	03
33– सम्भावित बाढ़ प्रभावित ग्राम–	36
34– बाढ़ चौकियां–	03
35– बाढ़ में अनुबन्धित नावों की संख्या–	60
36– कटान युक्त ग्रामों की संख्या–	16

सम्भावित हीट वेव 2025–26 से निपटने हेतु कार्ययोजना

तहसील–रामसनेहीघाट, बाराबंकी

परिचयात्मक विवरण– बाबा रामसनेहीघाट के नाम से स्थापित तहसील रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी के पूर्वी छोर पर स्थित है जो राजधानी लखनऊ से फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग का हृदय पटल है। जनपद फैजाबाद व जनपद गोण्डा इस तहसील के सीमावर्ती जनपद हैं। घाघरा इसके उत्तरी शीर्ष पर प्रवाहित हो रही है तथा गोमती इनके दक्षिणी पगो को पखार रही है और कल्याणी नदी बैजन्ती माल की तरह हृदय पटल पर सुशोभित हो रही है। ऐसे पावन स्वरूप से परिपूरित तहसील रामसनेहीघाट में 4 लाख 44 हजार 862 व्यक्ति निवास कर रहें हैं। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 60 हजार 314 हेक्टेअर है, जिसके 37 हजार 549 हेक्टेअर भूमि पर खेती की जाती है। इस तरह तहसील रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी का अति उपजाऊ क्षेत्र है। इस परिक्षेत्र में घाघरा, गोमती और कल्याणी नदी के साथ–साथ रूदौली सामान्तरण शाखाएं (शारदा नहर) भी प्रवाहित हो रही है। यहॉ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि है। उक्त कृषिक क्षेत्रफल का एक बहुत बड़ा भू–भाग नहरों द्वारा सिंचित होता है। इसके साथ–साथ राजकीय नलकूप, निजी नलकूप, तालाब आदि साधनों का प्रयोग सिंचाई हेतु किया जाता है। कभी–कभी भीषण गर्मी अथवा हीट वेव के समय उक्त साधन किसानों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और लू के भीषण प्रकोप से यह परिक्षेत्र कराह उठता है। ऐसे आपदा काल के लिए हीट वेव कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पड़ती है, वर्ष 2025–26 के सम्भावित हीट वेव से निपटने हेतु कार्ययोजना निम्नवत् है :–

1– हीट वेब/लू से बचाव हेतु बताये गये उपायो का प्रचार प्रसारः– तहसील रामसनेहीघाट परिक्षेत्र में कुल 249 राजस्व ग्राम है, वर्तमान समय में उक्त ग्रामों में 43 लेखपाल, 8 राजस्व निरीक्षक, 13 संग्रह अमीन व 16

अनुसेवक कार्यरत है। उक्त सभी कर्मचारियों के माध्यम से हीट वेब से बचाव हेतु सुनिष्चित उपायों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है तथा क्षेत्रीय समस्त कर्मचारियों को निर्देषित कर दिया गया है कि वह अपने क्षेत्र में उपस्थित रहकर प्रभावित व्यक्तियों का इलाज उपलब्ध कराना सुनिष्चित करेगें तथा क्षेत्र में हीट वेब/लू से बचने के लिये क्या करे ? क्या न करे? का प्रचार प्रसार भी करेगें। उक्त कर्मचारियों को लू से बचने हेतु छपाये गये 8 हजार पम्फलेट वितरित करने को भी दिये गये हैं। जिनमें अंकित विवरण निम्नवत् है।

हीट वेब/लू से बचने के लिए क्या करें, क्या न करें

लू से लोग मर भी सकते है इसके असर को कम करने के लिए और लू से होने वाली मौत की रोकथाम के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतें/क्या करें/क्या न करें।

क्या करें।

1. जितनी बार हो सके पानी पिये, प्यास न लगे तो भी पानी पिये।
2. हल्के रंग के ढीले–ढीले सूती कपडे पहने। धूप से बचने के लिए गमछा, छाता, धूप का चष्मा, जूते और चप्पल का इस्तेमाल करे।
3. सफर में अपने साथ पानी रखें।
4. अगर आपका काम बाहर का हो तो टोपी, गमछा, या छाता का इस्तेमाल करें और गीले कपड़े को अपने चेहरे, सिर और गर्दन पर रखे।
5. अगर आपकी तबियत ठीक न लगे तो तुरन्त डाक्टर से सम्पर्क करें।
6. पेय पदार्थ जैसे कि लस्सी, नारियल पानी, नीबूपानी, छाछ/आम का पना आदि का सेवन करे।
7. जानवरों को छांव में रखे और उन्हे खूब पानी पिलाये।
8. अपने घर को ठण्डा रखें पर्दे आदि का इस्तेमाल करे, रात में खिडकियों को खुली रखें।
9. फैन, गीले कपडे का उपयोग करें। ठण्डे पानी से बार–बार नहाये।

क्या न करें।

1. कडी धूप में बाहर न निकले, खास कर 12 से 3 बजे के बीच में।
2. ज्यादा तापमान में कठिन काम न करे।
3. शराब चाय कॉफी जैसे पेय पदार्थो का सेवन न करे जो आपके शरीर को निर्जलित कर सकती है।
4. ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन का सेवन न करे।
5. बच्चो और पालतू जानवरों को पार्क किये हुए वाहनों में न छोड़े।

लू लगने पर क्या करें कुछ सुझाव

1. लू लगने पर व्यक्ति को छांव में लिटा दें।
2. ठंड गीले कपडे से शरीर पोछे या फिर ठण्डे पानी से नहलाये।
3. सामान्य तापमान का जल सिर पर डालें। ध्यान रखें कि जिससे शरीर का तापमान कम हो जाय।
4. व्यक्ति को नीबू या नारियल पानी पीने को दे जो कि शरीर में पानी की बढ़ा सके।
5. व्यक्ति को तुरन्त नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाये। चूंकि लू जानलेवा भी हो सकता है अतः तुरन्त अस्पताल में भर्ती करना आवष्यक है।
6. गर्भवती/दुग्धपान करा रही महिलाओं 5 वर्ष से कम बच्चों, वृद्ध एवं अपंगों को लू चलने की स्थिति में घर से बाहर न निकलने दे।

2– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/पषु चिकित्सक केन्दों पर आवष्यक औषधियों की उपलब्धताः–

सामु0स्वा0 केन्द्र/पशु चिकित्सक केन्द्र के प्रभारी चिकित्सकों को निर्देषित किया गया है कि सामान्य से अधिक गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों/हीट वेब आदि से निपटने के लिए आवश्यक एवं जीवन रक्षक औषधियों का भण्डारण सुनिश्चित किया जाय तथा चिकित्सक की निरन्तर उपलब्धता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/पशु चिकित्सक केन्द्र पर सुनिश्चित की जाय। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि उपचार के अभाव में किसी प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु न होने पाये।

तहसील रामसनेहीघाट परिक्षेत्र में अवस्थित स्वास्थ्य सेवाएं एवं पशु चिकित्सक केन्द्र की सूची निम्नवत् है।

स्वास्थ्य सेवाएं

क्रमांक	स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	केन्द्र अधीक्षक/प्रभारी डाक्टर का नाम	दूरभाष
1	सामु0स्वास्थ्य केन्द्र रामसनेहीघाट	डा0 अमरेश वर्मा	7571905666
1ए	न्यू प्रा0 स्वा0 केन्द्र भीखरपुर	डा0 नगमा	9559021309
1बी	न्यू प्रा0 स्वा0 केन्द्र पठकनपुरवा	डा0 शमरीना शाह	9565022220
1सी	न्यू प्रा0 स्वा0 केन्द्र सिल्हौर	डा0 शैफाली दिनकर	8840601800

1डी	न्यू प्रा0 स्वा0 केन्द्र कोटवासड़क	डा0 रामनरेश	9450472842
2	सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र दरियाबाद	डा0 अमित दुबे	9935252009
2ए	न्यू प्रा0 स्वा0 केन्द्र गाजीपुर	डा0 छोटेलाल	9918905001
2बी	न्यू प्रा0 स्वा0 केन्द्र कोटवाधाम	आशीष त्रिपाठी (फार्मासिस्ट)	8840132303
2सी	न्यू प्रा0 स्वा0 केन्द्र दरियाबाद	–	सी.एच.सी से सम्बद्ध
3	सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र टिकैतगनर	डा0 संजय कुमार गुप्ता	9793955585
3ए	न्यू प्रा0 स्वा0 केन्द्र खेतासरांय	डा0 एहसनरज़ा	7860170001
3बी	न्यू प्रा0 स्वा0 केन्द्र अलियाबाद	डा0 सौरभ कुमार	7985543895
3सी	न्यू प्रा0 स्वा0 केन्द्र बेलखरा	दिनेश चन्द्र (फार्मासिस्ट)	8953089558
3डी	न्यू प्रा0 स्वा0 केन्द्र सराय बरई	डा0 सुहेब मोहम्मद	9621941545

पशु चिकित्सालय			
1	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	डा0 अरविन्द कुमार	05248–221108
2	पशु चिकित्सालय बनीकोंडर	डा0 रमेश चन्द्र (इं0)	7054149016
3	पशु चिकित्सालय दरियाबाद	डा0 अशोक कुमार	9415474512
4	पशु चिकित्सालय पूरेडलई	डा0 भरत सिंह	9648511652
5	पशु चिकित्सालय देवीगंज	डा0 कुंवर अजय प्रताप सिंह	9565602553
6	पशु सेवा केन्द्र नियामतगंज	डा0 वरुण कुमार सोनकर	8114222096
7	पशु सेवा केन्द्र खुटौली	श्री रामसनेही पशु0प्रसा0अधि0	9956985270
8	पशु सेवाकेन्द्र सराय बरई	श्री मोनिस तौकीर पशु0प्रसा0अधि0	9919880946
9	पशु चिकित्सालय पठकनपुरवा	श्री नीरज कुमार	8765922754

उपरोक्त समस्त सामु0स्वा0केन्द्र प्रभारी व प्रा0स्वा0केन्द्र प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तहसील परिक्षेत्र में निवास करने वाले 4,44,862 व्यक्तियों के तत्कालिक इलाज हेतु दवाइयों को अनुरक्षित कर लिया जाय जिससे कि हीट वेव/लू से पीडित व्यक्तियों का तत्काल इलाज सम्भव हो सके। इसी के साथ पशु चिकित्सालय प्रभारी व पशु सेवा केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि तहसील परिक्षेत्र में निवास करने वाली गौवंशीय व महिषी (भैंस) 1,47,964 पषुओं के तत्कालिक इलाज हेतु दवाईयों अनुरक्षित कर लिया जाय तथा हीट वेब के प्रभावहीनता हेतु पषुओं में टीकाकरण करा लिया जाय।

3– ग्राम सभा/खाली स्थानों/सड़को/मार्गो के किनारे वृक्षारोपणः– तहसील रामसनेहीघाट जनपद के परिक्षेत्र में 171 ग्राम पंचायतें अवस्थित है उक्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों/लेखपालों को निर्देषित किया गया है कि वे उपरोक्त खाली अविवादित स्थलों पर वृक्षारोपण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे, जिससे भविष्य में हरियाली व वर्षा होने से उपरोक्त समस्या का निदान सम्भव हो।

4– उपयुक्त तालाबों में पानी भराये जाने की व्यवस्थाः– तहसील रामसनेहीघाट 249 ग्रामों से आच्छादित है, जिसमें 3201 तालाब है। उक्त तालाबों में से उपयुक्त एवं ग्रामों/मजरो के निकट अवस्थित तालाबों में पानी भराये जाने के निर्देश दिए गये हैं। लेखपालों के माध्यम से सूचना संकलित की जी रही है कि सम्बन्धित तालाब की गाटा सं0 तथा क्षेत्रफल व पानी भराये जाने का साधन क्या है, जिन तालाबों में पानी भराया जाना है। उपरोक्त कार्य योजना सामान्य से अधिक तापमान होने के पूर्वानुमान के कारण हीट वेब से निपटने हेतु तैयार की गयी है। उक्त के अतिरिक्त शासन/प्रशासन से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन उपरोक्त समस्या से निपटने हेतु किया जायेगा।

कितने तालाबों में पानी है, कितने में नही है तथा कितने में पानी भराया जाना है?

तहसील–रामसनेहीघाट–बाराबंकी विकासखण्ड–दरियाबाद

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	कुल मजरों की संख्या	कुल तालाबों की संख्या	कितने तालाबो में पानी है	पानी भराये जाने योग्य तालाब				विवरण
					गाटा सं0	क्षेत्रफल	तालाब का नाम/मजरे का नाम	पानी भराये जाने का माध्यम	
1	चमरौली	2	58	20	351	1.316	करूवा/भीखमपुर	बोरिंग से	
					303	1.255	कदूया सखा	बोरिंग से	
					889	2.227	नीबहा	बोरिंग से	
2	पूरे कामगार	0	1	0	1	1.764	छोटी डिग्गी	बोरिंग से	
3	केन्हौरा	1	9	5	217	0.770	मिया तालाब	बोरिंग से	
					250	0.102	चमरतलिया	बोरिंग से	

4	गुलचप्पाकला	0	25	15	783	0.493	नासिक छिद्दा	बोरिंग से	
5	अलियाबाद	1	40	10	682	0.764	दरगाह ताल	बोरिंग से	
					577	0.197	पासिन तालाब	बोरिंग से	
6	रसूलपुरकला	0	25	12	859	1.379	मिठवा तालाब	बोरिंग से	
7	बेलहरी	0	5	3	71	0.566	बाला शहीद	बोरिंग से	
					1273	0.101	मियां तालाब	बोरिंग से	
8	मथुरानगर	4	26	7	379क	0.856	छावनी तालाब	बोरिंग से	
					11	0.670	–	–	भरने की आवश्यक ता नही
					773	0.259	डाल तालाब	नहर से	
					1092	0.218	–	बोरिंग से	
9	मुरारपुर	2	13	3	390	0.537	होलिहा तालाब	बोरिंग से	आबादी से सटा है
					483	0.726	बडातालाब	बोरिंग से	
10	जेठौती कुर्मियान	2	9	4	–	–	–	–	भरने की आवश्यक ता नही
11	मंझेला	3	30	8	516	1.008	पकडिया ताल	बोरिंग से	
					283	2.085	झील तालाब	बोरिंग से	
					80	0.434	बतसिआ कुआं तालाब	बोरिंग से	
12	सराय शाह आलम	3	22	15	762	2.565	बड़ा तालाब/सरायशाह आलम ग्राम के उत्तर में	नहर/बोरिग से	
					785	0.210	घासी तालाब/भुईदेपुर	नहर/बोरिग से	
13	श्यामनगर पूर्वी	1	9	6	96	2.175	मुन्नी तालाब/मेहदीपुर	नहर/बोरिग से	
					376	0.522	नया तालाब/पुन्नापुर	नहर/बोरिग से	
14	कोटवा	0	10	6	282	0.805	गोइड़हा ताल	नहर/बोरिग से	
15	बेलहरी	4	18	7	522	.190	चमरहिया ताल	बोरिंग से	
					861	1.516	मड़ई का पुरवा दक्षिण तालाब	बोरिंग से	
					162	0.322	उसरी तालाब	बोरिंग से	
					465	2.284	डेहवा तालाब	बोरिंग से	
16	सुआगाढ़ा	1	9	4	291	0.467	मुगलताल	बोरिंग से	
17	भैसौली	1	3	2	79	2.421	बाबाताल	बोरिंग से	
18	हूंसेपुर	0	6	6	–	–	–	–	
19	लालगंज	2	22	10	95ख	0.098	भुहारेबाबा	बोरिंग से	
					38	0.148	भैंसापुर तालाब	बोरिंग से	

					358	1.158	आदर्श तालाब हूसेपुर	बोरिंग से	
20	बरहुआ	1	36	13	1120	0.859	मंगतन तालाब	बोरिंग से	
					1205	0.303	छवि तलिया	बोरिंग से	
21	दरौली	0	19	7	300	0.583	गउरहा ताल	बोरिंग से	
22	बडनपुर	0	28	10	149	0.601	मिशकरिहा ताल	बोरिंग से	
					416	0.301	भदवा तालाब	बोरिंग से	
					664	0.800	कलेन्दर ताल	बोरिंग से	
23	पहरूपुर	0	10	0	–	–	कल्याणी नदी	नदी	
24	इन्दरपुर	0	6	0	–	–	कल्याणी नदी	नदी	
25	दनापुर क्यामपुर	0	29	0	621ग	1.175	पिहूइया	बोरिंग से	
					676	1.518	दोरतला	नहर से	
26	खानपुर शम्भूदयाल	0	3	0	67	0.898	–	नहर से	
					296	0.797	–	बोरिंग से	
27	खेवराज पुर पश्चिमी	0	2	0	51	0.823	–	बोरिंग से	
28	मियागंज	0	15		282	0.509	–	बोरिंग से	
					640	0.444	–	नहर से	
29	जलपापुर	0	10	0	5	0.152	–	नहर से	
					331	3.214	–	नहर से	
30	जारमऊ	0	5	0	100	0.519	–	नहर से	पानी भरा
31	सरैया चमारान	0	23	0	253	0.493	–	नहर से	पानी भरा
					123	0′.739	–	नहर से	पानी भरा
32	इमिलिहा	3	23	16	174	0.472	नया तालाब / जीत पुरवा उत्तर	नहर / बोरिग से	
					715	0.291	गंगापुर ताल / गंगापुर	बोरिंग से	
33	राहिमापुर राय साहब	0	5	3	181	1.992	ढोकवा तालाब	बोरिंग से	
34	दरियाबाद	0	20	15	–	–	–	–	नहर है
35	खूबा का पुरवा	0	8	4	–	–	–	–	नहर है
36	सराय सिंगई	0	6	2	175	0.430	खिमानिया / सराय सिंगई	बोरिंग से	
					334	0.615	पड़िया	बोरिंग से	
37	गोविन्दपुर (गैर आबाद)	0	2	1	–	–	–	–	–
38	विशुनदासपुर	0	6	3	107	0.225	फफरा	नहर / बोरिंग से	
39	चौधरीपुर (गैर आबाद)	0	1	0	31	0.469	खरेताल	बारिंग से	
40	न्यामतपुर	0	16	1	448	0.779	जंगली तालाब	बोरिंग से	
					639	0.379	आइमा तालाब	बोरिंग से	
41	नेवली	0	6	1	159	0.185	कुडवा तालाब	बोरिंग से	
42	गोकुला	0	4	1	–	–	–	–	कल्याणी नदी

43	रायपुर	0	5	1	–	–	–	–	कल्याणी नदी
44	जेठौती राजपुतान	2	26	4	201	0.259	बतीहिया तालाब	–	
					85	1.379	बड़ा तालाब		
		0	0	0	टिकरी मरखापुर के पास कल्याणी नदी है पानी भरने की आवश्यकता नही				
45	मुरारपुर	0	8	3	288	0.266	ब्रम्हा तालाब	बोरिंग	
46	नोहरेपुर	0	5	4	–	–	–	–	
47	कुशफर	6	79	10	1987	2.523	बड़ाताल	–	पानी भरा है
					2509	0.756	इमिलिहा तालाब / लक्ष्मनपुर	बोरिंग से	
					1359	0.322	भगत तालाब	बोरिंग से	
					भगवानपुर, गोसाईनपुरवा, मंझारपुरवा, पानी भराने की आवश्यकता नही				
48	बनगांवा	3	43	4	117ग	1.550	बुढ़वन बाबा ताल	प्रा0 नलकूप	
					148	0.469	घरखइंया तालाब	प्रा0 नलकूप	
					543	0.434	ढेकवा	प्रा0 नलकूप	
49	जटहा	1	4	1	16	1.106	पठनवा ताल	राजकीय नहर	
50	भवनियापुर	1	5	1	53ख	3.048	झील	प्रा0 नलकूप	
51	मीननगर	1	6	1	255	0.850	बारा बिरवा	प्रा0 नलकूप	
52	बक्सूपुर	1	12	1	164	0.898	कुडिया	प्रा0 नलकूप	
53	भेलौना	0	6	5	272	0.632	नया तालाब	बोरिंग	
54	बीरापुर	0	14	13	119क	0.228	गुलाल ताल	बोरिंग से	
55	बीकापुर	0	32	31	624ख	0.483	बदलू का तालाब	बोरिंग	
56	पतुलकी	0	48	11	722	0.670	ओनइपाल ताल	निजी नलकूप	
57	तारापुर	0	11	7	–	–	–	–	
58	तेलमा	0	29	5	525	2.304	–	बोरिंग से	
59	रानेपुर	0	10	2	424	0.81	धोबीघाट ताल	निजी नलकूप	
69	मंझेला	0	9	8	283	2.085	झील	बोरिंग से	
61	सेमौर	0	6	5	211	0.044	–	बोरिंग से	
62	सीवां	0	8	6	–	–	–	–	
63	श्यामनगर पूर्वी	0	6	4	96	0.653	आर्दश तालाब	बोरिंग नहर	
64	कोटवा	0	10	5	282	0.805	बिचवा ताल	बोरिंग नहर	
65	खरगवापुर	0	18	3	597	1.477	–	बोरिंग से	
66	खत्रीपुर	0	6	6	–	–	–	–	
67	क्यामपुर	0	19	10	207	0.548	गोन्दररिहा ताल	नहर	
68	हरवंशपुर	0	3	1	37ख 38	0.731 0.039	फततापुर कला	नहर	
69	लालपुर गुमान	0	39	38	292ख	0.506	शीतला तालाब	बोरिंग	

	योग	46	1090	410	90				

तहसील–रामसनेहीघाट–बाराबंकी								विकासखण्ड–पूरेडलई	
क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	कुल मजरों की संख्या	कुल तालाबों की संख्या	कितने तालाबो में पानी है	पानी भराये जाने योग्य तालाब				विवरण
					गाटा सं0	क्षेत्रफल	तालाब का नाम/मजरे का नाम	पानी भराये जाने का माध्यम	
1	असवा	1	22	0	–	–	–	–	घाघरा नदी से
2	मैला	1	0	0	–	–	–	–	घाघरा नदी से
3	किटूली	1	0	0	–	–	–	–	घाघरा नदी से
4	लिलार	1	0	0	–	–	–	–	घाघरा नदी से
5	बांसगांव	16	1	0	2045ख	0.215	हरिभजन तालाब	कोई नही	उक्ता गाटा नाला के रूप में है
6	कमियार	7	0	0	–	–	–	–	घाघरा नदी के किनारे
7	सेमरी	1	0	0	–	–	–	–	घाघरा नदी के किनारे
8	मल्दहा	0	0	0	–	–	–	–	पानी नदी मं चल रहा
9	गढ़ी	0	0	0	–	–	–	–	पानी नदी मं चल रहा
10	पत्रा	0	0	0	–	–	–	–	पानी नदी मं चल रहा
11	काठाभीत	0	0	0	–	–	–	–	गैर आबाद
12	पूरेडलई	5	15	1	502	0.748	पेरूवाताल/पूरेडलई	बोरिंग से	
		0	0	0	320	0.595	पसरीताल/वैशुनपुरवा	बोरिंग से	
13	फततापुरकला	5	6	1	245	0.139	मालीताल/मैंदीपुर	बोरिंग से	
		0	0	0	999	0.570	नैनीताल/फततापुरकला	बोरिंग से	
		0	0	0	886	0.920	नयाताल/दुलहिनपुरवा	बोरिंग से	
		0	0	0	644	0.500	भमताताल/भीखमपुर	बोरिंग से	
14	हसौर	2	14	0	962	0.′304	बरगदिहा/पश्चिमपुरवा	बोरिंग से	तालाब भराने पर भी पानी नही
		0	0	0	1	0.379	जेवरी/गोिडयानपुरवा		
15	खुटौली	1	11	2	127	0.278	लहुरिया/खुटौली	बोरिंग से	
		0	0	0	181	1.012	दहा तालाब/खुटौली	बोरिंग से	

16	खेमापुर वस्तौली	3	8	3	519	0.219	सतहा / खेमापुर वस्तौली	बोरिंग से	
		0	0	0	757	0.340	छतरी / छीटूमिश्र पुरवा	बोरिंग से	
17	उदईमऊ	6	23	3	830	0.545	बुधना	प्रा0 नलकूप	
		0	0	0	20	0.356	बड़का उदईमऊ	प्रा0 नलकूप	
		0	0	0	1035	0.341	ककरहिया	नहर से	
18	निम्बहा	3	6	1	264	0.761	कुण्डा ताल	प्रा0 नलकूप	
		0	0	0	59	0.525	गुरथनिया	प्रा0 नलकूप	
19	टिकवामऊ	0	7	1	350	2.009	पुरैना	प्रा0 नलकूप	
20	रानीमऊ	0	11	1	769क	0.704	तलनिया ताल	प्रा0 नलकूप	
		0	0	0	794	0.504	बरगढ़ी	प्रा0 नलकूप	
21	सरायसैफ	0	17	1	290	0.139	आदर्श भवानी ताल	प्रा0 नलकूप	
		0	0	0	293	0.190			
22	बेलखरा	2	22	1	1228	0.208	नन्दीताल	पम्प सेट	
23	बसन्तपुर	4	27	1	1444 / 1	2.630	नेवरीताल / खजुरा	पम्प सेट	
24	सिकरी जीवल	4	23	2	565ग	0.190	काशीदास तालाब	बोरिंग से	
		0	0	0	1577	0.535	नीबू तालाब	प्रा0 नलकूप	
25	सिकरोहरा	4	5	1	553	0.077	कुवर का तालाब	बोरिंग से	
		0	0	0	280	0.111	गड़ही ताल	बोरिंग से	
		0	0	0	775	1.237	कुडका ताल सिकरोहरा	बोरिंग से	
26	रहिमापुर बजरंग सिंह	2	15	2	609	1.583	मोहिनी ताल	बोरिंग से	
		0	0	0	591	0.253	सनीताल	बोरिंग से	
27	पंडरावा	1	10	1	544	0.405	दक्षिण ताल	बोरिंग से	
28	खेवराजपुर पूर्वी	0	4	0	174	0.411	पाण्डेय ताल	बोरिंग से	
29	अतरसुइया	0	0	0	—	—	—	—	घाघरा नदी है
30	उमरहरा	0	0	0	—	—	—	—	
31	नियामतपुर	0	2	2	60	1.541	अकोहरिया	बोरिंग से	
		0	0	0	462	0.471	रामसागर	बोरिंग से	
32	सिहोरिया	0	0	0	—	—	—	—	तालाब नही है
33	जलालपुर तराई	0	0	0	—	—	—	—	
34	खेतासरांय	2	12	2	1514	0.493	खेतुना	बोरिंग से	
		0	0	0	1266क	0.499	खुजुरी	बोरिंग से	
35	चिर्रा	1	21	2	632	0.531	जमला	बोरिंग से	
		0	0	0	802	0.519	निम्बहा माढेमऊ	बोरिंग से	

36	सराय बरई	1	11	4	41	0.569	गुला हरिया	बोरिंग से	
		0	0	0	89	0.569	चमरी तालाब	बोरिंग से	
37	खमोली	1	8	5	426	0.850	ककरहिया	बोरिंग से	
38	आल्हनमऊ	1	36	12	583	0.670	जरकू तालाब	बोरिंग से	
		0	0	0	568	0.468	भिट तालाब	बोरिंग से	
39	कोयलावर	3	0	0	–	–	–	–	ग्राम में तालाब नही है
40	ढेमा	4	0	0	–	–	–	–	
41	पंसारा	2	4	2	658	0.597	सयरहिया ताल	बोरिंग से	
42	कूढा सुखीपुर	1	8	3	–	–	–	–	
43	सुखीपुर	3	6	3	972	0.507	सालही तालाब	बोरिंग से	
		0	0	0	422	0.690	पियरा तालाब	बोरिंग से	
44	डालमऊ	2	3	1	264	0.481	खैस तालाब	बोरिंग से	
		0	0	0	160	0.719	खौदा तालाब	बोरिंग से	
45	चांदामऊ	3	7	3	77	0.490	बरगदिहा	नहर से	
		0	0	0	516	0.210	बड़कवा ताल	नहर से	
46	बादशाहनगर	1	4	2	357	1.442	नरहिया	बोरिंग से	
		0	0	0	687	0.274	सनखरा	बोरिंग से	
47	मंगरौडा	1	11	2	1032	0.443	कुशमैला	बोरिंग से	
		0	0	0	1310च	0.266	कैथा	बोरिंग से	
48	अजईमऊ	0	28	22	77 426 551	0.089 0.610 0.319	लडहा ताल मरिहा ताल नया ताल	बोरिंग से	
49	अरूवा	0	8	7	724	–	वन तालाब	बोरिंग से	
50	अरसण्डा	0	23	10	139 623 613	0.502 1.452 0.923	–	नलकूप	
51	नूरपुर	0	15	7	250	0.246	–	नलकूप	
52	सराही	2	25	11	177	0.478	गोइड़वा ताल	बोरिंग से	
		0	0	0	68	0.560	जुड़ावन तलिया	बोरिंग से	
		0	0	0	451	1.278	कंचनपुर ताल	बोरिंग से	
53	रेवढा	1	20	7	339	0.289	देवरनिया ताल	बोरिंग से	
		0	0	0	143	0.292	लम्बौआ ताल	बोरिंग से	
54	बघौली	1	55	17	158ख	0.253	कनवा ताल	बोरिंग से	
55	गुनौली	0	0	0	–	–	–	–	
56	टिकरी	0	0	0	–	–	–	–	कल्याणी नदी

									है
57	ढेमा	0	0	0	—	—	—	—	
		100	554	146	—	—	—	—	

तहसील–रामसनेहीघाट–बाराबंकी **विकास ण्ड–बनीकोडर**

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	कुल मजरों की संख्या	कुल तालाबों की संख्या	कितने तालाबो में पानी है	पानी भराये जाने योग्य तालाब				विवरण
					गाटा सं0	क्षेत्रफल	तालाब का नाम/मजरे का नाम	पानी भराये जाने का माध्यम	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	छन्दवल		60	0	546	0.831हे0	कलवार ताल	बोरिंग से	
			0	0	1860	0.607	खूनताल	बोरिंग से	
2	अहमदपुर		53	0	485	0.582हे0	खत्ताताल	बोरिंग से	
			0	0	1346	0.607हे0	बसन्ता ताल	बोरिंग से	
3	किठूरी		45	0	601	0.809हे0	सुमिन तालाब	नहर या बोरिंग से	
			0	0	447	0.908हे0	समदा तालाब	नहर या बोरिंग से	
4	लालूपुर		20	0	287	0.341हे0	महोली तालाब	नहर या बोरिंग से	
			0	0	291	1.480हे0	मंजीठा तालाब	नहर या बोरिंग से	
5	देवकली		8	0	197	1.437हे0	होली गड़हा तालाब	नहर या बोरिंग से	
			0	0	390	0.278हे0	कर्बला तालाब	नहर या बोरिंग से	
6	लालपुर राजपुर		18	0	153	0.405हे0	बाबा तालाब	नहर या बोरिंग से	
			0	0	722	0.076	उर्मी तालाब	नहर या बोरिंग से	
7	सोहिलपुर		12	0	248	0.038हे0	वाहीक तालाब	नहर या बोरिंग से	
			0	0	249	0.342हे0	बाहीक तालाब	नहर या बोरिंग से	
8	हथौंधा		17	0	133	0.392	भोगला तालाब	पम्पसेट से	
			0	0	145	0.114हे0	वन तालाब	पम्प सेट से	
9	मेंडुवा		51	0	1421ख	1.158हे0	जोरिया तालाब	निजी नलकूप	
			0	0	1583क	0.165हे0	डोबिया तालाब	नहर से पानी भरा जा चुका है	
10	हंसेपुर		5	0	348	0.253हे0	तलिया तालाब	निजी नलकूप अथवा नहर से	
			0	0	144	0.291हे0	भगोले के सहन के सामने	निजी नलकूप से	

11	भवनियापुर खेवली		13	0	403	0.278हे0	डुबकी तालाब	नहर से पानी जा चुका है	
			0	0	1082	0.278हे0	लालपुरवा तालाब	निजी नलकूप	
12	सनौली		69	0	1164	0.253हे0	बनियनवीर तालाब	नहर व बोरिंग	
			0	0	2974	0.658हे0	कुम्हारन तालाब	नहर व बोरिंग	
13	सादुल्लापुर		32	0	429	1.138हे0	बड़तला	बोरिंग से	
14	राघवपुर		9	0	103	0.632हे0	बड़तला	बोरिंग से	
15	मूंसेपुर		7	0	550	0.791हे0	घोबियाताल	नहर से	
16	राजेपुर		12	0	256	0.594हे0	घरघटा	नहर से	
17	रामपुर		14	0	50	0.240	गोलकताल	बोरिंग से	
18	भीखरपुर		11	0	744	0.339	चंदनिया ताल	बोरिंग से	
19	सकतपुर		13	0	135	0.435	पिपरहा ताल	बोरिंग से	
20	महमूदपुर		3	0	—	—	—	—	
21	नाथूपुर		18	0	16	1.123	ज्वारताल	बोरिंग से	
22	सकौली		14	0	23	0.547	कुडवाताल	बोरिंग से	
23	मऊ		18	0	871	0.531	पिपरही	बोरिंग से	
			0	0	187	0.449	मांझा	बोरिंग से	
24	शोभापुर भेलसड़ी		10	0	405	0.341		नहर से	
25	कन्धईपुर		11	0	691	0.468	गंगारामताल	बोरिंग से	
26	उमापुर तालुक		10	0	65	0.961	माटनताल	बोरिंग से	
27	जगतपुर		6	0	254	0.245	सहबनिया ताल	बोरिंग से	
28	पिथूरपुर		6	0	296	0.834	नयाताल	नहर से	
29	असेना		12	0	1179	0.632	धोबीताल	नहर/बोरिग से	
			0	0	1536	0.215	बेल्हाताल	नहर/बोरिग से	
30	खेवराजपुर		8	0	571	0.227	जौकहरा	निजी नलकूप से	
			0	0	286	0.139	लहुराताल	निजी नलकूप से	
31	भगवानपरु		4	0	12	0.386	इमिलिहा	नहर/बोरिग से	
32	दिलोना		29	0	84	1.144	बाबा का ताल	नहर/बोरिग से	
			0	0	561	0.658	मल्ल का तालाब	बोरिग से	
			0	0	179	0.509	बघैनी तालाब	बोरिग से	
34	बड़ेला नरायनपुर		32	0	76	0.619	लोधीतालाब	निजी नलकूप	
			0	0	495	0.576	डुहीबीर ताल	नहर/बोरिग से	
35	उमरापुर		19	0	946	0.721	निम्बहा	नहर/प्रा0	

	रायसाहब						ताल	नलकूप से	
			0	0	969	0.544	पठकन तालाब	प्राईवेट नलकूप से	
			0	0	946	0.721	मनतला तालाब	प्राईवेट नलकूप से	
36	मोहम्मदपुर कीरत		11	0	140	0.126	बेल्हीताल	नहर/बोरिंग से	
37	तहसीपुर		6	4	180	0.443	बरूहा तालाब	निजी बोरिंग से	
			0	0	652	0.809	कनवा तालाब	निजी बोरिंग से	
			0	0	175	0.215	बरूहा तालाब	निजी बोरिंग से	
38	दुलहदेपुर		5	3	258	0'.562	गुलरिहा ताल	निजी बोरिंग से	
			0	0	532	0.832	पिपरहा ताल	निजी बोरिंग से	
39	शाहपुर		12	6	540	0.671	पियाताल	निजी बोरिंग से	
			0	0	579क	1.219	पिपरहाताल	निजी बोरिंग से	
			0	0	868	0.667	—	निजी बोरिंग से	
			0	0	869	0.065	—	निजी बोरिंग से	
			0	0	1156	0.101	—	निजी बोरिंग से	
			0	0	860	0.063	—	निजी बोरिंग से	
40	सलेमपुर		5	0	181	1.205	भोगवा तालाब	नहर/बोरिंग से	
41	भवनियापुर		8	0	405स	0.392	बन्तरा तालाब	नहर/बोरिंग से	
			0	0	367	0.182	कुटिया तालाब	नहर/बोरिंग से	
			0	0	669	0.556	अवधूत तालाब	नहर से	
42	किठैया		18	0	786क	0.278	महुवा तालाब	नहर/बोरिंग से	
43	गजपतीपुर		7	0	265	0.468	गनीपुरवा तालाब	नहर/बोरिंग से	
44	बेलिया		22	0	339	0.586	हराम तालाब	नहर/बोरिंग से	
			0	0	293	0.531	समदा तालाब	नहर/बोरिंग से	
45	जरौली		25	0	773	0.278	सगराता तालाब	बोरिंग से	
46	धनौली मिश्रान		10	0	218	1.404	देवी तालाब	नहर से	पानी भरा है
			0	0	239	1.141	देवी तालाब के प0	नहर से	
47	ओहरपुर		13	0	131	0.507	ओहरपुर उत्तरी तालाब	नहर/बोरिंग से	ग्राम गोमती नदी के किनारे है
48	धनौली खास		20	0	442	0.228	तलिया तालाब	बोरिंग से	
49	गैरिया		12	0	176	1.113	लच्छुई तालाब	बोरिंग से	
50	लकडिया		2	0	350	5.198	ग्राम तालाब	नदी से	ग्राम में नदी है

51	दान्दूपुर		5	0	187	0.222	धोवरिया तालाब	ट्यूबवेल	
52	मवईया		5	0	396	0.797	भिखना ताल	ट्यूबवेल	
53	पहला		1	0	60	0.106	गयाऊताल	ट्यूबवेल	
54	महरूपुर		0	0	–	–	–	–	–
55	गोरपुर		20	0	187	0.344	किटवाताल	ट्यूबवेल	
56	मोहम्मदपुर उपाध्याय		8	0	396	0.797	चमरगऊहा ताल	ट्यूबवेल	
57	तिवारीपुर		16	0	191ग	0.455	गोयउताल	ट्यूबवेल	
58	पूरेमनी		1	0	36ख	0.126	नहसताल	ट्यूबवेल	
59	निस्कापुर		11	0	187क	0.344	खुशहाताल	ट्यूबवेल	
60	थोरथिया		12	0	168	0.858	करहाताल	बोरिंग से	
61	हकामी		39	0	1365घ	0.503	भरमिटढा ताल	बोरिंग लालता पुत्र अकबाल	
			0	0	680	0.248	छुलिहाताल	बोरिंग दयाशकर	
			0	0	1265ख	0.717	नौहडिया (हकामी)	बोरिंग विक्रम की	
			0	0	1446	0.122	बढ़ईताल	बोरिंग राकेशनाथ	
			0	0	793	0.848	बरगदही	बोरिंग दयाशंकर की	
			0	0	477	0.193	शंकरजी मन्दिर ताल	बोरिंग वीरेन्द्र प्रताप	
62	खरिकाफूल		28	0	797	0.304	सद्लाताल	बोरिंग सुखनन्दन	
			0	0	715	0.215	लहुरा ताल	बोरिंग नरेश कुमार	
			0	0	944	0.582	जुजनईताल	बोरिंग रामगुलाम	
63	टांडा		5	0	11	1.359	रतनपाण्डेय ताल	बोरिंग भगौती	
			0	0	441	0.202	बड़ाताल	बोरिंग मनीराम	
64	धारूपुर		5	0	408	0.556	गौरिया ताल	बोरिंग भगवान	
65	मझगवां		5	0	104	0.614	इमिलिहा	बोरिंग कमरपाल, गुलाब सिंह	
66	सूपामऊ		8	0	410	0.301	बड़ाताल	बोरिंग अशोक	
			0	0	3	0.093	गचेडा ताल	बोरिंग अरविन्द यादव	
			0	0	286	0.355	चेलही ताल	बोरिंग परमेश	
67	सुखीपुर		12	0	194	0.708	सड़वाताला ब	ट्यूबवेल से	
68	टेमा		3	0	37	0.212	पुराना तालाब	ट्यूबवेल से	
69	फतेहगंज		17	0	123	0.899	पिटरी तालाब	ट्यूबवेल से	
70	गुनौली		16	0	117	0.746	पिपरहा तालाब	ट्यूबवेल से	

71	महुलारा		19	0	900क	0.201	भागीरथ तालाब	ट्यूबवेल से	
72	दुल्लापुर		8	0	347	0.095	पासिन तालाब	ट्यूबवेल से	
73	भौसिहपुर		3	0	485	0.215	वीता तालाब	ट्यूबवेल से	
74	सोहासा		2	0	319	0.187	हिवलाताल	ट्यूबवेल से	
75	मानपुर मकोहिया		5	0	122ग	0.544	दुतहा तालाब	ट्यूबवेल से	
76	सूर्यपुर		30	0	222	0.797	पूर्वीताल	बोरिंग से	
			0	0	538	0.559	वोछेटा ताल	बोरिंग से	
			0	0	1385	0.316	गनेशी ताल	बोरिंग से	
			0	0	998	0.537	लम्बो तालाब	बोरिंग से	
77	खुशेहटी		23	0	234	0.090	छिछिया ताल	बोरिंग से	
			0	0	332ग	0.621	साड़ी का ताल	नहर से	
78	चकरामपुर		17	0	28क	0.190	झीलताल	ट्यूबवेल से	
			0	0	28ख	0.190	झीलताल	ट्यूबवेल से	
79	डिगसरी		22	0	555	0.873	महरियाताल	बोरिंग से	
80	तोरईगांव		31	0	533	0.203	पसरावनताल	नहर से	
			0	0	361	0.203	हड़हिया ताल	ट्यूबवेल से	
81	टिकरा		18	0	908	0.771	पुरवा ताल	बोरिंग से	
82	सिल्हौर		17	0	369	1.972	दाईताल	बोरिंग से	
83	रसूलपुर		4	0	212	0.316	गोडिया ताल	निजी नलकूप से	
			0	0	320	0.486	देवकहा	निजी नलकूप से	
84	अशरफपुर		4	0	550	0.132	अशरफताल	निजी नलकूप से	
85	हाजीपुर		10	0	209	0.392	काहिल ताल	निजी नलकूप से	
86	रमगढ़ा		3	0	141	0.114	रमगढ़ी तालाब	नहर से	
87	रतौली		8	0	330	0.152	हरा तालाब	नहर से	
			0	0	288ग	0.234	गोसाई तालाब	नहर से	
88	बांसूपुर		1	0	124	0.354	बांसूपुर तालाब	बारिंग से	
89	बबुरीगांव		17	0	383	0.266	बीरा तालाब	बारिंग से	
			0	0	892	0.367	मटवातालाब	बारिंग से	
			0	0	1058ख	0.240	बाबा सुन्दरदास कुटी तालाब	बारिंग से	पानी भरा है
			0	0	1253	0.190	चौबे तालाब	बारिंग से	
90	अमहिया		0	0	899	0.468	पाण्डेय	निजी नलकूप	

							तालाब		
			0	0	1285	0.534	हड्डा तालाब	राजकीय नलकूप	
91	जमोली		0	0	1038	0.936	लम्बुआ ताल	निजी नलकूप	
			0	0	1106	0.771	छतौना ताल	निजी नलकूप	
92	अेकोहरी		0	0	—	—	गौर आबादी	—	—
93	सरवन टिकठा		1	0	146	0.051	गड़ही	बोरिंग से	कल्यानी नदी के नट पर
94	बेलपुर		2	1	73	0.392	खम्भा ताल	बोरिंग से	
95	मंझौटी		4	1	247	0.701	मद्दू ताल	बोरिंग से	
96	मालिनपुर		12	1	369	0.291	गोंसाईताल	बोरिंग से	
			0	0	1177	0.696	पिपरहा ताल	बोरिंग से	
97	इब्राहिमाबाद		13	3	717	0.784	इटाहुआ ताल	बोरिंग से	
98	बठौली		12/4	0	55क	0.673	दुबहा ताल	निजी नलकूप	
			0	0	344	0.620	सोनार ताल	निजी नलकूप	
99	सलेमपुर		8	0	295	0.221	गुडकरी ताल	निजी बोंरिग	
			0	0	95	0.354	नया ताल	निजी बोंरिग	
100	जेठबनी		8	2	205	0.652	बेलहा/जेठबनी	प्रा0 नलकूप	
101	सरोहा		7	7	—	—	—	—	कल्याणी नदी
102	धुनौली ठाकुरान		8	2	321	1.218	सारीबाबा ताल	प्रा0 नलकूप	
103	कोटवा सडक		10	3	595 274	1.328 0.405	रानीताल मेडिया ताल	इंजन बोरिंग	
104	संडवा भेलू		31	0	65	0.708	खन्ता ताल	निली नलकूप	
			0	0	993	0.430	गुलरिहा ताल	निली नलकूप	
105	सिकरेहना		0	0	—	—	—	—	कल्याणी नदी
106	बाजपुर		2	0	कल्याणी नदी से गांव मिला हुआ है।				
107	पोयनी		2	0	कल्याणी नंदी से गांव मिला हुआ है।				
108	जयचन्दपुर		3	0	53	0.619	बेलहा	बोंरिंग श्री नरायन	
109	भानपुर		6	0	72च	0.468	बरगदहा	नहर से	
110	बहरेलाडीह		3	0	3फ	1.644	पठावनताल	बोरिंग अशोक सिंह	
111	कुंवरपुर		0	0	कल्याणी नदी से गांव मिला हुआ है।				
112	भरहेमऊ		8	0	रारी नदी से गांव मिला हुआ है।				
113	चौरीअलादादपुर		11	0	93ख	0.582	लहुरा ताल	बोरिंग अजय कुमार	
114	वजीउद्दीनपुर		5	0	—	—	—	—	

115	धरौली		26	3	441	0.726	भैया का ताल	प्रा0नलकूप	
			0	0	752	0.702	देविनताल	प्रा0नलकूप	
116	बनीकोडर		19	2	260	1.581	भेंदुवाताल	प्रा0नलकूप	
117	चन्दौली		23	2	122क	0.790	बड़ाताल	प्रा0नलकूप	
118	नरायनपुर		5	1	899	0.899	बड़ाताल	प्रा0नलकूप	
119	भुड़ेहरी		3	0	50	0.513	मनतला ताल	प्रा0नलकूप	
120	काशीपर		3	1	—	—	—	—	
121	भेन्दुवा ब्रहमनान		15	3	68	0.658	लोकईताल	प्रा0 नलकूप	
			0	0	226	0.190	जगदीश बाबा	प्रा0 नलकूप	
122	भेंदुवा बहरेला		15	4	272	0.279	बेलहा/पूरेज लई	नहर/प्रा0 नलकूप	
			0	0	327	0.544	छत्रपाल	प्रा0 नलकूप	
			0	0	435	0.635	बनतला	प्रा0 नलकूप	
123	पाराहाजी		0	0	0	0	—	—	
	योग		1557	49			—	—	

5— पेय जल की व्यवस्था—

अक्सर देखा गया है कि सूखे के समय सबसे बड़ी समस्या पेयजल की उत्पन्न होती है। यद्यपि शासन ने इस समस्या से निपटने हेतु प्रत्येक गांव में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प स्थापित करायें हैं। तहसील रामसनेहीघाट परिक्षेत्र में 12104 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प स्थापित हैं। सूखे से निपटने हेतु समस्त क्षेत्रीय कर्मचारी/लेखपाल को निदेर्शित किया गया है कि वह अपने क्षेत्र के सभी ग्रामों का सर्वे कर स्थापित हैण्डपम्पों की सूचना निर्धारित किये गये प्रारूप पर अतिशीघ्र उपलब्ध करायें। खराब पाये जाने वाले हैण्डपम्पों की सूची तत्काल जल निगम को प्रेषित कर उक्त समस्या के समाधान हेतु कार्यवाही की जायेगी।

मानव के पेयजल के साथ—साथ पशुओं के पेयजल की समस्या सूखे के समय विकराल होती है। उक्त समस्या के निपटने हेतु लेखपालो को निदेर्शित किया गया है कि कम से कम प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक ऐसे तालाब को चिन्हित किया जाय जिसमें पशुओं के पेयजल हेतु पानी भराया जा सके। प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तहसील में कुल 3201 तालाब अवस्थित है, जिसमे 730 ऐसे तालाब हैं जो मजरे/आबादी के पास अवस्थित है जिन्हे पानी से भराया जाना आवष्यक है उक्त तालाबों के नाम व गाटा सं0 तथा पानी से भराये जाने का माध्यम युक्त सूची संबन्धित विकासखण्ड को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कर दी गयी है कि हीट वेब/लू से निपटने हेतु अतिषीघ्र उक्त तालाबों को पानी से भराया जाए।

जल स्त्रोतो का विवरण

विकास खण्ड का नाम	विकास खण्ड में ग्रामों की संख्या	विकास खण्ड मे स्थापित हैण्ड पम्प
बनीकोडर	123 ग्राम	8680
दरियाबाद	68 ग्राम	1764
पूरेडलई	57 ग्राम	1576
नगर पंचायत दरियाबाद	1 नगर	84
योग	**249**	**12104**

खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था—

हीट वेब/लू के समय राहत वितरण हेतु खाद्यान्न, केरोसीन आयल,डीजल, कुंकिग गैस, पेट्रोल आदि की व्यवस्था सुनिष्चित की जाती है, खाद्यान्न हेतु सम्भागीय विपणन अधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी बाराबंकी को निर्देश जारी किये गये है। प्रत्येक खण्ड में हाट शाखा का गोदाम स्थापित है उपजिलाधिकारी की मांग के अनुसार इनके द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा।

उपजिलाधिकारी की मांग पर वांछित मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जायेगा।

डीजल एवं पेट्रोल पम्पों को यह निर्देश निर्गत किये गये है कि हीट वेब/लू के दौरान पेट्रोल व डीजल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता बनाये रखेगे। गैस ऐजेन्सी को भी गैस उपलब्धता हेतु निर्देश निर्गत किये गये है।

उपरोक्त से सम्बन्धित एवं फोन नम्बर निम्नवत है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	मोबाइल नं0
1	जिला पूर्ति अधिकारी, बाराबंकी	डा0राकेश कुमार तिवारी	7007932106
2	पूर्ति निरीक्षक वि0खण्ड बनीकोडर	श्री अनुज कुमार सिंह प्रभारी	7060941227
3	पूर्ति निरीक्षक वि0खण्ड दरियाबाद	श्री अनुज कुमार सिंह प्रभारी	7060941227
4	पूर्ति निरीक्षक वि0खण्ड पूरेडलई	श्री अनुज कुमार सिंह प्रभारी	7060941227
5	विपणन अधिकारी, भिटरिया	श्री आलोक श्रीवास्तव	9473871855
6	विपणन अधिकारी, दरियाबाद	श्री अभिषेक श्रीवास्तव	9889423993
7	विपणन अधिकारी, टिकैतनगर	श्री अनिल यादव	9415100670

मिट्टी के तेल के थोक विक्रेता

1— मेसर्स शरनी ट्रेडर्स भिटरिया — 9415049164
2— आर0के0बी0के ट्रेडिंग कम्पनी बाराबंकी — 9935307954
3— आर0के0बी0के ट्रेडिंग कम्पनी हैदरगढ — 9454282000

पेट्रोल पम्प व डीजल विक्रेता

1— अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी रामसनेहीघाट — 05241—285224
2— आदर्श गौरी सर्विस स्टेशन जेठबनी — 9794626533
3— सैनिक फिलिंग स्टेशन कोटवा सडक — 9450920165
4— शीला फिलिंग स्टेशन मुरारपुर — 9918717685
5— हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड भीखरपुर — 9695265555
6— चौधरी फिलिग स्टेशन पूरेडलई नियामतगंज बाजार — 9839913931

गैस एजेन्सी

1— राजा गैस सर्विस इब्राहिमाबाद — 9005676266
2— ओम गैस सर्विस दरियाबाद — 9936653994
3— परिहार गैस सर्विस सिद्धौर हैदरगढ — 9984042042
4— राधेश्याम इण्डेन गैस ग्रामीण वितरक अहमदपुर — 9956987630

आपदा दूरभाष विवरणिका

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	फोन नम्बर
1	जिलाधिकारी बाराबंकी	9454417540
2	पुलिस अधीक्षक बाराबंकी	05248—222277
3	अपर जिलाधिकारी बाराबंकी	9454417611
4	मुख्य चिकित्साधिकारी बाराबंकी	8005192641
5	मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी	05241—223103
6	आपदा कार्याय बाराबंकी	9454416170
7	बाढ़ नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम), रामसनेहीघाट	05241—255228
8	उप जिलाधिकारी, रामसनेहीघाट, बाराबंकी	9454416146
9	तहसीलदार, रामसनेहीघाट, बाराबंकी	9454416154
10	क्षेत्राधिकारी रामसनेहीघाट, बाराबंकी	9454401390
11	खण्ड विकास अधिकारी, पूरेडलई	9450904433
12	खण्ड विकास अधिकारी, दरियाबाद	9415647812
13	खण्ड विकास अधिकारी, बनींकोंडर	9415647812
14	बेसिक शिक्षाधिकारी बाराबंकी	9453004143
15	सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी पूरेडलई	9451428437
16	सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी दरियाबाद	9415721893
17	सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी बनीकोडर	9415063412
18	नायब तहसीलदार, रामसनेहीघाट	9454416152
19	प्रभारी अधिकारी दैवी आपदा, बाराबंकी	9454416170

20	थाना दरियाबाद	9454403059
21	थाना टिकैतनगर	9454403077
22	थाना रामसनेहीघाट	9454403073
23	थाना पटरंगा	9454403308
24	थाना असन्द्रा	9454403656
25	रजिस्ट्रार कानूनगो, दैवी आपदा रामसनेहीघाट	9451614200
26	अग्नि शमन केन्द्र, बाराबंकी	101
27	अग्नि शमन स्टेशन, रामसनेहीघाट	05241–255245
28	बाढ़ कार्य खण्ड गोण्डा	9451405354
29	बाढ कार्य खण्ड बाराबंकी	9415701640
30	अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड रामसनेहीघाट	9415901600
31	अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई	9450192140
32	अधिशाषी अभियन्ता नलकूप	05248–223868
33	अधिशाषी अभियन्ता जल निगम	05248–222602
34	मेगनाइज्ड फार्म कमियार	8948957551
35	सचल एम्बुलेन्स	108

पुलिस व्यवस्था

हीट वेब/लू के दौरान प्रायः देखा गया है कि जब जन–धन की हानि होती है तब जनमानस के उग्र रूप का सामना प्रशासन को करना पड़ता है, ऐसे समय में कर्मचारियों का काम करना/राहत पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। चाहे वह बांधों की सुरक्षा हो अथवा नावों का संचालन या खाद्य /राहत सामग्री का वितरण हो। ऐसे समय में पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों की अत्यन्त आवश्यकता होती है। इसके साथ–साथ बाढ़ के दौरान जब संचार व्यवस्था भंग को जाती है तब वायरलेस सेट की जरूरत पड़ती है, जो पुलिस विभाग द्वारा ही सम्भव है। अतः दैवी आपदा के समय पुलिस व्यवस्था प्रशासन का आवश्यक अंग होती है। पुलिस व्यवस्था हेतु आवश्यक फोन नम्बर निम्नवत हैं:–

क्रमांक	पुलिस प्रभारी	फोन नम्बर
1	क्षेत्राधिकारी, रामसनेहीघाट	9454401390
2	थाना दरियाबाद	9454403059
3	थाना/कोतवाली रामसनेहीघाट	9454403073
4	थाना टिकैतनगर	9454403077
5	थाना पटरंगा	9454403308
6	थाना असन्द्रा	9454403056

• तहसील– सिरौलीगौसपुर:-

हीट बेव/लू से निपटने हेतु कार्ययोजना वर्ष–2025–26

तहसील–सिरौली गौसपुर, जनपद–बाराबंकी

–: सामान्य विवरण :–

1	तहसील मे कुल राजस्व ग्राम–	189 (आबाद ग्राम 181, गैर आबाद ग्राम 08)
2	भौगोलिक क्षेत्रफल–	40777 हे0
3	शुद्व बोया गया क्षेत्रफल–	27782 (हे0 में)
4	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल–	23268 (हे0 में)
5	जनसंख्या(जनगणना 2011) के अनुसार–	3,19,766 ग्रामीण–3,10,313 नगरीय–9453
6	विकास खण्ड–	04(सिरौलीगौसपुर,पूरेडलई(आं0),दरियाबाद(आं0),रामनगर(आं0)
7	थाना–	08(टिकैतनगर(आं0),बदोसरॉय,दरियाबाद(आं0), रामसनेहीघाट(आं0),सफदरगंज(आं0),मसौली(आं0),रामनगर(आं0), जरवलरोड(आं0)
8	नगर पंचायत	01 (टिकैतनगर)
9	न्याय पंचायत	18

10	ग्राम पंचायत	123
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	07
12	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	03
13	पशु चिकित्सालय	03

तहसील सिरौली गौसपुर जनपद बाराबंकी के उत्तरी–पूर्वी किनारे पर स्थित है। तहसील का भू–भाग पश्चिम तहसील रामनगर जनपद बाराबंकी, उत्तर–पश्चिम तहसील कैसरगंज जनपद बहराईच व उत्तर तहसील करनैलगंज जनपद गोण्डा एवं पूर्व तहसील रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी व दक्षिण तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी स्थित है। तहसील का भौगोलिक क्षेत्रफल 40777 हे0 है तथा कृषि क्षेत्रफल 28086 हे0 है। जिसमें 188 राजस्व ग्राम तथा 1 नगर पंचायत है। जिसमें 8 राजस्व ग्राम गैर आबाद हैं। तहसील अन्तर्गत 123 ग्राम पंचायतें है। जिसमे विकास खण्ड सिरौली गौसपुर की 73 व विकास खण्ड पूरेडलई की 12, विकास खण्ड रामनगर 7 तथा दरियाबाद की 31 ग्राम पंचायतें आती हैं। ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ होते ही अप्रैल–जून माह मे लू/हीटवेव की सम्भावना बनी रहती है। लू/हीटवेव से निपटने के लिये लू/हीटवेव नियन्त्रण कार्य योजना वर्ष–2025–26 निम्नवत तैयार की गयी है।

1. प्रस्तावना– माह अप्रैल से जून तक लू/हीटवेव का मौसम होता है। वर्तमान मे बेहद गर्म हवाएं चल रही है। गर्मियों मे चलने वाली तेज गर्म और नमी रहित हवाओं को लू कहते है, और इसके थपेड़े के चलते बीमार पड़ने को लू लगना कहते है। मोटे तौर पर समझाए तो लू तब लगती है, जब हमारा शरीर बाहर के तापमान के हिसाब से खुद को समायोजित नही कर पाता है। शरीर के भीतर की गर्मी पसीने के जरिये निकल नही पाती और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। जब मौसम का तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाता है तब लू का खतरा सबसे ज्यादा होता है।

2. लक्षण– प्रभावित व्यक्ति को बहुत प्यास लगती है और शरीर मे भारीपन महसूस होता है। मन खराब हो जाता है व सिर चकरा जाता है। शरीर का तापमान 104 फारेनहाइट या अधिक हो जाना पसीना आना बन्द होना, मुहं का लाल हो जाना, त्वचा का सूखा होना, बेहोशी जैसी स्थित का होना या बेहोश हो जाना।

3. लू से बचाव– तेज धूप मे निकलना जरूरी हो तो ताजा भोजन करके, ज्यादा से ज्यादा ठण्डा पानी पीकर, पानी की बोटल साथ रखे और थोड़ी–थोडी देर पर पीते रहे। धूप से बचने के लिए छाते अथवा हल्के सूती कपड़े का इस्तेमाल करे। गर्मी मे पेय पदार्थो का सेवन नियमित करना चाहिए। मौसमी फलो जैसे खरबूजा, तरबूज, अंगूर वगैरह खाना चाहिए। गर्मी के दिनो में प्याज का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। छाछ, दही, नींबू पानी, आम का पना, सिकंजी सब लू से बचने मे मदद करते है।

4. लू लगने पर क्या करें–जिसे लू लगी हो उसे किसी ठण्डक वाली जगह पर लेटा दे, यदि शरीर का तापमान 104 से ऊपर हो जाए तो उसे पानी से भरे टब मे तब तक लिटाए रखना चाहिए जब तक तापमान कम न हो जाए। लू लगने पर पीड़ित व्यक्ति को ओ0आर0एस0 या नींबू पानी पिलाएं। इमली के बीज को पीस पर उसे पानी मे घोलकर कपड़े से छान ले इस पानी मे शकर मिलाकर पीने से लू का प्रभाव समाप्त हो जाता है।

4. लू से बचाव हेतु किये गये उपाय–लू/हीटवेव के बचाव के लिए क्या करें, क्या न करे, नामक पांच हजार पम्फलेट तहसील के महत्वपूर्ण स्थलो पर चस्पा करवाये गये तथा क्षेत्रीय कर्मचारी/अधिकारियो के माध्यम से क्षेत्र मे बचाव का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया गया।

उपसंहार–तहसील सिरौली गौसपुर जनपद बाराबंकी कृषि प्रधान क्षेत्र है, जिसमे जायद की फसल मे तरबूज, खरबूजा व मेंथा की फसले लगभग 60 प्रतिशत कृषित क्षेत्र मे बोई जाती है, जिनकी सिंचाई बराबर होती रहती है, जिससे भूमि मे नमीं बनी रहती है। नमीं होने के फलस्वरूप लू/हीटवेव की सम्भावनाएं कम पायी जाती हैं। फिर भी क्षेत्रीय कर्मचारियों को लू/हीटवेव से बचाव हेतु जागरूकता गोष्ठी करने के निर्देश दिये गये है।

1. **ग्रामसभा/खाली स्थानों/सड़को/मार्गो के किनारे वृक्षारोपणः**– तहसील सिरौली गौसपुर जनपद बाराबंकी मे कुल 123 ग्राम पंचायतें है। उक्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों/लेखपालों को निर्देशित किया गया है कि ग्राम समाज की खाली एवं अविवादित स्थलों पर वृक्षारोपण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य मे हरियाली व वर्षा होने से उपरोक्त समस्या का निदान सम्भव हों।
2. **उपयुक्त तालाबों मे पानी भराये जाने की व्यवस्थाः**– तहसील सिरौली गौसपुर मे 188 राजस्व ग्राम तथा 1 नगर पंचायत है। उक्त सभी ग्रामो के तालाबों मे से उपयुक्त ग्रामों एवं मजरों के निकट तालाबों मे पानी भराये जाने के सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियो को निर्देश दिये गये है, जिसे पशुओ/जीव जन्तुओ को पानी की असुविधा न हो।

3. **पशुओ हेतु चारे एवं इलाज की व्यवस्था** :– वर्तमान में पशुओ के चारे की कोई समस्या नही है किन्तु सूखे की स्थित में पशुओ के चारे की समस्या पैदा हो सकती है सूखे के समय पशुओ में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है जिनका इलाज तत्काल कराया जाना आवश्यक हो जाता है। इस कार्य हेतु पशु पालन विभाग का सहयोग अपेक्षित है कि वे पशुओ के चारे तथा रोगो के इलाज हेतु पर्याप्त व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित कर लें।
4. **खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओ का प्रबन्ध** :– सूखे की दशा में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की कमी हो जाने से बाजारों में कालाबाजारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण प्रभावी अंकुश व नियन्त्रण किया जाना आवश्यक हो जाता है। खाद्य एंव आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सुचारू रूप से करने हेतु पूर्ति निरीक्षको को निर्देशित कर दिया गया है कि वे खाद्यान्न वितरण पर निरन्तर निगरानी करते रहें। क्षेत्रीय लेखपालो को भी निर्देशित कर दिया गया है कि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल अवगत करायें।
5. **स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा जन जागरण**:– सूखे के प्रभाव एवं लू के प्रकोप के कारण फैले संक्रामक रोगो के नियन्त्रण एवं बचाव हेतु शिक्षा विभाग, जन प्रतिनिधियो, स्वास्थ्य समितियो इत्यादि के माध्यम से लोगो को जागरूक किया जा रहा है कि वे स्वच्छ जल प्रयोग करे एवं सडे गले एवं खुले में बिक रहे खाद्य पदार्थो का सेवन न करें। स्वास्थ्य शिक्षा एवं जनजागरण हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वह क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान लोगों को इन तथ्यों से अवगत करायें।

- **पंचायती राज विभाग:-**

पंचायती राज विभागः भूमिका और जिम्मेदारियाँ

क्र0	कार्य	परिपालन प्रकिया	समन्वयकारी एजेंसिया
1	पंचायतीराज विभाग की लू की तैयारी और प्रतिक्रिया की समीक्षा करना	1. लू के सन्दर्भ में तैयारी और प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए पंचायती राज विभग की बैठक मार्च माह में आयोजित करना। बैठक के दौरान निम्नलिखित की समीक्षा की जानी चाहिए। 1.1 लू की प्रतिक्रिया मामलों के लिए गांव स्तर पर फोकल प्वांइट का निर्धारण। 1.2 लू की प्रतिक्रिया मामलों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की क्षमता हट स्ट्रोक उपचार वार्ठ, कूलिंग रूम आदि। 1.3 स्वास्थ्य सुविधाओं में पावर बैकअप 1.4 कार्यात्मक एम्बुलंस की संख्या 1.5 लू प्रतिक्रिया के लिए समन्वय व्यवस्था। 1.6 दवाओं का स्टॉक और पूर्व स्थिति का आकलन एवं स्टोरेज। 1.7 ग्रामो में सुपर स्पेशलिटी की आवश्यकता वाले मामले को स्थानान्तरित करने के लिए प्रोटोकॉल 1.8 चारा प्रबंधन 1.9 पशुपालन देखभाल 1.10 लू प्रतिक्रिया के लिए ग्राम स्वयंसेवक का चिन्हीकरण 2. लू प्रतिक्रिया के लिए विभाग की तैयारियों पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करना।	1. पंचायतीराज विभाग के ब्लॉक स्तर के समस्त अधिकारी (समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत व अन्य)
2	गर्मियों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाना पकाने क समय को निर्धारित करना	1. आग के खतरों को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के समय को निर्धारित करने एवं निगरानी के लिए ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी करना। 2. ग्राम पंचायत मई से पहले ग्राम सभा की बैठक का आयोजन कर खाना पकाने के विशिष्ट समय के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है।	1. ग्राम पंचायात

		3. हीट वे/लू से बचाव के लिए क्या करें और क्या न करें को ग्राम सभा में साझा करना। 4. ग्राम पंचायत खाना पकाने के समय का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करायेगी।	
3.	पानी के टेंकर का प्रावधान करना	1. पंचायती राज विभाग द्वारा निजी पानी के टेंकरों को सूचीबद्ध करना। 2. पंचायती राज विभाग द्वारा चलाये जा रहे नियंत्रण कक्ष पर ग्रामीणों द्वारा किए गए अनुरोध पर पानी के टेंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति रचत करना। 4. पेयजल की उच्च मांग और सीमित आपूर्ति के संवेदनशीलता मामले में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के साथ समन्वय करना। 5. पेयजल की आपूर्ति पूर्ण होने पर नियंत्रण कक्ष द्वरा दर्ज मामले को बंइ करना।	1. ग्राम पंचायात
4	सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की सुविधा सीापित करना	1. सार्वजनिक सीानों विशेषकर बस स्टैंड, बाजार, तीर्थस्थल, मनरेगा साइटों सहित सार्वजनिक स्थानो पर पेयजल सुविधा बनाने के लिए जल शक्ति विभाग, गैर सरकारी संगठनों और धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ समन्वय बैठक आयोजित करना। 2. सुनिश्चित करना कि पेयजल के स्रोत सुव्यवस्थित और स्वच्छ हो।	1. ग्राम पंचायात
5.	जानवरों के लिए लू की तैयारी करना	1. सूखे/लू की स्थिति को ध्यान में रखकर चारे और पानी की आवश्यकता वाले ब्लाको और गांवों को चिन्हित करना। 2. पशुओं के लिए चारे और पानी की आवश्यकताओं का ग्राम पंचायतवार आकलन करना। 3. सूखे की स्थिति में चारा शिविर का आयोजन करना। 4. पशुओं के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। 5. लू से बचाव के लिए छुट्टा व आवारा जानवरों के लिए छायादार शेड बनाना।	1. ग्राम पंचायात

- **वन विभाग:-**

1. **लोक स्थानों पर हरियाली सुनिश्चित करना**

बाराबंकी वन प्रभाग द्वारा विगत वर्षो में मार्गो के किनारे, शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है, जिससे राहगीरों को छाया प्राप्त हो रही है। वर्ष 2025 वर्षाकाल में वन विभाग द्वारा 2102400 एवं अन्य विभागों द्वारा 3704260 पौधों का रोपण किया जाएगा, जिसमें वन ब्लाकों, मार्गो के किनारे, स्कूल, कालेज,ग्राम समाज भूमि एवं शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य कराया जाएगा।

2. **वन अग्नि से बचाव हेतु निरन्तर पर्यवेक्षण करना**

1. बाराबंकी वन प्रभाग द्वारा वन क्षेत्र एवं वृक्षारोपण क्षेत्र में वन अग्नि से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3925/23–43 दिनॉक 10.01.2025 द्वारा वन अग्नि दुर्घटना पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कन्ट्रोल रूम **(कन्ट्रोल रूम नं0 05248–222526)** की स्थापना कर 03 कर्मचारियों की डयूटी दिन व रात्रि हेतु लगायी गयी है।
2. स्थानीय स्तर पर गोष्ठियों के माध्यम से स्थानीय जनता को समय–समय पर जागरूक किया जाता है।

3. वन अग्नि नियंत्रित करने के लिए फायर बाल, बैकपैक, लीफ ब्लोअर एवं फायर फाइटिंग किट रेजों को उपलब्ध कराये गये हैं।
4. रेंज में उपलब्ध पानी टैंकर का प्रयोग भी अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है।
5. अग्नि पर नियंत्रण रखने हेतु रेंज स्तर पर गठित टीम द्वारा क्षेत्र में लगातार गश्त कर वनों के आस–पास किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना पर नियंत्रण किया जाता है।

3. जंगली जानवरों एवं पक्षियों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था

बाराबंकी वन प्रभाग द्वारा वन क्षेत्र में जंगली वन्य जीवों/पक्षियों हेतु "**वाटर होल**" में पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था रखने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारियों एवं क्षेत्रीय वन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

- **नगर पंचायत विभाग:-**

क्र0	हीट वेव (लू–प्रकोप) के बिन्दु	हीट वेव (लू–प्रकोप) के बचाव हेतु कार्ययोजना
1	शहर/कस्बों/बस्ती, जिनका हीट वेव से ज्यादा प्रभावित होना संभाव्य है, को चिन्हित किया जाना तथा पेयजल की व्यवस्था किया जाना।	नगर पंचायत रामसनेहीघाट में 14 वार्ड शासन द्वारा सृजित है, जिसमें पेयजल व्यवस्था हेतु 01 नग ओवर हेड टैंक तथा 01 नग ट्यूबवेल एव 05 नग पानी टैंकर पेयजल हेतु संचालित है तथा साथ ही साथ वार्डो के प्रमुख चौराहों पर स्वच्छ एव शीतल पेयजल व्यवस्था हेतु वाटर कूलर संचालित है। निकाय द्वारा अस्थायी गौ''ाला में पेयजल हेतु सर्मिसबल और प''ुओं के पानी पीने हेतु चरही (नान्द) व पानी के छिड़काव और प''ुओं के नहलाने/धुलाने की व्यवस्था भी समय–समय पर आव''यकता पड़ने पर कराया जा रहा है और निकाय में पेयजल की कोई समस्या नहीं है।
2	सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव।	निकाय के पास 05नग पानी टैंकर सुचारू रूप से संचालित है और सड़कों पर समय–समय पर आव''यकतानुसार पानी का छिड़काव किया जाता है।
3	शहरी क्षेत्रों में नयी इमारतों के निर्माण हेतु समुचित योजना तैयार किया जाना।	नगर पंचायत रामसनेहीघाट में व्यापक प्रचार–प्रसार भी कराया गया है तथा भवनों के निर्माण में भी Rain Harvesting एवं दैविक आपदा के बचाव हेतु आव''यक कदम उठाये जाने की कार्यवाही किया जा रहा है।
4	Environment and Building Code का पालन करते हुये ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया जाना।	निकाय में निर्मित होने वाले भवनों में Environment and Building Code के अनुपालन में व्यापक प्रचार–प्रसार की कार्यवाही किया जा रहा है।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि नगर पंचायत रामसनेहीघाट के हीट वेव (लू–प्रकोप) के बचाव हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना अवलोकनार्थ एवं आव''यक काय वाही हेतु सादर प्रेषित है।

कार्यालय नगर पंचायत रामनगर, जनपद बाराबंकी।

सूखा से सम्बन्धित विवरण

क्र0	मद	कुल संख्या	सुचारू रूप से चालू	स्थायी रूप से खराब	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	हैण्डपम्प(''हरी क्षेत्र)	323	321	02	समय–समय पर आने वाली कमियों को तत्काल निकाय स्तर पर ठीक करा दिया जाता है।
2	नलकूप/मिनी नलकूप	02	02	00	–
3	पानी टैंकर की उपलब्धता	03	03	00	–
4	ओवरहेड टैंक की उपलब्धता	04	04	00	नगर में प्रतिदिन सामान्य दिनों में 10 घंटे पानी की आपूर्ति की जाती है।
5	पेयजल संयोजन कनेक''न	00	00	00	–

नोटः–हीटवेव से बचाव हेतु सफाई वाहनों में लगे पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से लोगों का जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।

कार्यालय नगर पंचायत सुबेहा, जनपद बाराबंकी।
सूखा से सम्बन्धित विवरण

क्र0	मद	कुल संख्या	सुचारू रूप से चालू	स्थायी रूप से खराब	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	हैण्डपम्प(षहरी क्षेत्र)	870	862	08	समय–समय पर आने वाली कमियों को तत्काल निकाय स्तर पर ठीक करा दिया जाता है।
2	नलकूप/मिनी नलकूप	02	02	00	–
3	पानी टैंकर की उपलब्धता	02	02	00	–
4	ओवरहेड टैंक की उपलब्धता	01	01	00	नगर में प्रतिदिन सामान्य दिनों में 08 घंटे पानी की आपूर्ति की जाती है।
5	पेयजल संयोजन कनेक्षन	725	725	00	–

नोटः–हीटवेव से बचाव हेतु सफाई वाहनों में लगे पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से लोगों का जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।

कार्यालय नगर पंचायत हैदरगढ, जनपद बाराबंकी।
सूखा से सम्बन्धित विवरण

क्र0	मद	कुल संख्या	सुचारू रूप से चालू	स्थायी रूप से खराब	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	हैण्डपम्प (''हरी क्षेत्र)	246	221	25	समय–समय पर आने वाली कमियों को तत्काल निकाय स्तर पर ठीक करा दिया जाता है।
2	नलकूप/मिनी नलकूप	03	03	00	–
3	पानी टैंकर की उपलब्धता	04	04	00	–
4	ओवरहेड टैंक की उपलब्धता	02	02	00	नगर में प्रतिदिन सामान्य दिनों में 08 घंटे पानी की आपूर्ति की जाती है।
5	पेयजल संयोजन कनेक''न	950	950	00	–

नोटः– हीटवेव से बचाव हेतु सफाई वाहनों में लगे पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से लोगों का जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।

क्र0	हीटवेव (लू-प्रकोप) के बिंदु	हीटवेव (लू-प्रकोप) के बचाव हेतु कार्ययोजना
1	शहर /कस्बों /बस्ती जिनका हीटवेव से ज्यादा प्रभावित होना सम्भाव्य है को चिन्हित किया जाना तथा पेयजल की व्यवस्था किया जाना	नगर पंचायत टिकैतनगर में 10 वार्ड शासन द्वारा सृजित है, जिसमें पेयजल व्यवस्था हेतु 03 नग पानी टैंकर पेयजल हेतु संचालित है तथा साथ ही साथ वार्डो के प्रमुख स्थानों पर स्वच्छ एवं शीतल पेयजल व्यवस्था हेतु वाटर कूलर संचालित है | निकाय द्वारा अस्थाई गौशाला में पेयजल हेतु समर्सिबल एवं पशुओं के पानी पीने हेतु चरही (नांद) व् पानी के छिड़काव एवं पशुओं के नहलाने /धुलाने की व्यवस्थाभी समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर कराया जा रहा है और निकाय में पेयजल की कोई समस्या नहीं है
2	खुले पार्कों में छाया की अमुचित व्यवस्था किया जाना	निकाय में बने पार्कों में छाया हेतु पूर्व में कुछ पेड़ लगे हुए है एवं और भी छाया हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है और छाया व्यवस्था हेतु कार्यवाही किया जायेगा
3	सड़को पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव	निकाय के पास 03 नग पानी टैंकर सुचारू रूप से संचालित है और सड़को पर समय समय पर आवश्यकतानुसार पानी का छिड़काव किया जाता है
4	शेहरी क्षेत्रों में नई इमारतों के निर्माण हेतु समुचित योजना तैयार किया जाना	नगर पंचायत टिकैतनगर में व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जा रहा है तथा भवनों के निर्माझा में भी रेन हार्वेस्टिंग एवं दैनिक आपदा के बचाव हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की कार्यवाही किया जा रहा है
5	Environment and Building Code का	निकाय में निर्मित होने वाले भवनों में Environment and Building Code के अनुपालन

	पालन करते हुए ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया जाना	में व्यापक प्रचार-प्रसार की कार्यवाही किया जा रहा है

क्र0	हीट वेव (लू–प्रकोप) के बिन्दु	हीट वेव (लू–प्रकोप) के बचाव हेतु कार्ययोजना
1	शहर/कस्बों/बस्ती, जिनका हीट वेव से ज्यादा प्रभावित होना संभाव्य है, को चिन्हित किया जाना तथा पेयजल की व्यवस्था किया जाना।	नगर पंचायत दरियाबाद में 13 वार्ड शासन द्वारा सृजित है, जिसमें पेयजल व्यवस्था हेतु 01नग ओवर हेड टैंक तथा 03नग ट्यूबवेल एवं 05नग पानी टैंकर पेयजल हेतु संचालित है तथा साथ ही साथ वार्डो के प्रमुख चौराहों पर स्वच्छ एवं शीतल पेयजल व्यवस्था हेतु वाटर कूलर संचालित है। निकाय में पेयजल की कोई समस्या नहीं है।
2	सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव।	निकाय के पास 05नग पानी टैंकर सुचारू रूप से संचालित है और सड़कों पर समय–समय पर आवश्यकतानुसार पानी का छिड़काव किया जाता है।
3	शहरी क्षेत्रों में नयी इमारतों के निर्माण हेतु समुचित योजना तैयार किया जाना।	नगर पंचायत दरियाबाद में व्यापक प्रचार–प्रसार भी कराया गया है तथा भवनों के निर्माण में भी Rain Harvesting एवं दैविक आपदा के बचाव हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की कार्यवाही किया जा रहा है।
4	Environment and Building Code का पालन करते हुये ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया जाना।	निकाय में निर्मित होने वाले भवनों में Environment and Building Code के अनुपालन में व्यापक प्रचार–प्रसार की कार्यवाही किया जा रहा है।

कार्यालय नगर पंचायत बंकी, जनपद बाराबंकी।

सूखा से सम्बन्धित विवरण

क्र0	मद	कुल संख्या	सुचारू रूप से चालू	स्थायी रूप से खराब	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	हैण्डपम्प(षहरी क्षेत्र)	132	127	05	समय–समय पर आने वाली कमियों को तत्काल निकाय स्तर पर ठीक करा दिया जाता है।
2	नलकूप/मिनी नलकूप	10	10	00	–
3	पानी टैंकर की उपलब्धता	03	03	00	–
4	ओवरहेड टैंक की उपलब्धता	03	03	00	नगर में प्रतिदिन सामान्य दिनों में 10 घंटे पानी की आपूर्ति की जाती है।
5	पेयजल संयोजन कनेक्षन	2175	2175	00	–

नोटः–हीटवेव से बचाव हेतु सफाई वाहनों में लगे पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से लोगों का जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।

कार्यालय नगर पंचायत फतेहपुर, जनपद–बाराबंकी।

सूखा से सम्बन्धित विवरण

क्र0	मद	कुल संख्या	सुचारू रूप से चालू	स्थायी रूप से खराब	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	हैण्डपम्प (षहरी क्षेत्र)	404	359	45	समय–समय पर आने वाली कमियों को तत्काल निकाय स्तर पर ठीक करा दिया जाता है।
2	वाटर कूलर ए0टी0एम0	25	25	00	–
3	स्टैण्ड पोस्ट	25	25	00	–

4	नलकूप	04	04	00	–
5	मिनी नलकूप	04	04	00	–
6	पानी टैंकर की उपलब्धता	04	04	00	–
7	ओवरहेड टैंक की उपलब्धता	01	01	00	नगर में प्रतिदिन 18 घंटे पानी की आपूर्ति की जाती है।
8	पेयजल संयोजन कनेक्षन	2132	2132	00	–

- **जल निगम विभाग:-**

कार्यालय अधि''ाासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) बाराबंकी।

वर्ष 2025-26 में सूखा प्रबन्धन हेतु कार्ययोजना

जनपद बाराबंकी में 6 तहसीलें नवाबगंज, रामनगर, सिरौलीगौसपुर, हैदरगढ़, फतेहपुर एवं रामसनेहीघाट तथा 15 विकास खण्ड बंकी, देवा, हरख, मसौली, रामनगर, सूरतगंज, फतेहपुर, निन्दूरा, पूरेडलई, बनीकोडर, दरियाबाद, सिरौलीगौसपुर, सिद्धौर, त्रिवेदीगंज तथा हैदरगढ़ हैं। जनपद में कुल 1162 ग्राम पंचायतें, 1775 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं।

उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जनपद बाराबंकी में 118 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनायें निर्मित कराकर 194 राजस्व ग्राामें में कुल 70643 नग पेयजल कनेक्शन करते हुए ग्रामवासियों को पेयजल से संतृप्त किया जा चुका है। वर्तमान में 137 राजस्व ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है एवं 57 राजस्व ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है। समस्त योजनाओं को पूर्णतया क्रिया''ाील किये जाने हेतु सर्वे एवं डी0पी0आर0 बनाने का कार्य प्रगति पर है।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद के अवशेष 1581 ग्रामों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से 'हर घर जल' प्रदान किये जाने की कार्यवाही के अन्तर्गत जल जीवन मिशन फेज–2 व 3 में कुल 1581 राजस्व ग्रामों हेतु 849 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजना स्वीकृत कराते हुए अनुबन्ध गठन किये जाने के उपरान्त अनुबन्धित संस्था मै0 पी0एन0सी0, आगरा, मै0 वी0एस0ए0, हैदराबाद, मै0 मेघा इंजीनियरिंग, हैदराबाद, मै0 गायत्री–रेमकी, हैदराबाद एवं मै0 वी0टी0एल0, नोएडा द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं तथा समस्त पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। जनपद अन्तर्गत स्वीकृत 849 नग पेयजल योजनाओं द्वारा 921 राजस्व ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। एवं ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत जनहित ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका टोलफ्री नम्बर 18001212164 है।

- **Training and Awareness Campaign pictures done by different district officials**

"सुशासन आपके द्वार"

हारेगी गर्मी, जीतेगा प्रदेश

हम पर ना पड़े भारी,
गर्मी वाली बीमारी
OPPO A59 5G

हम पर ना पड़े भारी,
गर्मी वाली बीमारी
डॉक्टर के पास जाएं या एम्बुलेंस को कॉल करें, यदि निम्न में से कोई लक्षण हो
108
OPPO A59 5G

गर्मी से करें बचाव
याद रखें ये सुझाव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 - टोल फ्री नं0: 104
OPPO A59 5G

गर्मी से करें बचाव याद रखें ये सुझाव

गर्मी से करें बचाव याद रखें ये सुझाव
जिला स्वास्थ्य समिति, बाराबंकी
रेबीज़, एक जानलेवा बीमारी है जिसका बचाव पूर्णतः संभव है

5.8 महत्वपूर्ण फोन नंम्बर की लिस्ट (नोडल अधिकारी सहित)

List of Important Phone Number (Including Nodal Officer)

क0	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	मोबाइल नं0
1	जिलाधिकारी	9454417540
2	पुलिस अधीक्षक	9454400251
3	मुख्य विकास अधिकारी	9454465309
4	जिला विकास अधिकारी	9454465311
5	अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)	9454417611
7	उपजिलाधिकारी नवाबगंज	9454416145
8	उपजिलाधिकारी रामसनेहीघाट	9454416146
9	उपजिलाधिकारी फतेहपुर	9454416147
10	उपजिलाधिकारी हैदरगढ़	9454416148
11	उपजिलाधिकारी रामनगर	9454416149
12	उपजिलाधिकारी सिरौलीगौसपुर	9454416150
13	तहसीलदार नवाबगंज	9454416153
14	तहसीलदार रामसनेहीघाट	9454416154
15	तहसीलदार फतेहपुर	9454416155
16	तहसीलदार हैदरगढ़	9454416156
17	तहसीलदार रामनगर	9454416157
18	तहसीलदार सिरौलीगौसपुर	9454416158
19	खण्ड विकास अधिकारी, बंकी	9454465317
20	खण्ड विकास अधिकारी, हरख	9454465318
21	खण्ड विकास अधिकारी, मसौली	9454465319
22	खण्ड विकास अधिकारी, देवां	9454465316
23	खण्ड विकास अधिकारी, निन्दूरा	9454465312
24	खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर	9454465313
25	खण्ड विकास अधिकारी, सूरतगंज	9454465314
26	खण्ड विकास अधिकारी, रामनगर	9454465315
27	खण्ड विकास अधिकारी, सिरौलीगौसपुर	9454465320
28	खण्ड विकास अधिकारी, पूरेडलई	9454465322
29	खण्ड विकास अधिकारी, दरियाबाद	9454465321
30	खण्ड विकास अधिकारी, बनीकोडर	9454465323
31	खण्ड विकास अधिकारी, हैदरगढ़	9454465324
32	खण्ड विकास अधिकारी, त्रिवेदीगंज	9454465326
33	खण्ड विकास अधिकारी, सिद्धौर	9454465325
34	मुख्य चिकित्साधिकारी बाराबंकी	8005192641
35	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी	9919959616
36	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	9997982555
37	जिला पूर्ति अधिकारी	9454669377
38	जिला कृर्षि अधिकारी	9452206241

39	जिला पंचायतराज अधिकारी	**7607193047**
40	बेसिक शिक्षा अधिकारी	**9452291940**
41	जिला कार्यक्रम अधिकारी	**9415086812**
42	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, बाराबंकी	**9415062264**
43	जिला उद्यान अधिकारी	**9452728081**
45	जिला कमान्डेन्ट होमगार्ड	**9415848121**
46	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	**9415423120**
47	अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड बाराबंकी	**9997541111**
48	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई	**9415204740**
49	अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड गोण्डा।	**9415320377**
50	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 1	**9415171834**
51	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 3	**9451247456**
52	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बाराबंकी।	**8004923404**
53	अधिशासी अभियन्ता विद्युत बाराबंकी।	**9415905197**
54	अधिशासी अभियन्ता विद्युत फतेहपुर, बाराबंकी।	**8004922315**
55	अधिशासी अभियन्ता विद्युत रामसनेहीघाट।	**9415901600**
56	अधिशासी अभियन्ता जल निगम	**9473942715**
57	अधिशासी अभियन्ता नलकूप	**9454415041**
58	अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	**9415274414**
60	सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क	**9453005407**
61	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, बाराबंकी	**9839453598**
62	अधिशासी अधिकारी, जैदपुर/सिद्धौर	**9452966438**
63	अधिशासी अधिकारी, बंकी	**9452948983**
64	अधिशासी अधिकारी, देवा	**9454418881**
65	अधिशासी अधिकारी, टिकैतनगर	**9415919866**
66	अधिशासी अधिकारी, सुबेहा	**8005423857**
67	अधिशासी अधिकारी, सतरिख	**9452966438**
68	अधिशासी अधिकारी, हैदरगढ़	**8005423857**
69	अधिशासी अधिकारी, दरियाबाद	**9415919866**
70	अधिशासी अधिकारी, फतेहपुर	**8127082964**
71	अधिशासी अधिकारी, रामनगर	**9792465133**
अग्निशमन विभाग		
72	मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाराबंकी	**9454418354**
73	अग्निशमन अधिकारी हैदरगढ़	**9454418732**
74	अग्निशमन अधिकारी रामसनेहीघाट	**9454418728**
75	अग्निशमन अधिकारी सिरौलीगौसपुर	**9454418730**

सूचना शिक्षा एवं संचार सामग्री

(IEC Material)

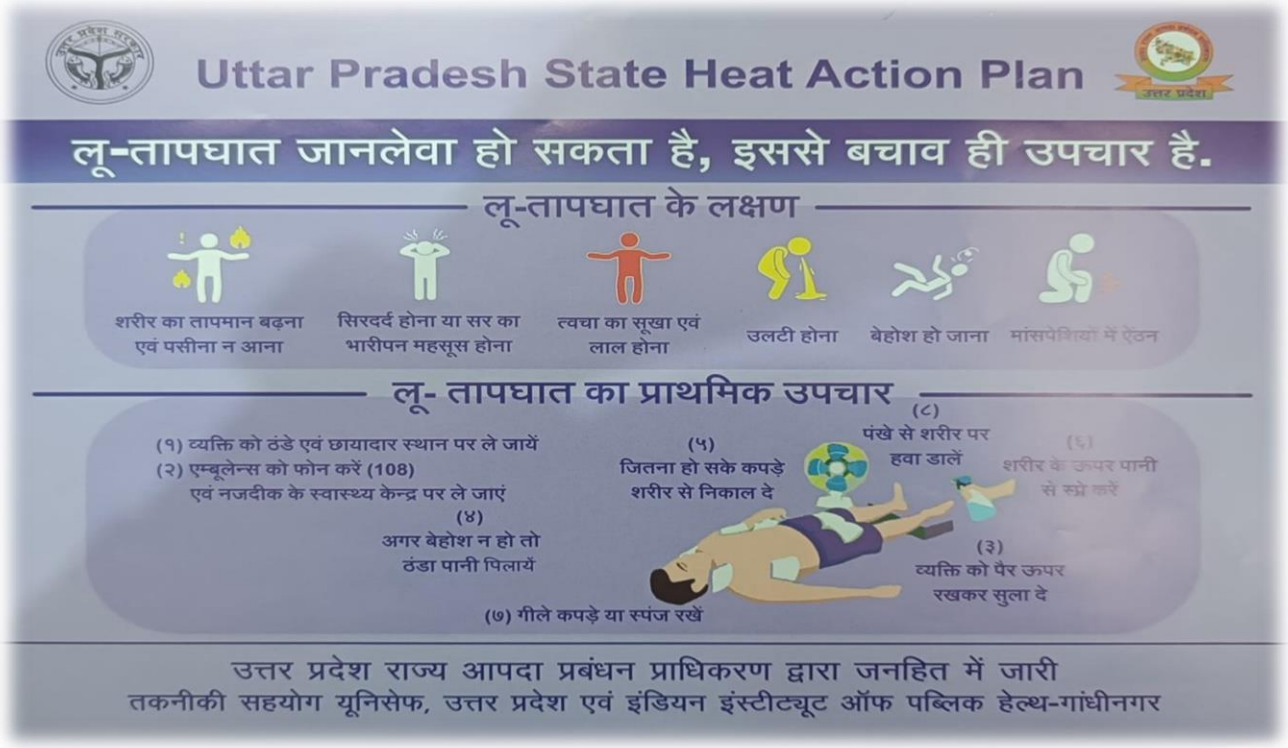

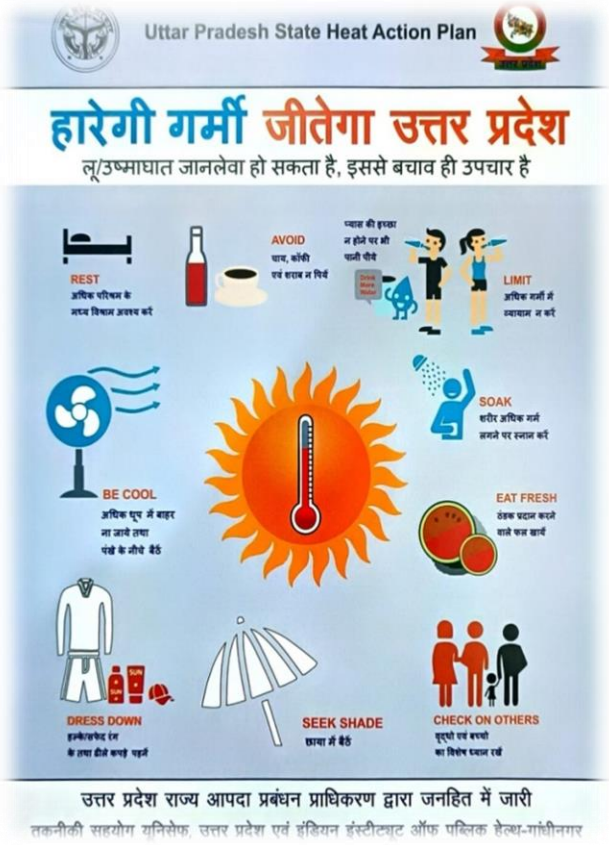

उत्तर प्रदेश
स्टेट हीट एक्शन प्लान
उत्तर प्रदेश
हारेगी गर्मी, जीतेगा प्रदेश
लू/तापघात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही उपचार है
अधिक परिश्रम के मध्य विश्राम अवश्य करें
चाय, कॉफी एवं शराब न पियें
प्यास की इच्छा न होने पर भी पानी पियें
अधिक गर्मी में व्यायाम न करें
शरीर अधिक गर्म लगने पर स्नान करें
अधिक धूप में बाहर न जायें तथा पंखे के नीचे बैठें
ठंडक प्रदान करने वाले फल खायें
हल्के/सफेद रंग के तथा ढीले सूती कपड़े पहनें
छाया में बैठें
वृद्धों एवं बच्चों का विशेष ध्यान रखें
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी

उत्तर प्रदेश
स्टेट हीट एक्शन प्लान
उत्तर प्रदेश
लू-तापघात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही उपचार है.
ठंडक प्रदान करने वाले पेय पदार्थ पियें
सफेद या हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें
अधिक गर्मी में घर से बाहर न निकलें
छाया में बैठकर विश्राम करें
बुजुर्गों, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखें
घर की छत पर चूने/सफेद रंग का पेन्ट करें
सिर पर गीला कपड़ा रखें तथा शरीर को कपड़े से ढककर बाहर निकलें
प्यास की इच्छा न होने पर भी बार-बार पानी पियें

Thank You